

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावरण भवन, सेक्टर-19, गंगा राजपुर इटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seecgg@cgmail.com

विषय:- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 18/11/2022 को संपन्न 430वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

— 00 —

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 430वीं बैठक दिनांक 18/11/2022 को डॉ. सी.पी. मोन्दारे अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. जैलेश कुमार जयस्य, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 2. श्री एन.के. चन्दाकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 3. श्री किरान सिंह धुप, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 4. डॉ. मनोज कुमार चौधरी, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 5. श्री कलदिपुत तिवरी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
- समिति द्वारा एजेन्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेन्डा आइटम क्रमांक-1: 430वीं एवं 431वीं बैठक क्रमांक दिनांक 27/10/2022 एवं 28/10/2022 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 430वीं एवं 431वीं बैठक क्रमांक दिनांक 27/10/2022 एवं 28/10/2022 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के उन्मुख बीच प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त निधिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-2: वीग/मुख्य सचिवों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स मानपुर जोर्जोमाईट स्टोन (जे डी डी) उवारी पार्स (प्री.- श्री भास्कर कुमार सिंह), ग्राम-मानपुर, लक्ष्मील-ककर्मा, जिला-कबीरगंज (सचिवालय का नस्ली क्रमांक 2113)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 280880 / 2022, दिनांक 27/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित लो-ग्रेड कोलोनॉइट (पीप खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मालपुर, तहसील-कच्छी, जिला-कबीरवाह स्थित खदान क्रमांक 78, 129/11 एवं 129/30, कुल क्षेत्रफल-2409 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 53,802.78 टन (20,893.38 टनमीटर) प्रतिवर्ष है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/09/2022 की संख्या 137वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ली/दस्तावेज का अन्वेषण किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परिषेवका प्रस्तावक द्वारा एस.ई.ए.सी., फलीसगढ़ की 410वीं बैठक दिनांक 18/08/2022 में किये गये अनुसंधान के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पुनः ऑनलाईन आवेदन की प्राथमिकता से अन्वेषण पर प्रस्तुतीकरण हेतु सख्त इरादा करने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी., फलीसगढ़ की नियमानुसार आवेदित बैठक में नियमानुसार रखे जाने हेतु एस.ई.ए.सी., फलीसगढ़ को लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 424वीं बैठक दिनांक 20/09/2022:

समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अन्वेषण एवं परीक्षण कर तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिषेवका प्रस्तावक को सख्त सुलभता जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परिषेवका प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., फलीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

(ब) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भास्कर कुमार सिंह, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अन्वेषण एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कुल पत्थर उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सेनी का दिनांक 05/10/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - काठी प्लान, इनस्टाबरोसिट कैम्पेन्ट प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खपरा), जिला-मिर्जापुर के पु ज्ञापन क्र. 1258/2/खनि/कोलोनॉइट/प.खे./2021 मिर्जापुर, दिनांक 19/07/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्बोलाय क्वारेडर (खनिल राधा), जिला-कबीरवाह के ज्ञापन क्रमांक 862/ख.लि./खनिल/उ.प./2022 कबीरवाह, दिनांक 04/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर से नीचे कोलोनॉइट खदानों (Heterogeneous Minerals) की संख्या निर्णय है एवं अन्य कुल पत्थर की कुल 5 खदानें, क्षेत्रफल 4,944 हेक्टेयर है।

6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज खाखा), जिला-कबीरखान के डायन क्रमांक 822/खनि./खनिज/उ.प./2021 कबीरखान, दिनांक 03/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनिकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. की मान्यता कुमल सिंह के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज खाखा), जिला-कबीरखान के डायन क्रमांक 44/खनि./खनिज/उ.प./20-21 कबीरखान, दिनांक 07/01/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। एल.ओ. आई. की वैधता वृद्धि काबुल न्यायालय मंत्रालय, भीमिडी तथा खनिज, नया रावपुर अदालत नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 19/2022 द्वारा जारी पत्रित आदेश दिनांक 06/09/2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "सर्वोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्दिष्ट किया जाता है कि प्रतीमान्यद गौण खनिज नियम, 2016 के नियम 42(5) परन्तु के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त उत्खनन चढ़ा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु कठिनिस्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला कबीरखान को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 76 की शिव कुमार एवं उल्लस क्रमांक 129/11 एवं 129/30 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमंडलाधिकारी, कर्ना वनमंडल, कर्ना के डायन क्र./उ.प.अधि./13838 कर्ना, दिनांक 28/10/2017 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 24 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-सेरी 325 मीटर, स्कूल ग्राम-मानपुर 750 मीटर एवं अस्पताल कर्ना 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10.26 कि.मी. दूर है। तालाब 400 मीटर एवं गण्डकुण्ड नदी 800 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संघीय प्रयुक्त निबंधन बोर्ड द्वारा घोषित क्लिंटकरी पॉल्सुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जिगेलीजिलका रिजर्व 10,88,096 टन, माईनेबल रिजर्व 5,38,888 टन एवं रिक्लरेबल रिजर्व 5,11,750 टन है। सीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8.217 वर्गमीटर है। औपन कास्ट सेरी मेकेनाईज्ड सिंगी से उत्खनन किया जाता। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। सीज क्षेत्र में



ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,908.5 घनमीटर है, जिसमें से 2,180 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईंग बाल्डूनी) क्षेत्र में कृषासेवा कृषासेवा के लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष 6,728.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के समीपस्थ खदम की भूमि (खसरा क्रमांक 129/17) पर संरक्षित रखने हेतु संरक्षित किया जाएगा। शेष की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में कृषा स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्थापित किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	49,400.00	षष्ठम	51,129.00
द्वितीय	51,252.50	सप्तम	51,309.84
तृतीय	53,802.78	अष्टम	51,091.95
चतुर्थ	51,129.00	नवम	50,639.94
पंचम	51,269.79	दशम	50,729.96

13. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.78 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत एवं बोरोवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनुचित प्रमाण पत्र एवं सैन्युल बाल्डूनी गौरी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. **कृषासेवा कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की गहरी में 821 मग कृषासेवा किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए रकम 8,210 रुपये, कीटनाशकों के लिए रकम 1,06,000 रुपये, खाद के लिए रकम 15,525 रुपये, रख-रखाव एवं सिंचाई आदि के लिए रकम 1,75,000 रुपये, इस प्रकार कुल रकम 3,04,735 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल रकम 7,62,100 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु चतुःकोण मध्य का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा गहरी में उत्खनन** - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा गहरी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सचिव विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
28.72	2%	0.58	Following activities at Nearby Govt. Primary School Village-Gadhahattha	
			Drinking water arrangement with filter & its AMC	
			Water tank (1,000 litre)	0.451

			Supply Pipe Pipeline & Installation	
			UV Water Filter (15 litre)	
			5 Year AMC	
			Running Water Arrangement in Toilet	
			Water tank Pipeline & Installation	0.175
			Total	0.626

17. सी.ई.ओ.ए. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
18. जमीन मिट्टी को स्वयं की भूमि (खसला क्रमांक 129/17) पर मंजूरित काग संश्लिप्त रखने हेतु, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्वास हेतु किये जाने तथा मंजूरित होम जमीन मिट्टी का निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को समस्त निरीक्षण/इलाज के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सभ्य कुलपेयन किये जाने एवं रोहित पीछे का सत्याईयत रेट (Sunshad rate) 30 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने हेतु सपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
20. जमीनसभ्य आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को योग्यता के अकार पर रोजगार में प्राथमिकता दिये जाने हेतु सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. खदान में साधर उत्खनन हेतु कम सीमित मुक्त खनितिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत एवं पंजीकृत खनितिंग निरीक्षण (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. माइनिंग लीज क्षेत्र में पयुजिस्टिड जस्ट खनितिंग के समस्त बिन्दुओं/स्थानों पर परीक्षणका प्रस्तावक द्वारा नियमित जल शिक्काव कराये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. माइनिंग लीज क्षेत्र में खनिज निचों के अनुक्रम सीमांकन कराकर खदान की सीमा में नियमानुसार रखे स्थापित कराये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. माइनिंग लीज क्षेत्र में किसी प्रकार का दूषित जल (अथि उत्खनित होता है तो) का बहाव प्राकृतिक जल स्रोत, नदी, नाला, छालाव अदि में नहीं किया जाना इस बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना प्रस्तावक पर प्रस्तावित खदान के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई न्यायालयीन इलाज रेट के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में उचित नहीं है इस बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परियोजना प्रस्तावक पर भारत सरकार, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिनियम का.आ.804(3), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्खनन का

प्रकल्प लक्षित न होने के बावजूद राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा चट्टी में कुशासनात्मक कार्य के भीमिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु वि-क्षेत्रीय समिति (ग्रामसाईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा चट्टी में कुशासनात्मक कार्य पूर्ण किये जाने को उच्चतम गठित वि-क्षेत्रीय समिति से सत्यापित करवा जाना आवश्यक है।

28. मानवीय एन.जी.टी., डिप्लोमा वेध, नई दिल्ली द्वारा सर्वोदय सम्बंधित विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजनल एप्लिकेशन नं. 588 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुद्दा रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उच्चतम सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (ग्रामिण शाखा), जिला-कबीरगंज की डायन क्रमांक 882/ख. सि./ग्रामिण/रा.प./2022 कबीरगंज, दिनांक 04/07/2022 को अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर सजातीय (Homogeneous Minerals) खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-मानपुर) का रकबा 2.409 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की नहीं गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उच्चतम सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स मानपुर खोलोसाईट स्टोन (जी वेड) क्वारी प्राईम (प्रो.- श्री भास्कर कुमार सिंह), ग्राम-मानपुर, तहसील-कवर्वा, जिला-कबीरगंज की खदान क्रमांक 79, 129/11 एवं 129/30 में निम्न जी-वेड खोलोसाईट (ग्रेन ग्रामिण) खदान, कुल क्षेत्रफल-2.409 हेक्टेयर, क्षमता - 83,802 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-01 में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिकल्प (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स श्री विजय अग्रवाल लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री विजय अग्रवाल), ग्राम-दुमरखीड़कला, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1007)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्ण में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एसआईएन/ 43982/2017, दिनांक 07/11/2019 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था।

कार्यक्रम में प्रयोज्य नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 78882/2018, दिनांक 08/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह समता विस्तार का प्रकल्प है। यह पूर्व से संघालित चूना पत्थर (चूना खनिज) खदान है। खदान नाम-कुनरडीहकला, टाढ़लील व जिला-राजनांदगांव सिद्धा पार्टी लोक सभसत क्रमांक 103/5, कुल क्षेत्रफल-0.48 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-18,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञान क्रमांक 649, दिनांक 16/08/2020 द्वारा प्रकल्प 'बी' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड्स टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड (टीओआर) परीन ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज सिन्क्राउनिंग इन्वायरीमेंट क्लीयरेंस अफ्टर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में परिचित सेपी 1(E) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 08/11/2022 द्वारा अनुमोदन हेतु सूचित किया गया।

बैंडक का विवरण -

(अ) समिति की 432वीं बैंडक दिनांक 16/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु की निर्दिष्ट अवगत, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एच एम सील्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से की दुरीन उपायदक्षीन उपस्थित हुए। समिति द्वारा मन्त्री, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिध्ति आई गई-

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इन्फ्र ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इन्डियन आईन प्लानर एच कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इन्डियन आईन प्लानर एच कन्सलटेंट द्वारा अवरिहार कलाओं से आवेदित प्रकल्प की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता व्यक्त की गई। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एच एम सील्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपडेटिंग (Update) प्रस्तुत किया गया है। तदुपरांत मेसर्स पी एच एम सील्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकल्प से संबंधित सभसत लक्ष्यों का उपायदक्षिण मेसर्स पी एच एम सील्युशन का होना बताया गया।
2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि संघालित अनुमोदित कर्तविय प्लान के उपादन प्लान में अधिकतम प्रतिवर्ष चूना पत्थर उत्खनन 7,000 टन उल्लेखित है। अतः उनसे द्वारा अधिकतम चूना पत्थर उत्खनन 7,000 टन प्रतिवर्ष हेतु विचार किये जाने बाबत अनुरोध किया गया है। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया है।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-
 1. पूर्व में चूना पत्थर खदान सभसत क्रमांक 103/5, कुल क्षेत्रफल-0.728 हेक्टेयर, क्षमता-18,128 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्रधिकरण जिला-राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक

09/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2022 तक वैध थी।

- a. परिषोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि चूंकि यह समस्त विस्तार का प्रकल्प है। अतः परिषोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत कलक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 - b. निर्धारित शर्तानुसार पूराकरण नहीं किया गया है।
 - c. प्रस्तुतीकरण के दौरान परिषोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 10/11/2022 को खनिज साक्षात्, जिला-राजनांदगांव को आवेदन किया गया है। समिति का मत है कि विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रामाणिक कतबन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सुमखीहकला को दिनांक 31/07/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
 5. उत्खनन योजना — भौतिकदृष्टि कृषी प्लान (खारी कम इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, खनिजी तथा खनिकर्म्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 2577/खनि 02/सा.प.अनुमोदन/न.क्र.05/2018(2) तथा रायपुर, दिनांक 24/05/2022 द्वारा अनुमोदित है।
 6. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनि साक्षात्), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2802/ख.नि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 07/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 10 खदानें, क्षेत्रफल 10.07 हेक्टेयर है।
 7. परिषोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनि साक्षात्), जिला-राजनांदगांव द्वारा जारी प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि आवेदित लीज क्षेत्र के कलक्टर में स्थित अन्य खदान (श्री भागवंद जैन, ग्राम-बपेरी, तहसील व जिला-राजनांदगांव) को कार्यालय कलेक्टर (खनि साक्षात्), जिला-राजनांदगांव द्वारा जारी प्रमाण पत्र (कार्यालय कलेक्टर (खनि साक्षात्), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/1406/ख.नि.02/2002 राजनांदगांव, दिनांक 14/07/2002 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 30 खदानें, क्षेत्रफल 38.747 हेक्टेयर) को ही आवेदित प्रकल्प हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। चूंकि आवेदित खदान इस कलक्टर का भाग है। जिसके अनुसार आवेदित खदान (श्री विजय अछवाल) से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 30 खदानें, क्षेत्रफल 38.282 हेक्टेयर होना बताया गया है एवं इसके अतिरिक्त 01 अन्य खदान (श्री शिवेन्द्र सिंह बन्ना, ग्राम-सुमखीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव) क्षेत्रफल 2.773 हेक्टेयर को एल.ओ.आई. जारी की गई है। इस प्रकार कुल 31 खदानें, क्षेत्रफल 41.218 हेक्टेयर है। ज्ञात हेतु समिति द्वारा तहसील प्रकल्प की गई।



प्राथमिक	7,000
द्वितीय	7,000
तृतीय	7,000

16. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति कोयला के माध्यम से की जाती है। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल प्रायमरी वॉटर सर्विसिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
17. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 475 मग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना को तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है—

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
खदान की सावधानी में (475 मग) वृक्षारोपण हेतु रशि	36,100	3,572	3,572	3,572	3,572
फसिंग हेतु रशि	40,800	—	—	—	—
खाद हेतु रशि	3,570	360	360	360	360
मिचाल्ट एवं रख-रखाव हेतु रशि	2,56,000	2,18,000	2,18,000	2,18,000	2,18,000
कुल रशि = 12,15,998	3,36,270	2,19,932	2,19,932	2,19,932	2,19,932

18. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उल्लेखन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 1,582 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्व दिशा में 830 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक, पश्चिम दिशा में 845 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक तथा दक्षिण दिशा में 247.5 वर्गमीटर क्षेत्र 7 मीटर की गहराई तक प्राचलित है, जिसका उल्लेख अनुसंधित नॉटिफिकैंड क्वॉरी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उचित उल्लेखन किया जाना चाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध निष्पत्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

19. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीचे कथित गाइडिंग प्रोसेचर हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 5(a) के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार नई लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

20. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विरलेषण :-

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – वॉलिटैरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 के काम किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 12 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 12 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 12 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सड़की जल गुणवत्ता तथा 12 स्थानों पर मिट्टी के गहरे एक्सपोजेड जल विश्लेषण किया गया है।

ii. वॉलिटैरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का सामान्य लेवल:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	21.39	40.45	60
PM _{2.5}	42.66	65.33	100
SO ₂	5.09	9.87	80
NO ₂	9.48	15.95	80

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाए गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, फ्लोराइड, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक, मर्करी, सैडिमिण्ट एवं अन्य प्राकृतिक तत्वों का सामान्य लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	43.2	61.1	75
Night L _{eq}	37.9	54.9	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणना:- भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हेवी वाहनों को सम्बंधित करते हुए ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 13 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (AC ratio) 0.03 है। प्रस्तावित परियोजना उपरत 6 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। उपर्युक्त कुल 19 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (AC ratio) 0.03 होगी। विस्तार के उपरत भी टी-मॉटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

vi. राजनांदरायं सड़क मार्ग में सम्पूर्ण क्लस्टर के भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हेवी वाहनों को भी सम्बंधित करते हुए ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट (पी.सी.यू. प्रतिघंटा) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार वर्तमान में 217 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (AC ratio) 0.1 है। सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु विस्तार के उपरत भी टी-मॉटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

vii. जी.एल.सी. की गणना -

Contributed Concentration Levels Particulate Matter
(AMBIENT INCLUDED MIXED ACTIVITY) For PM₁₀

S. No.	Activity in the mine	Maximum Baseline Concentration (L.Ce ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) at downwind direction (Near village Deodonger)	Calculated L.Ce ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Resultant Concentration (L.Ce ($\mu\text{g}/\text{m}^3$))	Limit (Industrial, Rural and other area) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.	Overall Activities with control RCM	83.25	24	83.25	100

21. लोक सुनवाई दिनांक 17/09/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – ग्राम संजवात महल, ग्राम – डुमरडीहकला, तहसील व जिला – राजनंदगांव में संचालन हुई। लोक सुनवाई वसंतवीर सरकार सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

22. प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अपेक्षित खदान की सम्मिलित कर्तव्य दूरी कन्टर में कुल 32 खदानें आती हैं, जिसमें से वर्तमान में 17 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अपेक्षित किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः कुल 17 खदानों द्वारा सन्तुष्टिक रूप से जनसुनवाई कराया गया है। जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- खदान से निकलने वाले मिट्टी को नाले एवं सड़क किनारे डाल दिया जाता है एवं 7 एकड़ भूमि पर मिट्टी डाल दिया गया है। गांव में नदीकिनारे के सिंचे बाग नहीं बनता है।
- हीवी क्लॉस्टिंग से शरीर में चोट आ जाती है। क्लॉस्टिंग के समय बंदूकी में चलना पुर्नर होता है, क्लॉस्टिंग करने के दौरान सड़क बंद कर दिया जाता है।
- खदान में काम करने वाले अधिकों को जख्मात की सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है। अगर सड़क से लगा हुआ है, उसको चलने के कारण कई ट्रैक्सीबैट हो चुके हैं, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
- गांव के पास शासकीय भूमि का अधिभू रूप से उत्खनन किया जाता है। दूधरोपण तथा जल सिंचिकाय का कार्य भी नहीं किया जाता है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- खदान से निकलने वाले मिट्टी को नाले एवं सड़क किनारे नहीं डाला जाएगा, उसे खदान के 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कालाकर दूधरोपण का कार्य किया जाएगा।
- अनुमती कांटेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल क्लॉस्टिंग किया जाएगा, क्लॉस्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। क्लॉस्टिंग के पूर्व हट्ट बजाकर लोगों को सूचना दी जाएगी, जिससे घायलों को कम पुश्मान या घरेलानी नहीं होगी।



क. खदान में काम करने वाले कर्मियों के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य विधि लगाया जाएगा।

ख. माईनिंग प्लान के अनुसार ही उखानन कार्य किया जाएगा। खदान की बाउण्ड्री तथा डील रीड में सुधारोपग का कार्य निरिवात रूप से किया जाएगा। सुधारोपग एवं कुल उखानन को रोकने के लिए सड़क पर दो से तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा।

23. कलस्टन हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान – परिवोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवंटित खदान को शामिल करते हुए कलस्टन में कुल 32 खदानें आती हैं। अतः कलस्टन में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित हैं:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पट्टीय मार्ग से उत्पन्न धूल उखानन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पट्टीय मार्ग की कुल लम्बाई 8 कि.मी.	3,60,000	3,60,000	3,60,000	3,60,000	3,60,000
पट्टीय मार्ग के दोनों तरफ (8.300 मटर) सुधारोपग हेतु	4,05,508	40,508	40,508	40,508	40,508
कॉमिंग हेतु राशि	42,88,400	-	-	-	-
खाद हेतु राशि	38,880	3,880	3,880	3,880	3,880
विवाह एवं रख-रखाव हेतु राशि	20,28,000	17,28,000	17,28,000	17,28,000	17,28,000
सड़कों / पट्टीय मार्ग के उखानन हेतु	4,00,000	4,00,000	4,00,000	4,00,000	4,00,000
हेल्थ सेक्योरिटी कॉम्प	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000
कुल राशि = 1,81,29,888	75,99,888	28,32,488	28,32,488	28,32,488	28,32,488

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिवोजना प्रस्तावक की सहायिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पट्टीय मार्ग से उत्पन्न धूल	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900

उत्सर्जन के निर्वहन हेतु जल विंडो, पट्टीय मार्ग की दोनों तरफ की कुल लम्बाई 280 मीटर, गड्ढों / पट्टीय मार्ग के संभारण हेतु एवं हेम्य प्रकल्प लेन						
पट्टीय मार्ग के दोनों तरफ (83 नम) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन वन) हेतु राशि	7,988	884	884	884	884
	पौंसिंग हेतु राशि	74,400	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	790	90	90	90	90
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	23,340	19,893	19,893	19,893	19,893
कुल राशि = 2,37,732		1,15,464	30,587	30,587	30,587	30,587

24. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिशिष्ट मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (पूजा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉर्पोरेट इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहायिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली तीन सस्ता खदानों को शामिल करते हुए, क्लस्टर हेतु कॉर्पोरेट इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से नियंत्रित करते जाने हेतु संचालक, संचालनालय, सीमिकी तथा सैनिकरी, इंदोली भवन, नया रावपुर अटल नगर, जिला - रावपुर (मलीसरा) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

25. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
48	2%	0.92	Following activities at nearby, Village-Demandikala	
			Plantation at Village Pond	12.11
			Total	12.11

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत ताजाब पर (आंगल, बड़ पीपल, नीम, आम, जर्जुन, बेर आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 132 नम पौधों के लिए राशि 12,032 रुपये, पौंसिंग के लिए राशि 88,000 रुपये, खाद के लिए राशि 990 रुपये,

Handwritten signature

सिंचाई तथा सड़क-सड़क आदि के लिए राशि 2,68,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि में कुल राशि 1,43,022 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 8,88,312 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वाम पंचायत दुम्हायरीकला के सहायता तत्वांत कयायोग स्थान (खसरा क्रमांक 804, क्षेत्रफल 0.267 हेक्टेयर में से 0.052 हेक्टेयर) को संस्था में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

27. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुए जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किंचे जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध बनाकर जानकारी प्रस्तुत की गई है।
28. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अर्बन एवं रीजलर सहित नक्शे में दर्शाते हुए पुनर्विधित कर प्रस्तुत किया गया है।
29. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबन्धन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
30. मार्च 2020 से जून 2020 एवं जुलाई 2020 के उपरान्त किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
31. नईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर राशन क्लारेशन किंचे जाने एवं रोहित चौकी का सलवाईंग रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किंचे जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत कालगुड़ी गिल्लरी द्वारा सीनाकॉन का कार्य सुनिश्चित किंचे जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
33. कंट्रोल स्टास्टिंग किंचे जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
34. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा शर्तियों के समझ दिये गये अवधान को पूरा करने हेतु समझ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
35. उल्लेखित आदर्श पुनर्विधित नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु समझ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकल्प देर के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.का. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्तरादन का प्रकल्प ललित नहीं है।
38. अपनी मिट्टी को लीज क्षेत्र को बाहर संकरित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुसुपयोग न करने, विषय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किंचे

जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनर्भारण कार्य में किये जाने बाबत समय पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर उचित संशोधित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाएगा।

39. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं कुआरोपण कार्य को नॉनटैरिग एवं पर्यवेक्षण हेतु कि-प्लीज समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं कुआरोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित कि-प्लीज समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

40. माननीय एन.जी.टी., सिविलियल सेवा, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च एम्प्लेड विलेज भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजिनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-दुमराडीहकला) को मिलाकर इस क्लस्टर हेतु कुल खदानों का क्षेत्रफल 41.000 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की गनी गयी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2008 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की राखनन प्रतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की संकलन हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करके हूये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संघालक, संघालनकलय, भौतिकी तथा खनिकन, इंद्रावती नगर्, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के साथ से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
3. एस.ई.ए.टी., छत्तीसगढ़ की बैठक में प्रस्तुतीकरण के दौरान जारी गई वार्षिक जनकर्मियों/दस्तावेजों/अभिलेखों (साल क्रमांक 29 से 38 तक) को एस.ई. आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त अनुमति की जाती है।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स श्री विजय अग्रवाल (प्रै.-श्री विजय अग्रवाल) को ग्राम-दुमराडीहकला,

तहसील व जिला-रजनांदगांव के चार्ट ऑफ सारत क्रमांक 103/5 में स्थित
पूना पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.48 हेक्टेयर, अमला-7,000 टन
प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-02 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिव
जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रियामें (एच.आई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को
तदनुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स नास्ति स्टोन इंस्टर (जी.-बी दूर्गेश पाम्पेटेय, लोटागपात ऑर्डिनेरी
स्टोन माईन), ग्राम-लोटागपात, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया
(सचिवालय का नक्शे क्रमांक 2102)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एमआईए /सीजी /एचआईएन
/202201/2022, दिनांक 08/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन
किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मायारंग पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है।
खदान ग्राम-लोटागपात, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया स्थित सारत क्रमांक 52,
54, 58 एवं 65, कुल क्षेत्रफल-1.89 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित
उत्खनन अमला-41,287 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.आई.ए.सी, छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक
04/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दूर्गेश पाम्पेटेय, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती,
प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में
पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनाधिकृत प्रस्ताव पत्र - उत्खनन एवं उत्तर की स्थापना की
संधि में ग्राम पंचायत जगतपुर का दिनांक 31/01/2019 का अनाधिकृत प्रस्ताव
पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान, इनवाइरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एवम् क्वारी
करोडर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला-कोरिया के
ज्ञापन क्रमांक 249/खनिज/उत्खनन/2022, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक
17/06/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्पोरल कलेक्टर (खनिज सारत),
जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 283/खनिज/उ.प./2022, कोरिया बैकुण्ठपुर,
दिनांक 01/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर
अस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.7 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्पोरल
कलेक्टर (खनिज सारत), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 264/खनिज/उ.प./
/2022, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 01/07/2022 द्वारा जारी प्रस्ताव पत्र
अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र नहीं

नदिर, मरिजद, ननघर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बाघ एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. एल.जी.आई. संबंधी विवरण — एल.जी.आई. गैलरी मासिक स्टोन अंशर के नाम पर है जो कार्यालय कार्पेकटर (खनिज सख्त), जिला-कोरिया के डायन क्रमांक 130/खनिज/रा.प./सीटानगर/2022/कोरिया, बैकुलपुर, दिनांक 18/05/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी कक्षा जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि हेतु वैध है।
7. भू-स्वामित्व — भूमि अक्षा क्रमांक 52, 58 एवं 65 की सिधेन्द्र कुमार चामड़ेय तथा अक्षा क्रमांक 54 की सीतल लाल चामड़ेय के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनाधिकृत प्रमाण पत्र — कार्यालय वनसम्पदाधिकारी, कोरिया वनसम्पदा, बैकुलपुर के डायन क्रमांक/वा.वि./2019 ईकुलपुर, दिनांक 01/10/2018 को जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 500 मीटर की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आबदी घास-सीटानगरा 600 मीटर, स्कूल घास-सीटानगरा 700 मीटर एवं अस्पताल चामड़न 4.90 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.85 कि.मी. एवं राजमार्ग 18.85 कि.मी. दूर है। बाघ 350 मीटर, लालव 700 मीटर, नहर 740 मीटर, मौसमी नाल 1.1 कि.मी. एवं हार्बेय नदी 11.30 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोन्चुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होगा प्रतिबंधित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण — लिसेलॉजिकल रिजर्व 8,38,040 टन, साईनेबल रिजर्व 2,36,820 टन एवं निकलनेबल रिजर्व 2,21,820 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा बट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,378 वर्गमीटर है। औपन कान्ट सीमा मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,917.5 घनमीटर है, जिसमें से 2,128 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (साईन बाउन्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर पुनर्स्थापन के लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष 789.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर साहमति प्राप्त भूमि में संरक्षित किया जाएगा। औवर बर्डेन की मोटाई 2.75 मीटर एवं मात्रा 32,082.5 घनमीटर है, जिसमें से औवर बर्डेन का उपयोग रेत एवं डील रोड में किया जाएगा एवं शेष औवर बर्डेन को लीज क्षेत्र के बाहर साहमति प्राप्त भूमि में संरक्षित एवं भण्डारित किन्हे जाने बाक्य सख्त पत्र प्रस्तुत किया गया है। रेत की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अंतर स्थानित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक डीपर से ड्रिनिंग एवं कंट्रोल स्टारिंग किया

जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रकाच किया जाएगा।
पर्यावरण प्रस्तावित उल्लंघन का निरन्तर निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उल्लंघन (टन)
प्रथम	40,898
द्वितीय	40,738
तृतीय	41,057
चतुर्थ	41,177
पंचम	41,297

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.75 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत एवं बीरोपल के माध्यम से की जायेगी। इस वास्तु ग्राम पंचायत का अनाभूति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल वाटरवर्क बोर्ड अखीरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में कार्य क्षेत्र 7.5 मीटर की पट्टी में 838 वन वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 7,535 रुपये, कीमिंग के लिए राशि 1,10,000 रुपये, खाद के लिए राशि 13,900 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,75,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,08,835 रुपये जमाने की हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 7,88,900 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण हेतु परियोजना के दौरान सड़की/पट्टी मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु जल सिंक्रकाच के लिए राशि 50,000 रुपये प्रतिवर्ष आगामी चार वर्षों हेतु विवरण प्रस्तुत किया गया है।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी लीज पट्टी में उल्लंघन - लीज क्षेत्र के कार्य क्षेत्र 7.5 मीटर की लीज पट्टी में उल्लंघन कार्य नहीं किया गया है।
16. गैर वाइनिंग क्षेत्र - लीज क्षेत्र में सड़की होने के कारण 860 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर वाइनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित वाइनिंग प्लान में किया गया है।
17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति को सख्त विचार से चर्चा करता निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
21.45	3%	0.42	Following activities at nearby, Village-Jagatpur	
			Plandation with fencing in periphery of village pond area	1.60
			Total	1.60

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के घातों और (आम एवं जानमु) कुआरोंपन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसूचक 40 का पीछे के लिए राशि 1,000 रुपये, पर्सिंग के लिए राशि 4,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई एवं सब-सहाय आदि के लिए राशि 20,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 26,000 रुपये प्रदान की हेतु एवं सब-सहाय हेतु कुल राशि 1,24,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत जगतपुर के सहमति उपरोक्त प्रस्ताविका स्थान (खसरा क्रमांक 474) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
19. और बर्तन की लीज क्षेत्र के बाहर सम्पन्नित करने हेतु ग्राम-जगतपुर, खसरा क्रमांक 747/2, भुखानी-बी नुकसयन सिंह एवं ग्राम-लोटाणवात, खसरा क्रमांक 46 एवं 63, भुखानी-बी नुकसयन सिंह एवं ग्राम-लोटाणवात, खसरा क्रमांक 58, भुखानी-बी सिधेन्द्र कुमार नामदेव का सम्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. अपनी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेपटी जल में 1 मीटर की ऊंचाई तक तथा क्षेत्र अपनी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर गैर माईनिंग क्षेत्र में संरक्षित कर संरक्षित रखने हेतु, विज्ञाप एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःप्राप्त हेतु किये जाने तथा सम्पन्नित क्षेत्र अपनी मिट्टी का विविधन कर्ता/अधिकारी को उनके नियंत्रण/इमन के दौरान नियंत्रण कराये जाने बाबत सम्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सचन कुआरोंपन किये जाने एवं सेपिट पीछे का सर्वेडैबल नेट (Survival net) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्य पत्र प्रस्तुत किया गया है।
22. घसीकनड आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को योग्यता के आधार पर रोजगार में प्राथमिकता दिये जाने हेतु सम्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. खदान में सचर उल्लंघन हेतु कम लीजटा मुक्त प्लारिस्टिंग का कार्य सी.जी.एम.एम. द्वारा अधिकृत एवं पंजीकृत प्लारिस्टिंग विरोधक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत सम्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. माईनिंग लीज क्षेत्र में क्युजिटिव डस्ट उत्तरजन के सचर किन्दुओं/स्थानों पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमित जल सिंचकाल कराये जाने बाबत सम्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. माईनिंग लीज क्षेत्र में खनिज निम्नों के अनुसूच सीमांकन कराकर खदान की सीमा में निम्नानुसार स्तंभ स्थापित कराये जाने बाबत सम्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. माईनिंग लीज क्षेत्र से किसी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्तरजन होता है तो) का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, नदी, नाला, तालाब आदि में नहीं किया जाएगा इस बाबत सम्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना प्रस्तावक पर प्रस्तावित खदान के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई न्यायालयीन प्रकरण दंड के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है इस बाबत सम्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।



28. परिचयनाम प्रस्तावक पर भारत सरकार, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना क्र.आ.आ.आ.आ. (अ), दिनांक 14/08/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लक्षित न होने के बावजूद राज्य पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में सुधारपूर्ण कार्य के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु डि-पब्लिक समिति (ग्राम/गाँव/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसंधारण पर्यवेक्षण संयोजन मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में सुधारपूर्ण कार्य पूर्ण करने के उपरांत गठित डि-पब्लिक समिति को संचालित करना जाना आवश्यक है।

30. मानवीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजनल एपिलिकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को प्रस्तुत आदेश में कुछ रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (अभिलेख संख्या), जिला-कोरिया के ग्राम क्रमांक 283/अभिलेख/अ.न./2022, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 01/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.7 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (ग्राम-लोटागवाहा) का क्षेत्रफल 1.89 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-लोटागवाहा) की मिलाकर कुल खदानों का क्षेत्रफल 4.59 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से आवेदक - मेसर्स वास्तु स्टोन डेवेलपर्स (प्री- सी दुर्गात पार्षद, लोटागवाहा ऑर्डिनेटरी स्टोन माईन), ग्राम-लोटागवाहा, तारसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया के खसरा क्रमांक 52, 54, 56 एवं 63 में स्थित वास्तुगत पत्थर (पीपल खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.89 हेक्टेयर, अमत्ता - 41,287 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-03 में वर्णित शर्तों के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया (एच.ई.आई.ए.ए.), जलसंधारण को संचालित सुनिश्चित किया जाए।

4. मेसर्स चण्डाचरण देवांगन (भाटागांव सोईल/ऑर्डिनरी वले क्वारी), ग्राम-भाटागांव, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नसी क्रमांक 2100)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीडी/ एम्आईएन/ 275252/2022, दिनांक 08/07/2022 द्वारा पत्राचारणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (ग्रीन खनिज) खदान एवं निम्न विभिन्न इट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-भाटागांव, तहसील व जिला-राजनांदगांव निम्न प्लॉट ऑफ खसरा क्रमांक 117 एवं 120, कुल क्षेत्रफल - 1.002 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अवैधित उत्खनन क्षमता-1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 03/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 16/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री चण्डाचरण देवांगन, प्रेपराइजर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित प्लॉट क्षेत्र में केवल मिट्टी उत्खनन का कार्य किया जाएगा एवं विभिन्न स्थापित नदी की जाएगी। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के सभ्य कोर्न में छुट्टि सुधार करने हेतु ऑनलाईन में ए.डी.एच. जारी करने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को कोर्न में छुट्टि सुधार करने एवं विभिन्न को हटाने हुए संशोधित अनुमतिपत्र माईनिंग प्लान ऑनलाईन में प्रस्तुत करने हेतु ए.डी.एच. (Additional Document Shortcoming) जारी करने के पश्चात् पश्चित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त अगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स धरमजयनंद शंभू माईन (पी-डी अधिक अयवाज), गमर चंदावत-धरमजयनंद, तहसील-धरमजयनंद, जिला-रायगढ़ (सचिवालय का नसी क्रमांक 2027)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीडी/ एम्आईएन/ 209228/2022, दिनांक 18/05/2022 द्वारा पत्राचारणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमिषी होने से द्वारा दिनांक 26/05/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पश्चित जानकारी दिनांक 11/07/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित पेट खदान (ग्रीन खनिज) है। यह खदान गमर चंदावत-धरमजयनंद, तहसील-धरमजयनंद, जिला-रायगढ़ निम्न खसरा क्रमांक 1277/1, कुल क्षेत्रफल-4.99 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन गोंड नदी से किया

खदान प्रस्तावित है। खदान की आवेदित वेत उत्खनन क्षमता - 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के डायन दिनांक 08/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 16/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 16/11/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अधिवर्ष करणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श करवाते सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी हुई वाकित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

8. मेकर्स चुनकट्टा साईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री कमल कुमार अहवाल), ग्राम-चुनकट्टा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (सचिवालय का पत्ता जनांक 1974)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एमआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 74234/2022, दिनांक 29/03/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में त्रुटियाँ होने से डायन दिनांक 06/04/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वाकित जानकारी दिनांक 11/07/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चुनकट्टा (सीम क्वारी) खदान है। ग्राम-चुनकट्टा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 34/1, कुल क्षेत्रफल-1.58 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-30,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के डायन दिनांक 09/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 16/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अशरी अहवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनारपित प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चुनकट्टा का दिनांक 09/08/2022 का अनारपित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. उत्खनन योजना - काशी प्वाण प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक, जिला-दुर्ग के द्वारा क्रमांक 1807/खनि. अनु-01/2022 दुर्ग, दिनांक 29/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के द्वारा क्रमांक 204/खनि.लि.02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 11/08/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 29 खदानें, क्षेत्रफल 82.018 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के द्वारा क्रमांक 204/खनि.लि. 02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 11/08/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, अस्पताल एवं पेल लाईन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - भूमि आवेदक के नाम पर है। एल. ओ.आई. की कमल कुमार अग्रवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के द्वारा क्रमांक 1874/खनिज./उप./2022 दुर्ग, दिनांक 28/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमन्त्रालयिकारी, दुर्ग वनमन्त्रालय, दुर्ग के द्वारा क्रमांक./तक.अधि./2021/4683 दुर्ग, दिनांक 30/10/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 30 कि.मी. से अधिक की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी घन-घुसकटा 180 मीटर, कुल घन-घुसकटा 600 मीटर एवं अस्पताल घन-संतुद 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। तालाब 385 मीटर दूर है।
10. परिस्थितीकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संघीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरिचली पील्सुटेड एरिया, परिस्थितीकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
11. खान संपदा एवं खान का विकास - जिन्सोर्जीजिअल रिजर्व 3,09,880 टन, माईनेबल रिजर्व 1,38,820 टन एवं विकल्पेबल रिजर्व 1,17,738 टन है। सीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,078 वर्गमीटर है। ओपन काल्ट लेमी मैकेनाइज्ड मिनि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। सीज क्षेत्र में खपटी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 7,668 घनमीटर है। क्षेत्र की चौड़ाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। सीज क्षेत्र में उत्खनन स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से डिजिटल किया जाएगा एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण



हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षाव प्रभावित परखनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित परखनन (टन)
प्रथम	20,000
द्वितीय	20,000
तृतीय	25,200
चतुर्थ	25,200
पंचम	20,200

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, कुआरीपन) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निम्नलिखित खदानों में एकत्रित जल एवं पेम्पहाउस की आपूर्ति सेनामल से मायम से की जाएगी। नू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल प्रायण्ड सीटर अक्टिविटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।
13. कुआरीपन कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,200 मग कुआरीपन किया जाएगा।
14. गैर माईनिंग क्षेत्र - लीज क्षेत्र में लीज क्षेत्र से समीप आवासीय भवन एवं सड़क मार्ग होने के कारण 1,200 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान किया गया है।
15. प्रस्तुतिकरण से वीरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में आरेखर केसर्स की विकास अघकास (रकबा 3.00 हेक्टेयर एवं 1.00 हेक्टेयर) में जाने वाली समस्त खदानों को कन्स्टर में शामिल करते हुए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य अक्टूबर 2021 से दिसम्बर 2021 के मध्य किया गया था। तासमय बेसलाईन डाटा कलेक्शन की सूचना की गई थी। कार्यलय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-दुर्ग द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों में उक्त खदान का उल्लेख है। उक्त आवेदित खदान उक्त कन्स्टर का भाग है, जिसके लिए ई.आई.ए. स्टडी पूर्व में की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकत्रित बेसलाईन डाटा का उपयोग कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुमोद किया गया है। उक्त से सन्धि सहमत हुई।
16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में परखनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 8,078 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 988 वर्गमीटर क्षेत्र 11 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है। उक्त प्रतिबन्धित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में परखनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उत्तरांन है।
17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलसन्तु परिधान मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीन लीज माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 11B (2) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt

shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

एक मात्रक वर्ग से अनुमान साईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेप्टी जॉन में कुशाह्वयन किया जाना आवश्यक है।

18. भारतीय एन.सी.टी., डिप्लोमट क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा कार्पेट फार्मिंग विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एपिलिकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आवेग से मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEMA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विचारित उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्पोरल कॉलेक्टर (खनिज मामलों) जिला-दुर्ग के डायन क्रमांक 204/खनिजि, 02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 11/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 29 खदानें, क्षेत्रफल 52.018 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (खान-बुनकट्टा) का एका 1.58 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (खान-बुनकट्टा) को मिलाकर कुल एका 53.608 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का बराबर निर्मित होने के कारण यह खदान "बी" श्रेणी की मानी गयी।

2. साईन लीज क्षेत्र के घनो और 7.5 मीटर चौड़े सेप्टी जॉन के कुछ भाग में किये गये परखनन के कारण इस क्षेत्र के उचित उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर साईनिंग किनारबन्धनों के कारण उत्पन्न प्रदूषण निवृत्तन हेतु आवश्यक उपायों तथा कुशाह्वयन आदि के लिये समुचित उपायों को किनारबन्धन कठाने बाबत संचालक, संचालनालय, सीमिडी तथा खनिकर्मी, इलाहाबाद मयन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अधिक परखनन किया जाना चाहे जाने पर जॉन उपरोक्त निम्नानुसार आवश्यक कार्रवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, सीमिडी तथा खनिकर्मी को एवं पर्यावरण की क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को निम्नानुसार आवश्यक कार्रवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विचारित उपरोक्त सर्वसम्मति से प्रकरण "बी" श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्न्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) पॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट पॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिजायरींग इन्फ्रास्ट्रक्चर क्लीयरेंस अन्डर ई.आई.ए. नॉटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) गीन डीज साईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई:-

- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- iv. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- v. Project proponent shall submit the NOC from Central Ground Water Authority for uses of water.
- vi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- vii. Project proponent shall submit the copy of panchname and photographs of every monitoring station.
- viii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- ix. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- x. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xi. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 504(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02-08-2017.



- 6b. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.

राज्य स्तरीय पर्यावरण ज्ञान आकलन आधिकारण (एच.ई.आई.ए.ए.), जयपुर के कानूनानुसार सूचित किया जाए।

7. वेस्टर्न मुडफार लाईन स्टॉन क्वारी (श्री.- श्री कमल कुमार अग्रवाल), ग्राम-मुडफार, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ली क्रमांक 2029)

ऑनलाईन आवेदन - इफोयल नम्बर - एचआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77077 / 2022, दिनांक 19/06/2022 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन से कनिची होने से आपन दिनांक 27/06/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सूचित जानकारी दिनांक 11/07/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना पत्थर (नीम खनिज) खदान है। ग्राम-मुडफार, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 510/2, 522, 523/1, 523/2, 524/1, 524/2, 525/2, 526(पाटी), 527(पाटी), 531, 532, 535, 536/1(पाटी), 536/2, 540(पाटी), 541, 542/1 एवं 542/2, कुल क्षेत्रफल-3.75 हेक्टेयर में अवस्थित है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-60,000 टन प्रतिवर्ष है।

कानूनानुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., जयपुर के आपन दिनांक 08/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बीटक का विवरण -

(अ) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 16/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आदर्श अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्पादन के संबंध में ग्राम पंचायत मुडफार का दिनांक 23/03/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्पादन स्वीकृति - जारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो ग्राम-मुडफार, जिला-दुर्ग से आपन क्रमांक 109/खनि. अनु-01/2022 दुर्ग, दिनांक 28/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग से आपन क्रमांक 202/खनि. लि.02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 11/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 29 खदानें, क्षेत्रफल 42.548 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग से आपन क्रमांक 202/खनि. लि.

62/खनिज/2022 दुर्र, दिनांक 11/04/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एकड़ खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, नगरपालिका, अस्पताल एवं रेल लाईन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. एल.ओ.आई, संबंधी विवरण - एल.ओ.आई, श्री कमल कुमार अग्रवाल के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्व), जिला-दुर्र के प्रमाण क्रमांक 26/खनिज/रा.प./2022 दुर्र, दिनांक 08/04/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि ससत क्रमांक 522, 524/2, 525/2 बीघा की सीमा एवं क्षेत्र ससत क्रमांक आरेख के नाम पर है। प्राखनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापरित प्रमाण पत्र - कार्यालय वनस्पत/सहायिका, दुर्र वनस्पत, दुर्र के प्रमाण क्रमांक/तक.अधि./2021/4553 दुर्र, दिनांक 30/10/2021 से जारी अनापरित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 30 कि.मी से अधिक की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-मुहम्मद 270 मीटर, स्कूल ग्राम-मुहम्मद 270 मीटर एवं अस्पताल ग्राम-सेलुड 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। तालाब 800 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संघीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित डिस्ट्रिक्टली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. खनन संघटा एवं खनन का विवरण - डिस्ट्रिक्ट/जिला रिजर्व 18,75,000 टन, माईनेबल रिजर्व 8,82,752 टन एवं निकटवर्ती रिजर्व 8,88,477 टन है। लीज की 1.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी (प्राखनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 9,882 वर्गमीटर है। जोवन कास्ट लेनी मैकेनाइज्ड विधि से प्राखनन किया जाएगा। प्राखनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल गांवा 13,827 वर्गमीटर है। क्षेत्र की लंबाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की घोषित आयु 11 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खनन स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जीक हेमर से क्लिफिंग किया जाएगा एवं ब्लॉकिंग नहीं किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिस्टम किया जाएगा। वर्षावन प्रस्तावित प्राखनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित प्राखनन (टन)
प्रथम	60,000
द्वितीय	60,000
तृतीय	60,000
चतुर्थ	60,000
पंचम	60,000

13. जल आपूर्ति - परिष्करण हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल शिफ्टिंग, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आवश्यक निम्न निम्नलिखित खदानों में एकत्रित जल एवं वेस्टवॉटर की आपूर्ति कोलोन के माध्यम से की जाएगी। न्यू-जल की उपयोजिता हेतु सेंट्रल इन्फ्रस्ट्रक्चर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

14. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 2,500 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. गैर माइनिंग क्षेत्र - लीज क्षेत्र के निकट आवासीय भवन के कारण 4,968 वर्गमीटर क्षेत्र को एवं लीज क्षेत्र के निकट लालव होने के कारण 432 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है। साथ ही चौड़ाई कम होने के कारण 8,920 वर्गमीटर क्षेत्र में 14 मीटर की गहराई तक उत्खनन उपरत 8 मीटर गहराई के खनिज उत्खनित नहीं होने के दृष्टिगत गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है। जिसका उल्लेख क्वारी प्लान में किया गया है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परिष्करण जगतलक द्वारा बताया गया कि पूर्व में आवेदक केसर्स श्री विकास अग्रवाल (रकबा 3.08 हेक्टेयर एवं 1.88 हेक्टेयर) में खाने वाली कलश खदानों को क्लस्टर में शामिल करते हुए बेसलाइन डाटा कलेक्शन का कार्य अक्टूबर 2021 से दिसम्बर 2021 के मध्य किया गया था। उत्तमम बेसलाइन डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-दुर्ग द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों में उक्त खदान का उल्लेख है। अतः आवेदित खदान उस क्लस्टर का भाग है, जिसके लिए ई.आई.ए. स्टाडी पूर्व में की गई थी। परिष्करण प्रस्तावक द्वारा उक्त एकत्रित बेसलाइन डाटा का उपयोग कर ई.आई. ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुपेक्ष किया गया है। उक्त से समिति सहमत हुई।

18. मानवीय एन.डी.टी., डिविजल बैंक, नई दिल्ली द्वारा सर्वेक्ष चार्टर्ड विस्डू थारु सनकार, पर्यावरण, इन और जलवायु परिवर्तन संश्लेष, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजिनल दृष्टिकोण नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुक्त रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEMA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP to made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपराल सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-दुर्ग के दायन क्रमांक 302/खनि. डि. 02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 11/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 29 खदानें, क्षेत्रफल 48,848 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-मुड़वार) का रकबा 3.75 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-मुड़वार) को मिलाकर कुल रकबा 53,898 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से

500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संघीय खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कन्सन्ट निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की नहीं गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्भवि से प्रकरण 'बी' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2016 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज निस्कायरींग इन्फार्मरैट कमीशनेस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीचे काल गार्डनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई:-

- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- iii. Project proponent shall submit the copy of agreement for land owner.
- iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vi. Project proponent shall submit the NOC from Central Ground Water Authority for uses of water.
- vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- x. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

- xii. Project proponent shall submit CEM proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.

राज्य सार्वजनिक पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) चर्चीलपत्र को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेकर्स जय भी काली स्टोन क्वार (हमिनापुर कोर्डिनरी स्टोन क्वारी, पो-बी सुरेश कुमार श्रीवास्तव) ग्राम-हमिनापुर, तहसील-कनौदगढ़, जिला-कोरिया (समिन्हालय का नस्ती क्रमांक 2100)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीसी / एमआईएन / 80088 / 2022, दिनांक 12/07/2022 द्वारा टी.बी.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चालक पत्थर (ग्रीन स्लैब) खदान है। खदान ग्राम-हमिनापुर, तहसील-कनौदगढ़, जिला-कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 15, खुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-15,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., चर्चीलपत्र को ज्ञापन दिनांक 04/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 16/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 16/11/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि संचित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। आज आगामी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुत्तर दिया गया है।

समिति द्वारा विचार किया उपरोक्त सर्वसम्बन्धि से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई संचित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण विवेक जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेकर्स ओटोबंद लाईकस्टोन माईन (पो-बी दिलीप जैन), ग्राम-ओटोबंद, तहसील-भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (समिन्हालय का नस्ती क्रमांक 1622)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीसी / एमआईएन / 204823 / 2021, दिनांक 20/03/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमिटी होने से ज्ञापन क्षमता दिनांक 28/03/2021 एवं 20/12/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा संचित जानकारी क्रमांक दिनांक 13/12/2021 एवं 13/07/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (ग्रीन स्लैब) खदान है। खदान ग्राम-ओटोबंद, तहसील-भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा स्थित खसरा

क्रमांक 22/1, कुल क्षेत्रफल-3.078 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उद्योगन क्षमता-28,217.84 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रामाणिक दिनांक 09/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बीठक का विवरण -

(अ) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 18/11/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु की विलीन जैन, प्रोपराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

1. पूर्व में पूरा चत्तर खदान खाना क्रमांक 22/1, कुल क्षेत्रफल-3.078 हेक्टेयर, क्षमता - 28,101.10 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभायाल निर्धारण प्रधिकरण, जिला-बलीदासखान-नाटापाना द्वारा दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"3A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 09/01/2023 तक वैध होगी।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में आवेदन दिनांक 04/07/2022, 17/07/2022 एवं 28/10/2022 को किया गया है, जो आज दिनांक तक अद्यतन है। साथ ही पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर में आवेदन दिनांक 30/09/2022 को किया जाना बताया गया है। अतः समिति का मत है कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर अक्षांत क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. निर्धारित शर्तानुसार पूरायोजना नहीं किया गया है।

- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटाघरा के ज्ञापन क्रमांक 415/ख.सि./2022 बलीदाबाजार, दिनांक 18/07/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017-18	33,099
2018-19	31,730
2019-20	20,720
2020-21	20,300
2021-22	2,800

- v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटाघरा द्वारा जारी उपरोक्त ज्ञापन पत्र अनुसार वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की उत्खनन क्षमता - 28,101.1 टन प्रतिवर्ष से अधिक उत्खनन किया जाना पाया गया है। इस संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि विगत वर्षों में किये गये उत्खनन संबंधी जानकारी विगत वर्षों में होने के कारण पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन क्षमता से अधिक प्रतिबद्धित हो रही है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी पर्याप्त खनिज विभाग से प्राप्त कर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करती हुए जानकारी पुनः प्रस्तुत किया जाना बताया गया है।
2. ग्राम पंचायत का अनाधिकृत प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत ओटेबंद का दिनांक 28/01/2008 का अनाधिकृत प्रमाण पत्र 10 वर्ष हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तुत ग्राम पंचायत के अनाधिकृत प्रमाण पत्र की वैधता वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। अतः उत्खनन एवं उत्तर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनाधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 3. उत्खनन योजना - जारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एवं जारी करीजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उन संघदायक (खनि प्रशासन), जिला-बलीदाबाजार-भाटाघरा के ज्ञापन क्रमांक 1124/ख.सि./सिन-1/2018 बलीदाबाजार, दिनांक 05/10/2018 द्वारा अनुमोदित है।
 4. 500 मीटर की परिधि में निम्नत खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटाघरा के ज्ञापन क्रमांक 415/ख.सि./2022 बलीदाबाजार, दिनांक 18/07/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की मीटर अंतर्निहित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
 5. 200 मीटर की परिधि में निम्नत सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटाघरा के ज्ञापन क्रमांक 415/ख.सि./2022 बलीदाबाजार, दिनांक 18/07/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मण्डप, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल अयुक्ति आदि प्रतिबद्धित क्षेत्र स्थित नहीं है।
 6. भूमि एवं लीज का विवरण - यह सार्वजनिक भूमि है। लीज की विधीय लीज के नाम पर है। लीज क्षेत्र 10 वर्षों अवधि दिनांक 28/04/2008 से 28/04/2018 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज क्षेत्र 20 वर्षों

अर्थात् दिनांक 28/04/2018 से 28/04/2028 तक की अवधि हेतु वितरित की गई है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापरित प्रमाण पत्र – कार्यालय वन कण्डलाखिवाड़ी, रावपुर वनकण्डल, जिला-रावपुर के ज्ञान प्रमोद/स.वि./8/588 रावपुर, दिनांक 08/03/2008 द्वारा जारी अनापरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. सड़कपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी घास-ओटेबंद 2 कि.मी., सड़क घास-ओटेबंद 2 कि.मी. एवं अल्पतम मातापता 23 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 17.5 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 2.2 कि.मी. दूर है। हासका मुम्बाई गैल लाईन 240 मीटर एवं रेलवे स्टेशन-निपनिया 12 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संबंधनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, राष्ट्रीय स्तूपम निर्माण क्षेत्र द्वारा घोषित क्रिटिकली बॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संबंधनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जिब्रोनीटिकल रिजर्व 3,18,283 टन, साईनेबल रिजर्व 2,18,228 टन एवं निकलनेबल रिजर्व 1,88,408 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी (खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,004.98 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी सेलेनार्डोस स्थिति से खनन किया जाता है। खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी चट्टी / ओवर बर्डन की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 7,318.41 घनमीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की सम्पत्ति आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में उत्तर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1,800 वर्गमीटर है। जैक डैमर से डिज़ॉलिन एवं कंट्रोल ब्लॉकिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का चिकनाई किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित खनन (टन)
प्रथम	15,553.88	षष्ठम	28,317.94
द्वितीय	28,101.50	सप्तम	18,329.48
तृतीय	21,302.35	अष्टम	18,304.38
चतुर्थ	20,783.62	नवम	11,738.81
पंचम	20,528.11	दशम	19,488.88

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोल्डेल के माध्यम से की जाती है। सू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल प्रालम्भ वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चट्टी में 450 नव वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा चट्टी में वृक्षारोपण हेतु पीछे का रोपण, पेंसिंग, खाद एवं

सिंचाई तथा रक्ष-रक्षा के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विलुप्त प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उल्लंघन - जीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5,004.98 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 415.14 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई एवं 541.26 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक उल्लंघित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित खारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उल्लंघन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विलुप्त निमानुसार आवश्यक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिहारन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जीज कोल माइनिंग प्रॉजेक्ट हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 5(11) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माइन जीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े लेनटी जोन में कृषारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. समिति द्वारा नसी, इसलुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रस्तुत अनुमोदित खारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एवम् खारी क्लोजर प्लान के कॉन्सेप्टुअल प्लान एवं प्रोसेसिंग माइन क्लोजर प्लान में खार क्षेत्र का क्षेत्रफल जीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उल्लंघन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में परस्पर ओवर लैप (Overlap) कर दर्शाया गया है, जबकि अनुमोदित खारी प्लान के रिजर्व की गणना (Chapter 4) में 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उल्लंघन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) एवं खार का क्षेत्रफल निम्न-निम्न दर्शाया गया है। समिति का मत है कि 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उल्लंघन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़कर, जीज क्षेत्र में खार के क्षेत्रफल को प्रतिबंधित करते हुए रिजर्व की वार्षिक गणना कर संबंधित अनुमोदित खारी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समतुल्य विलुप्त प्रस्ताव एवं प्रस्तावित लक्ष्य के प्रायोज (Intascope) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत कृषारोपण हेतु पीपी का रोपण, मुक्का हेतु सेडिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रक्ष-रक्षा के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समग्रवार व्यय का विवरण सहित विलुप्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिहारन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर अथवा क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तरीसखर पर्यावरण

संरक्षण मंडल, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबंदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. निम्न वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी सर्वप्रथम खनिज विभाग से प्राप्त कर वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की उत्खनन शर्तों - 28.101.1 इन प्रतिवर्षों से अधिक उत्खनन किये जाने के संबंध में विधि स्पष्ट करती हुए जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनन एवं उत्तर की स्थापना के संबंध में राम पंचायत का अखतम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. जमीन मिट्टी के रख-रखाव हेतु जमीन मिट्टी की प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जमीन मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का पुनर्स्थापन न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों से उपरोक्त नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्स्थापन हेतु किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पीछी का रोपण, कीसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पर्यवेक्षण व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को पर्यवेक्षण एवं लीज क्षेत्र में उत्खनन के क्षेत्रफल की प्रतिबंधित करती हुए नियंत्रण की वास्तविक गणना कर संबंधित अनुमोदित जमीनी प्लान प्रस्तुत किया जाए।
7. सीईओएन के तहत वृक्षारोपण हेतु पीछी का रोपण, सुखा हेतु कीसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पर्यवेक्षण एवं सतवहार व्यय का विवरण सहित उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहयोग पत्र प्रस्तुत किया जाए।
8. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुसार निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करती हुए पीछी में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछी के नाम का पर्यवेक्षण किया जाकर फोटोग्राफस सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने बाबत सत्य पत्र प्रस्तुत किया जाए।
9. कंट्रील ब्लॉकिंग किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. प्राथमिक लीज क्षेत्र के अंदर सभ्य वृक्षारोपण किये जाने एवं संरक्षित पीछी का सतवहार नेट (Survival net) का प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निगरान्त कमरेक्षण नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बाउन्ड्री मिस्टरों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. पर्यवेक्षण आदर्श पुनर्स्थापन नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण दायर के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में अहित नहीं है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंशदंडित (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्तरापन का प्रकरण खरित नहीं है।

15. नाईन लीज क्षेत्र के भारी और 7.5 मीटर चौड़े रोडटी जोन के कुछ ढाग में खरित कडे उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के रजवारी उपायी (Remedial Measures) के संकेत में लख लीज क्षेत्र के अंदर नाईनिंग डिवाइसलपी के कलन सपन्न प्रदूषण के निरंजन हेतु आवश्यक उपायी कल कूलरुपण आदि के खरित समुचित उपायी कबलु संघालक, संघालनललल, भीमिडी ललल खनिकरुन, इंदरुगी भवन, नलल सवपुर अटल नगर, खरल - सवपुर (खलीसगड) को ढर लेख खरल जाए।

16. प्रतिखरित 7.5 मीटर चौडी सीमा ढरटी में अरुण उत्खनन ढरडे जाने ढर निरंजननुसार आवश्यक कार्रखडी खरिते जाने हेतु संघालक, संघालनललल, भीमिडी ललल खनिकरुन एवं ढर्यावरण को खरिते ढरुवाने हेतु खलीसगड ढर्यावरण संखलन मंडल, नलल सवपुर अटल नगर को निरंजननुसार आवश्यक कार्रखडी खरिते जाने हेतु लेख खरल जाए।

ढरियोजना प्रस्तावक को उपरोखल खरित जानकारी/ढस्तावेज खरिते ढरुन ढररुतीकरण खरिते जाने हेतु निर्देखलत खरल जाए।

ढरियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुखलत खरल जाए। सख ही एकीकृत क्षेत्रीय कलर्यालय, भारत सरकार, ढर्यावरण, वन एवं जलवायु ढरिवर्तन मंत्रालय, नलल सवपुर अटल नगर, संघालक, संघालनललल, भीमिडी ललल खनिकरुन एवं खलीसगड ढर्यावरण संखलन मंडल, नलल सवपुर अटल नगर को ढर लेख खरल जाए।

18. मंसल लाईन रटुन कवारी (खी- खी नरेल सीन), खल-ढीदेकलल, लललील व खरल-सवपुर (सखवललल कल नलली क्रमंक 2107)

खीनलाईन आवेदन - प्रवीजल नललर - एसआईए/ लीडी/ एनआईए/ 8088/2022, खरलंक 13/07/2022 द्वारा खी.खी.खर, हेतु आवेदन खरल नलल है।

ढस्ताव कल खरलरण - वलल खरलखरलत ढरुन ढरलर (गीन खरलख) खरलन है। खल-ढीदेकलल, लललील व खरल-सवपुर खरलत खरलल क्रमंक 129/1, 129/2 एवं 132, कुल क्षेत्रकल-2.004 हेक्टेवर में प्रलखरलत है। खरलन की आवेदलत उत्खनन कललत-32,250 टन प्रतिवरु है।

तदनुसार ढरियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, खलीसगड के खरलन खरलंक 09/11/2022 द्वारा प्ररुतीकरण हेतु सुखलत खरल नलल।

ढीठक कल खरलरण -

(ख) सखलत की 432वीं ढीठक खरलंक 16/11/2022:

प्ररुतीकरण हेतु खी अरुल ढरु, अरुलतुत प्रतिनलखलत खरलत। सखलत द्वारा नलली, प्ररुतुत खरलखरल कल अललखन एवं ढरलखन कलने ढर निम्न खरलतल ढरुई नरुई-

1. ढरुई में खरली ढरलखरणीय रवीकृती संखली खरलरण- इस खरलन की ढरुई में ढर्यावरणीय रवीकृती खरली नहीं की नरुई है।
2. ढरुल ढरखलत कल अललखलत ढरनलल ढर - उत्खनन के संकेत में खल ढरखलत ढीदेकलल कल खरलंक 24/04/2014 कल अललखलत ढरनलल ढरु प्ररुतुत खरलत सख



है। इस संकेत में समिति का मत है कि प्रस्तुत ग्राम पंचायत को अनामलि ग्राम पत्र में खसरा क्रमांक 129/2 का उल्लेख नहीं है। अतः समस्त छात्रों का उल्लेख करती हुए ग्राम पंचायत का अनामलि ग्राम पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** - क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संजुआ-संजालक (ख.उ.), संजालनालय, सीमिडी उच्च तकनीक, तथा रायपुर अटल नगर के आपन क्र.438/सिमि 02/भा.प.अनुसंधान/न.क्र.04/2019(2) तथा रायपुर, दिनांक 02/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-रायपुर के आपन क्रमांक 2017/ख.सि./सीम-8/2022 रायपुर, दिनांक 15/03/2022 के अनुसार अर्पणित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 8 खदानों, क्षेत्रफल 9.948 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-रायपुर के आपन क्रमांक 2017/ख.सि./सीम-8/2022 रायपुर, दिनांक 15/03/2022 द्वारा जारी ग्राम पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्जद, अस्पताल एवं पेय लाईन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई, संबंधी विवरण** - एल.ओ.आई की नरेंद्र सेन के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-रायपुर के आपन क्रमांक 854/ख.सि./सीम-8/स.प./2021 रायपुर, दिनांक 04/08/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी कैंपल जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक की। अतः एल.ओ.आई की कैंपल दृष्टि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. **भू-स्वामित्व** - भूमि खसरा क्रमांक 129/2 की सुरेश कुमार एवं सुषी सनेलवरी तथा खसरा क्रमांक 129/1 एवं 130 अर्पणिक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमती पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनामलि ग्राम पत्र** - लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वार्षिक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनामलि ग्राम पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** - निकटतम आबादी ग्राम-दीदीकला 800 मीटर एवं खूल ग्राम-दीदीकला 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 800 मीटर दूर है। कोलहन नाला 810 मीटर दूर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जीववैविधता संवेदनशील क्षेत्र** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिंटकी पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीववैविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
12. **खनिज संपदा एवं खनन का विवरण** - जिम्नोसिलिकस रिजर्व 13,82,700 टन, माईनेबल रिजर्व 8,01,274 टन एवं रिक्वैरेबल रिजर्व 4,78,210 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल



5,400 वर्गमीटर है। जीवन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 38 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 12,600 घनमीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की क्षमकित क्षमता 14 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अंतर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का उपकरण किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	35,250
द्वितीय	35,250
तृतीय	35,250
चतुर्थ	35,250
पंचम	35,250

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंक द्वारा राम पंचायत से संचालित की जायेगी। इस मात्रा राम पंचायत का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. कुशारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चट्टी में 1,400 मग कुशारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा चट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा चट्टी का कुल क्षेत्रफल 5,400 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 200 वर्गमीटर क्षेत्र की ऊपरी मिट्टी पूर्व से उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। अतः प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उत्सर्जन है। अतः जीव उपरोक्त निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोलेक्शन हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तों जारी की गई है। शर्त क्रमांक 5(a)(c) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन में कुशारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. सामग्री एन.जी.टी. डिस्ट्रिक्ट बैंक, नई दिल्ली द्वारा सशुद्ध पर्यावरण विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑनियनल रूलिंगेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुद्दा हम से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-



- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP to made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कर्नालख कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-रायपुर के इजाजत क्रमांक 2017/ख. रि./सीन-4/2022 रायपुर, दिनांक 15/03/2022 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 8 खदानें, क्षेत्रफल 9.948 हेक्टेयर हैं। आवंटित खदान (घाग-दीदीकला) का एकांक 2.004 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवंटित खदान (घाग-दीदीकला) को मिलाकर कुल एकांक 11.95 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संघनित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कवरेज निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. माईन सीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जॉन को कुछ मात्र में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र को उपयुक्त उपचारों (Remedial Measures) की संख्या में तथा सीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग विस्थापनसों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपचारों तथा कुशलतापूर्वक आदि के लिये समुचित उपचारों को क्रियान्वित कराने संबंधित संघालक, संघालनालय, भीमिकी तथा खनिकर्मी, इत्यादी मजदूर, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीज पट्टी में अतिस उत्खनन किया जाना चाहे जाने पर जॉन उपरोक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संघालक, संघालनालय, भीमिकी तथा खनिकर्मी को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से प्रकल्प 'बी1' कंटेनरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2016 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन (टीओआर) और ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एस्टीमेटेड निष्कासनीय इन्फ्रास्ट्रक्चर क्लीयरेंस अफ्टर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित सेजी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीचे काल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई—
 - i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
 - iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

- v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vi. Project proponent shall submit the NDC from Gram Panchayat for mining and incorporate the all khatsra in NDC.
- vii. Project proponent shall submit the NDC from Gram Panchayat for uses of water.
- viii. Project proponent shall submit the LOI extension copy.
- ix. Project proponent shall submit the NDC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
- x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xiii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण इलाय आकलन प्रतिकूल्य (एन.ई.आई.ए.ए.) उत्तीरुतुडु डु तदनुसर सुधितु डिवुडु डु।



एजेन्डा आइटम क्रमांक-3: परिवोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित व्यक्तिगत जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अगलौकिक परकाश विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेमर्स श्री जनक कुमार सोनवारी, ग्राम-बुढ़ियापाली, तहसील-करतला, जिला-कोरवा (सचिवालय का नसीब क्रमांक 1809)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एचआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 242222/2021, दिनांक 04/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमिटी होने से ज्ञापन दिनांक 14/12/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित व्यक्तिगत जानकारी दिनांक 03/03/2022 को प्राप्त हुई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित क्वार्टेज (सीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बुढ़ियापाली, तहसील-करतला, जिला-कोरवा स्थित खसरा क्रमांक 156, कुल क्षेत्रफल-3.605 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-37,600.02 टन प्रतिवर्ष है।

खदानदार परिवोजना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 412वीं बैठक दिनांक 28/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री निरुनाल सिंह राजपूत, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसीब, प्रस्तुत जानकारी का अगलौकिक एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बुढ़ियापाली का दिनांक 22/03/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - खानी प्लान एलीम किंग कार्टी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संघालक (खनि, प्रसा), संघालनालय, सीमित तथा खनिकर्ण, नवा रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 3647/माईनिंग-2/क्यू.पी./एच.नं.73/2015 तथा रायपुर, दिनांक 17/07/2018 द्वारा अनुमोदित है। तत्पश्चात् संयुक्त संघालक (खनिज प्रशासन), संघालनालय, सीमित तथा खनिकर्ण, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5332/खनि-2/क्वार्टेज/कोरवा/न.क्र.73/2015 तथा रायपुर, दिनांक 13/10/2021 द्वारा "जिला कोरवा, तहसील करतला के ग्राम बुढ़ियापाली स्थित खसरा नम्बर 156 के खाना 3.605 हेक्टेयर (8.809 एकड़) क्षेत्र पर खनिज क्वार्टेज का दिनांक 17/07/2018 को अनुमोदित उत्खनन योजना में संतोषन की आवश्यकता नहीं है" तथा उपरोक्त जारी पत्र (दिनांक 17/07/2018) में आंशिक संतोषन करते हुए पत्र जारी किया गया है।
4. 600 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्मालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरवा के ज्ञापन क्रमांक 5144/खनि-2/का./न.क्र./2007 कोरवा,

दिनांक 10/12/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर से नीचे अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निम्न है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कारखाना (खनिज सख्त), जिला-कोल्हा के डायन क्रमांक 6143/खलि-2/कख./न.ख./2007 कोल्हा, दिनांक 10/12/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एक खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रोड, पुल, रेललाइन, नहर, बांध, एनियट, भवन, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, मुरझान, वार्षिक स्नात एवं प्राकृतिक संरचनाएं जैसे नदी, नाला, झरनादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवीक्षण प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 15/02/2010 द्वारा आवेदित क्षेत्र के लिए क्वार्टर (मुख्य खनिज), खसरा क्रमांक 158, क्षेत्रफल 3.805 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 157, क्षेत्रफल 0.805 हेक्टेयर, कुल क्षेत्रफल 4.614 हेक्टेयर क्षेत्र पर 1 वर्ग की अवधि हेतु एल.ओ.आई. जारी की गई थी। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में संशोधन के तहत क्वार्टर को भी गौण खनिज की श्रेणी में शामिल किया गया। गौण खनिज घोषित करने से उपरोक्त पुनः आवेदन पत्र जारी किया जाना बताया गया।
7. भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - यह शासकीय भूमि है। एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग मंत्रालय, ग्वाल्दारी भवन, नया रायपुर के पु. डायन क्रमांक/एक 3-3/2011/12 रायपुर, दिनांक 08/09/2017 द्वारा जारी की प्रस्तुत हुई थी, जिसके अनुसार लीज क्षेत्र बड़े जंगल का जंगल है। तत्पश्चात् संशोधित एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग मंत्रालय, ग्वाल्दारी भवन, नया रायपुर अटल नगर के पु. डायन क्रमांक/एक 3-3/2011/12 नया रायपुर, दिनांक 08/09/2021 द्वारा जिला-कोल्हा, तहसील-कनकल, ग्राम-बुडियापाली के खसरा नंबर 158 के रकबा 3.805 हेक्टेयर क्षेत्र के संबंध में राज्यालय में भूमिहीन तथा खनिकर्म द्वारा प्रयोजित अधिकारी/भागीय खान खानों से उपरोक्तानुसार संशोधित उत्खनन योजना एवं पट्टा क्षेत्र में खान कार्य हेतु आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त कर इस विभाग को प्रस्तुत करें। का उल्लेख है। साथ ही उक्त पत्र में लीज क्षेत्र धरा भूमि होने का भी उल्लेख है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनाधिकृत प्रमाण पत्र - कार्यालय वनस्पतसचिवारी, कोल्हा वनस्पत जिला-कोल्हा के डायन क्रमांक/तख.ख./450 कोल्हा, दिनांक 22/01/2020 से जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 500 मीटर की दूरी पर है एवं आवेदित भूमि के नीचे 4 मग कलदार वृक्ष तथा 1 मग इनसली वृक्ष जीवित है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-बुडियापाली 500 मीटर एवं अस्पताल सोडागपुर 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. एवं राजमार्ग 4 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 8.5 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परिलेखना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संदीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली वॉल्यूटेड एरिया, पर्यावरणमित्रिय सर्वेक्षणित क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र निम्न नहीं होना प्रतिबंधित किया है।

12. खनन संघदा एवं खनन का विवरण — डिप्लॉयमेंटल रिजर्व 9,15,240 टन, माईनेबल रिजर्व 4,03,500 टन एवं रिक्वायरेबल रिजर्व 3,83,300 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,888 वर्गमीटर है। जीवन कास्ट लेनी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30.8 मीटर है। लीज क्षेत्र में खनी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं बाका 7,020.80 वर्गमीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। लीज क्षेत्र में ऊपर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक ईयर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्थापित किया जाएगा। खदान से वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रल किया जाएगा। वर्षाजल प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	36,100.04	षष्ठम	40,100.03
द्वितीय	36,200.06	सप्तम	40,200.04
तृतीय	36,300.08	अष्टम	40,300.06
चतुर्थ	36,400.07	नवम	40,400.07
पंचम	36,500	दशम	40,500

13. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कच्ची प्लान में लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,888 वर्गमीटर कारोबित है, जो कि खदान के कुल क्षेत्रफल 3,808 हेक्टेयर के अनुपात चरित प्रतीत नहीं होता है। समिति का मत है कि एकल के संबंध में स्पष्टीकरण सहित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. जल आपूर्ति — जल की आपूर्ति संबंध एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
15. वृक्षारोपण कार्य — लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 450 वन वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण हेतु पीछी का रोपण, सुकत हेतु कॅमिग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन — लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत वृक्षारोपण हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण हेतु पीछी, कॅमिग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समग्रवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
18. समिति का मत है कि प्रस्तावित लीज के परिधि में हरियरी का आवागमन होना पाने जाने अथवा नहीं? के संबंध में विविधता रखण प्राधिकारी (खाना मुद्रा वन

संरक्षक(ए.प्र.) सह मुख्य वन्यधारी) से अनपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. परिवर्जना प्रस्तावक द्वारा सड़क के तल 7.5 मीटर क्षेत्र में राधा कुशासेन किये जाने बाबत राधा पत्र (affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
20. आवेदित लीज क्षेत्र के भीतर 5 नग वृक्ष हैं। इस संबंध में परिवर्जना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवश्यकतानुसार उक्त वृक्षों की कटाई स्थल प्रधिकारी से अनुमति उपरोक्त ही की जाएगी। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में राधा पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. सड़क के तल 7.5 मीटर क्षेत्र में राधा कुशासेन किये जाने बाबत राधा पत्र (affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
2. आवेदित लीज क्षेत्र के भीतर 5 नग वृक्ष हैं। आवश्यकतानुसार उक्त वृक्षों की कटाई हेतु स्थल प्रधिकारी से अनुमति उपरोक्त ही की जाएगी। इस बाबत राधा पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरी मिट्टी प्रबंधन (Top Soil Management) की उपयुक्त जानकारी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (राखण के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,600 वर्गमीटर उल्लेखित है जो कि खदान के कुल क्षेत्रफल 3,800 हेक्टेयर के अनुसार उचित प्रतीत नहीं होता है। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण सहित अनुबंधित सर्वेक्षण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. वास्तुशिल्प ड्रॉइंग हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. जल की आपूर्ति संबंध एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
7. प्रस्तावित लीज के परिधि में इंधियों का अत्यावजन होना पार्ये जाने अथवा नहीं? के संबंध में विधिवत् स्थल प्रधिकारी (स्थल मुख्य वन संरक्षक(ए.प्र.) सह मुख्य वन्यधारी) से अनपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
8. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुशासेन हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत 500 नग पौधों के कुशासेन हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि कुशासेन हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं सवधार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एच.ई.ए.सी., ज्योतिषनगर के द्वारा दिनांक 03/08/2022 के परिप्रेक्ष्य में परिवर्जना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 17/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।



(ब) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

समिति द्वारा नक्सी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. सड़क के तटक 7.5 मीटर क्षेत्र में खदान कुदारीयन किये जाने बाबद् सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
2. आवेदित लीज क्षेत्र के भीतर 5 मग दूध है। आवश्यकतानुसार उक्त दूध की कटाई हेतु सखन प्रविधारी से अनुमति उपरोक्त ही की जाएगी। इस बाबद् सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
3. उपरी मिट्टी प्रबंधन (Top Soil Management) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार उपरोक्त खानी मिट्टी को खदान के पुनःप्रद्व में उपयोग किया जाएगा। साथ ही उपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर संकलित कर संकलित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःप्रद्व हेतु किये जाने बाबद् सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,985 वर्गमीटर दर्शाया है, जो कि खदान के कुल क्षेत्रफल 3,800 हेक्टेयर के अनुसार उचित प्रमाण नहीं होता है। उक्त के संबंध में परिशोधना प्रस्तावक का कथन है कि लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी 1,985 वर्गमीटर के क्षेत्र में ही खदाई की उपलब्धता होने के कारण 1,985 वर्गमीटर क्षेत्र को निरवका खोलेख में लगाना की गई है। साथ ही खदाई की उपलब्धता अनुसार 22,585.57 वर्गमीटर क्षेत्र में ही जिपेसॉलिकल रिजर्व की लगाना की गई है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में है। वास्तव में लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,185 वर्गमीटर है। समिति का मत है कि उपरोक्त कथनों के दृष्टिकोण लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के कुल क्षेत्रफल 8,185 वर्गमीटर क्षेत्र में 3 पक्षियों में लगभग 1,500 मग कुदारीयन किये जाना आवश्यक है।
5. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा गारंटेन्ड ड्रेन को विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में कथन है कि प्रस्तावित क्षेत्र बड़े पहाड़ी क्षेत्र का भाग नहीं है, ऊपर एवं नीचे की उंचाई का अंतराल (difference of elevation between top & bottom) 20 मीटर से कम है, जिसका उल्लेख पूर्व में ही अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रस्तावित खदान हेतु खदाई गारंटेन्ड ड्रेन की आवश्यकता नहीं है, मौसम के अनुसार टेम्परेरी गारंटेन्ड ड्रेन का निर्माण किया जाएगा, जिससे सड़क मार्ग एवं खदान क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा।
6. परिशोधना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती, जो कि 10 घनमीटर प्रतिदिन से कम है। उक्त भू-जल की उपयोक्तता हेतु सेंट्रल हाउसिंग बोर्ड अधीनस्थ से छूट प्रमाण पत्र लीज एरीमेंट के उपरोक्त कथन सक्षिप्य प्रारंभ करने के पूर्व छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल एवं वायु सम्मति के प्राप्ति से खोला लिया जाएगा।
7. प्रस्तावित लीज के परिधि में हाथियों का आवागमन होने के संबंध में कार्यालय वनसम्पदाधिकारी, कोरवा वनसंग्रह, जिला-कोरवा के द्वारा क्रमांक/जनसुचना/5124 कोरवा, दिनांक 15/09/2022 से जारी अनुरोधित

प्रमाण पत्र अनुसार "सेमल हाथी के प्रस्ताव में 10 कि.मी. चरित्र अंतर्गत आने वाले ग्राम से कच्छला परिसर के ग्राम बुद्धियापाली बाहर है।" का उल्लेख है।

8. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 मग पीछों के लिए राशि 90,000 रुपये, पॉलिंग के लिए राशि 25,000 रुपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 1,00,000 रुपये, तथा एच-रखाव आदि के लिए राशि 1,20,000 रुपये, आगामी 5 वर्ष में कुल राशि 3,35,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार संबंधित निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1.0	Following activities at Gram Panchayat Bhawan, Village-Budhyapali	
			Plantation with fencing	3.19
			Total	3.19

10. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम पंचायत भवन बुद्धियापाली में (ऑफिस, बड़ पीपल, गीम, आम, अर्जुन, बेर आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 800 मग पीछों के लिए राशि 14,000 रुपये, पॉलिंग के लिए राशि 25,000 रुपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 1,00,000 रुपये, तथा एच-रखाव आदि के लिए राशि 1,20,000 रुपये, आगामी 5 वर्ष में कुल राशि 3,19,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
11. कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से स्फुरितिव कस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर निश्चित जल निष्कास की व्यवस्था किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
13. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सभ्य वृक्षारोपण किये जाने एवं जल पीछों का 80 प्रतिशत जीवन दर सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निगरान् कमिशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बारम्बरी विलर्स द्वारा सीमाबंदी का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने हेतु प्रस्ताव लीज अनुबंध की 4 प्राव के भीतर प्रस्तुत किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) किया गया है।

16. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुआरेपन कार्य को मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम संघ/पंच के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या भारतीयनदी पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुआरेपन का कार्य पूर्ण किये जाने को उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सम्बन्धित करवा जाना आवश्यक है।

17. भारतीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल वेव, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण विरोध मंचा संरक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिएण्टल एक्सप्लोरेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को जारी आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (ग्रामिण शाखा), जिला-कोरवा के द्वारा क्रमांक 5144/सक्ति-2/का./स.क./2021 कोरवा दिनांक 10/12/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निर्धारित है। आवेदित खदान (ग्राम-बुद्धिपारानी) का क्षेत्रफल 3.605 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संघारित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने से खदान यह खदान बी-2 श्रेणी की पायी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - केसरी श्री जगन्नाथ सोनहरा के ग्राम-बुद्धिपारानी, तहसील-कच्छला, जिला-कोरवा के खदान क्रमांक 108 में स्थित ब्लॉक (पीन सक्ति) खदान, कुल क्षेत्रफल-3.605 हेक्टेयर, क्षमता-37,800 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-64 में उल्लिखित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया (एन.ई.आई.ए.ए.) भारतीयनदी को उपरोक्त खदानों के लिए किया जाए।

2. मेसर्स धर्मद चौपड़ा (टेकाड़ीवा बॉटिंगरी स्टोन काररी), ग्राम-टेकाड़ीवा, तहसील-मानुप्रसादपुर, जिला-कांकोर (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 1704)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नंबर - एन.आई.ए. / सीजी / एन.आई.ए. / 214888/2021, दिनांक 12/08/2021 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि होने से खदान दिनांक 20/07/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित जानकारी दिनांक 07/08/2021 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित सखारण पत्थर (पीन खनिज) खदान है। खदान घाट-टेकड़ाडा, लहरील-मानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर स्थित पार्टी ऑफ़ सस्ता क्रमांक 11, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-12,000 टन (8,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

राज्यभार परिशोधना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञान एंड ई-पेल दिनांक 28/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 01/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक बीरभावा, अधिकृत प्रतिनिधि विविधे कार्पोरेशन के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा माली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. घाट पंचायत का अनामतित प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में घाट पंचायत कर्मों का दिनांक 18/03/2022 का अनामतित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान (एलांग किंग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-बालोद को ज्ञापन क्रमांक 430/खनिज/खनिज/2018-19 बालोद, दिनांक 20/08/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्व), जिला-उत्तर बलार कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1067/खनिज/उ.ब./2019-20 कांकेर, दिनांक 25/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निराल है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्व), जिला-उत्तर बलार कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1066/खनिज/उ.ब./2019-20 कांकेर, दिनांक 25/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मठ, स्कूल, अस्पताल, पुस्त, बांध, एनिकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण - यह सामाजिक भूमि है। लीज श्री धर्मदेव चौधरी के नाम पर है। लीज की 10 वर्षी अवधि दिनांक 01/08/2002 से 30/04/2012 तक थी। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त उत्खननपट्टा में उत्खनन कार्य वर्ष 2004 से वर्तमान दिनांक तक उत्खनन कार्य नहीं किया गया है तथा दिनांक 08/08/2018 को मानवीय राज्य न्यायालय छत्तीसगढ़ के आदेश उत्तरांत उत्खनन कार्य वर्तमान दिनांक तक बंद होना बताया गया एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उत्तरांत पट्टा विस्तारीकरण हेतु अनुबंध निष्कारण के बाद ही उक्त उत्खननपट्टा में उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. जल विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय बनगण्डलाधिकारी, पूर्व मानुझाणपुर वनरेंडल, मानुझाणपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./2044 मानुझाणपुर, दिनांक 03/04/2002 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। कार्यालय बनगण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. सड़कपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवारी ग्राम-टंका डोंडा 0.28 कि.मी., स्कूल ग्राम-टंकाडोंडा 0.5 कि.मी. एवं अस्पताल कच्चे 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 32 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.28 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिष्टली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलाजिकल रिजर्व लगभग 4,48,000 टन (2,40,000 क्वीमीटर), माईनेबल रिजर्व लगभग 3,22,632 टन (1,81,318 क्वीमीटर) एवं रिक्लूरेबल रिजर्व लगभग 3,08,500 टन (1,53,250 क्वीमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रमाणित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,258 क्वीमीटर है। औसत क्वार्ट सेमी मैकैनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। वेग की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 36 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अवन संचालित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हेमर से डिजिटल एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिद्धकाय किया जाएगा। वर्षाजल प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,000
द्वितीय	12,000
तृतीय	12,000
चतुर्थ	12,000
पंचम	12,000

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 क्वीमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल सिद्धकाय, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निक्षिप्त खदानों में एकत्रित जल एवं पंपजल की आपूर्ति द्वारा संभाव्यता से टैंकर के माध्यम से की जाएगी। जल की आपूर्ति हेतु जल पंपाघट का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 वन वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में 10 वन अवस्थित पेट्टे की उत्खनन कार्य के दौरान रक्षात्मक नहीं काल जाएगा। यदि आवश्यकता होने

पर पूर्ण की बटाई हेतु उक्त प्रधिकारी से अनुमति लवना ही की जाएगी। इस बाबत समय पर प्रस्तुत किया गया है।

18. परियोजना प्रसाधक द्वारा बताया गया कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी के संबंध में वन विभाग द्वारा अद्यतन प्रकट की गई। इस संबंध में समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी कार्यालय वनमण्डलधिकारी भानुप्रतापपुर एवं प्रधान मुख्य वन संचालक से जानकारी/दस्तावेज मांगे जाने का निर्णय लिया गया।

समिति द्वारा उक्तसमय कार्यसम्पत्ति से विन्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनुरोधित प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति हेतु प्रधान मुख्य वन संचालक एवं कार्यालय वनमण्डलधिकारी भानुप्रतापपुर को अनुरोध किया जाए।
2. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनुरोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

उद्वानुसार एस.ई.ए.सी., जयपुर के ज्ञापन दिनांक 28/03/2022 के परिधि में परियोजना प्रसाधक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 30/03/2022:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर स्थिति गई गई कि:-

1. कार्यालय वनमण्डलधिकारी भानुप्रतापपुर से लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनुरोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। परियोजना प्रसाधक द्वारा पेयजल की आपूर्ति हेतु सेंट्रल ग्रामपंचायत सेंटर अधीरिही द्वारा दिनांक 27/04/2022 द्वारा 4 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु अनुमति दी गई है। समिति का मत है कि पूर्व में परियोजना प्रसाधक द्वारा प्रस्तुतिकरण के दौरान पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर से संचालन से किया जाना बताया गया था। अतः जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनुरोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उक्तसमय कार्यसम्पत्ति से विन्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. कार्यालय वनमण्डलधिकारी भानुप्रतापपुर से लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।
2. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनुरोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एम.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 17/08/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/प्रस्तावित दिनांक 17/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ग) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 18/11/2022

समिति द्वारा मन्त्री, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. कार्यालय वनस्पतलविहारी, पूर्वी भानुप्रतापपुर वनगाँव, भानुप्रतापपुर के ज्ञान दिनांक/सं.वि./2344 भानुप्रतापपुर, दिनांक 03/04/2022 से जारी अनाधिकृत प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि कार्यालय वनस्पतलविहारी भानुप्रतापपुर से सीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वार्षिक दूरी संबंधी अद्यतन प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोस्वेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत न्यू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल प्रायमरी स्कूल अखीरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सेन्ट्रल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से टैकर के माध्यम से किया जाना बताया गया है। अतः जल के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. सीज क्षेत्र की सीमा में घनो और 7.5 मीटर की पट्टी में कुलरोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग बीघों के लिए राशि 80,000 रुपये, बीसिंग के लिए राशि 25,000 रुपये, खास एवं सिंचाई के लिए राशि 1,00,000 रुपये, तथा पक्क-रखाव आदि के लिए राशि 1,20,000 रुपये, आगामी 5 वर्ष में कुल राशि 3,25,000 रुपये हेतु छटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Government School Village-Awaspara Saiba	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Plantation with fencing	0.20
			Total	0.60

5. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
6. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में (सीम एवं आन) कुलरोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग बीघों के लिए राशि 18,000 रुपये, बीसिंग के लिए

राशि 10,000 रुपये, छतर एवं सिंचाई के लिए राशि 20,000 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 60,000 रुपये, इस प्रकार आगामी 5 वर्षों में कुल राशि 1,13,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसाधकता से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यलय बनवण्डराधिकारी मनुप्रतापपुर से लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वार्षिक दूरी संबंधी अद्यतन ज्ञान पर प्रस्तुत किया जाए।
2. फेजल की आयुर्विहीन वन संसाधन से टैक्स की माध्यम से लिया जाना है अथवा नहीं? के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

उपर्युक्त वर्णित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपर्युक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

1. मेसर्स पुडुलिया ली वॉड साईन स्टोन क्वारी (प्री.- वी राधेश अथवाल), ग्राम-पुडुलिया, तडनील-भाटाघरा, जिला-बलीदाबाजार-भाटाघरा (सक्रियता का नक्का क्रमांक 1044)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एम्प्लॉयमेंट / 243432/2021, दिनांक 07/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में क्विरी होने से ज्ञान दिनांक 08/12/2021 एवं 02/04/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्णित जानकारी दिनांक 08/04/2022 एवं 17/05/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संघटित पूरा पत्थर (नीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-पुडुलिया, तडनील-भाटाघरा, जिला-बलीदाबाजार-भाटाघरा जिला पट्टी ऑफ खसरा क्रमांक 898/2, कुल क्षेत्रफल-1.295 हेक्टेयर में है। खदान की अंशदिल व्यवस्था क्षमता-34,560.17 टन प्रतिवर्ष से 57,487.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, बलीदाबाजार के ज्ञान दिनांक 02/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 423वीं बैठक दिनांक 08/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु वी अशिता अथवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्का, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

1. पूर्व में पूरा पत्थर खदान खसरा क्रमांक 898/2, कुल क्षेत्रफल-1.295 हेक्टेयर, क्षमता-34,560.17 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघरा निर्धारण प्रतिकरण, जिला-बलीदाबाजार-भाटाघरा द्वारा दिनांक 07/09/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और

जलवायु परिवर्तन संरक्षण, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"BA, Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 08/01/2023 तक वैध होगी।

- a. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में जो नई कार्यवाही की जानवानी कोटोद्योग सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि चूंकि यह कृषि विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संरक्षण, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- b. निर्दिष्ट शर्तानुसार नुसारोपम नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-बलीदाबाजार-माटापारा के द्वारा क्रमांक 408/1842/07/वीन-8/07/2022 बलीदाबाजार, दिनांक 07/08/2022 द्वारा विगत वर्ष में किये गये पराखनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	पराखनन (टन)
2017-18	24,000
2018-19	34,550
2019-20	18,100
2020-21	8,000
2021-22	1,000

2. पान पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - पराखनन के संबंध में पान पंचायत मुखेलिया का दिनांक 31/08/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. पराखनन योजना - स्थीम लोक स्वारी राष्ट्रीय पान एलांग विथ माईन क्लीजर पान विथ इन्फ्रार्फोमेट केनेजमेट पान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भीमिडी तथा खनिज, नख रायपुर अटल नगर के पु. आपन क्र. 8121/खनि02/ख.प्र.अनुसोदन/न.प्र. 08/2021(1) नख रायपुर, दिनांक 04/12/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-बलीदाबाजार-माटापारा के द्वारा क्रमांक/1842/ख.नि./2021 बलीदाबाजार, दिनांक 08/01/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 0.9 हेक्टर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सामंजसिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-बलीदाबाजार-माटापारा के द्वारा

क्रमांक/१०४२/स.सि./२०२१) मशीनबाजार, दिनांक ०४/०१/२०२२ द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार जल खदान से २०० मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ/पट, कुल, नदी, बेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एरीकट बॉय एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. भूमि एवं लीज का विवरण – यह सार्वजनिक भूमि है। लीज की राजसेा अधिवाल के तान पर है। पूर्व में लीज डीड १० वर्षी अर्थात् दिनांक २९/१०/२००७ से २९/१०/२०१७ तक की अवधि हेतु फैद की। तत्पश्चात् लीज डीड ३० वर्षी अर्थात् २९/१०/२०१७ से २९/१०/२०३७ तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
७. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष २०१९ की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
८. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कर्वालय वनसंग्रहालयिकारी, रायपुर वनसंग्रहालय, जिला-रायपुर के ज्ञान क्रमांक/स.सि./स./८९९ रायपुर, दिनांक ०४/०४/२०२१ से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
९. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी इला-कुइलिया ३.३ कि.मी, स्कूल एवं अस्पताल राम-कुइलिया ३.३ कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग ३६ कि.मी. दूर है। नौकरी वाला २६० मीटर दूर है।
१०. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा १० कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रमुख निरक्षण क्षेत्र द्वारा घोषित क्रिटिकली प्रोटेक्टेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिवेदित किया है।
११. खनन संधदा एवं खनन का विवरण – डिपॉजिटिकल रिजर्व ६,४६,३०२ टन, माईनेबल रिजर्व ३,०६,६६६ टन एवं निकोनेबल रिजर्व २,९१,६०२ टन है। लीज की १.६ मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खानन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल २,६२९ वर्गमीटर है। खनन कान्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खानन किया जाता है। उत्खानन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई ३० मीटर है। लीज क्षेत्र में काली मिट्टी की मोटाई ०.६ मीटर की। वर्तमान में लीज क्षेत्र के भीतर काली मिट्टी अवस्थित नहीं है। पूर्व में काली मिट्टी को १.६ मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर कुलरक्षण के लिए उपयोग किया जाना बताया गया है। बेल की ऊंचाई १.६ मीटर एवं चौड़ाई १.६ मीटर है। खदान की संघटित आयु ६.९ वर्ष है। लीज क्षेत्र में खनन स्थपित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक ईयर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्थापित किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण निरक्षण हेतु जल का सिंक्रास किया जाता है। वर्षाजल प्रस्तावित उत्खानन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खानन (टन)
प्रथम	६१,०००
द्वितीय	६१,४६१.६
तृतीय	४६,६००
चतुर्थ	४६,६००
पंचम	६१,०००



12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 गज/मीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरेवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत सेन्ट्रल वाटरवर्क बोर्ड अर्वाइटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में घाटे और 7.5 मीटर की पट्टी में 500 नम वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 25,000 रुपये, पेंसिंग के लिए राशि 1,08,800 रुपये, खाद के लिए राशि 5,000 रुपये, रख-रखाव के लिए राशि 30,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,72,800 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 1,44,000 रुपये आगामी आठ वर्षों हेतु घटकवार व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में परखनन** – लीज क्षेत्र के घाटे और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,825 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 450 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित काले प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध विधानानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
15. **पर्यावरणीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नैन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें क्रमांक 11B(i) के अनुसार-**

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के माफ़ सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उचित प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत उत्खनन में वृक्षारोपण (अंशज, बड़ पीपल, नीम, आम, आरुन, बेल आदि) बाबत प्राप्त संशोधन के सहयोगी उपराल प्रयोग्य स्थान (खननक्षेत्र निकट) में किसे जाने हेतु पौधों, पेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समवहार व्यव का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उक्तानुसार सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पालन प्रतिबंधन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. कंट्रोल एक्सप्लोसिव का कार्य विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से न्युनितिविड इस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल विश्लेषण की व्यवस्था किये जाने बाबत सख्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर स्थान कृषासंपन्न किये जाने एवं रोपित वीथी का सरगाईवाल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सख्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की सीमा में खारी ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 500 नम कृषासंपन्न अगामी मानसून में किये जाने हेतु सख्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बायल्यूटी चिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सख्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. प्रतीनगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्वामीय लोगों को संरक्षण दिये जाने हेतु सख्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का कथन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सख्यपित सख्य पत्र प्रस्तुत किया जाए कि इससे विरुद्ध कानून सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण ललित नहीं है।
10. माइनिंग लीज क्षेत्र के खारी ओर 7.5 मीटर चौड़े सीपटी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपखारी जगहों (Subsided Mesas) की संरक्षा में सख्य लीज क्षेत्र के अंदर माइनिंग शिवालयों के कारण उत्पन्न प्रदूषण निरोधन हेतु आवश्यक जगहों तथा कृषासंपन्न आदि के लिये समुचित जगहों की शिवालयित करने बाबत संघालक, संघालन्यालय, भीमिही तथा खनिजम, इंद्रावती नगर, नवा रावपुर अटल नगर, जिला - रावपुर (प्रतीनगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
11. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अकेल उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध दिव्यानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संघालक, संघालन्यालय, भीमिही तथा खनिजम एवं पर्यावरण को ललित पहुंचाने हेतु प्रतीनगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रावपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
12. सी.ई.आर. के तहत उत्सर्जन में कृषासंपन्न (आंठला, बड़ पीपल, नील आम, अर्जुन, बेल आदि) बाबत दाम संघालन के सख्यपित उत्सर्जन कक्षासंपन्न स्थान (खसखसत दिवस सखित) में किये जाने हेतु वीथी, फंसिल, खाद एवं सिंचाई तथा रक-रखाव के लिये 5 वर्षों का घटकखन एवं सख्यपित दाम का दिवसत विस्तृत प्रस्ताव सखित प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त सखित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उत्सर्जन अगामी कार्यवाही की जाएगी।



तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आगम दिनांक 14/10/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/उत्तरावेज दिनांक 19/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

समिति द्वारा नती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से मालम प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन प्रतिवेदन हेतु दिनांक 13/08/2022 एवं 12/07/2022 को एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से आवेदन किया गया है, जो आज दिनांक तक अज्ञात है। समिति का मत है कि यह जगता निश्चय का प्रकल्प है। अतः पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
2. बंटोल लाइसेंसिंग का कार्य लिसेंसहोल्डर जर्इसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा करने जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
3. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पशुचिंटित डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सयन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की सीमा में जारी जोन 7.5 मीटर की गहराई में 500 नग वृक्षारोपण आगामी मानसून में किये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनराल कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत राष्ट्रीय पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/उद्योग से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकल्प देहा के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में उचित नहीं है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकल्प उचित नहीं है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35	2%	0.70	Following activities at Village-	
			Plantation in village pond	2.48
			Total	2.48

11. सी.ई.आर. के तहत तालाब में (पीन एन आन) पुनारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 11,000 रुपये, पेंसिंग के लिए राशि 52,000 रुपये, खाद के लिए राशि 2,200 रुपये एवं सिंचाई तथा सब-खान आदि के लिए राशि 1,18,000 रुपये, इस प्रकार आगामी 5 वर्षों में कुल राशि 2,48,200 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्धारित किया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय सी.ई.आर. के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से प्राप्त होने के उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र भेजा गया है।

4. पेशाब पलेन स्टोन क्वारी (श्री.- श्री मनोज चन्दाकर), राम-बलरामपुर, तहसील ब जिला-महासमुंद्र (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1828)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एरआईए/ सीजी/एम्आईएन/ 87943/2021, दिनांक 27/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघारित क्वारी पत्थर (पीन खनिज) खदान है। खदान राम-बलरामपुर, तहसील ब जिला-महासमुंद्र स्थित खदान क्रमांक 200, कुल क्षेत्रफल-0.36 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2,325 टन (200 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एर.ई.ए.सी, फलीनागढ़ के द्वारा दिनांक 09/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(ब) समिति की 38वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को ई-मेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः

अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुमोदित किया गया है। समिति द्वारा परिवोजना प्रस्तावक को अनुमोदित की शक्ति प्रदान की गई।

समिति द्वारा उत्तमसर्व सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिवोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित जानकारी एवं अनुमोदित पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

तदनुसार एम.ई.ए.सी., जलसिमा के ज्ञान दिनांक 11/08/2022 के परिप्रेक्ष्य में परिवोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुमोदित पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, उत्तमसर्व सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिवोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई प्रेषित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एम.ई.ए.सी., जलसिमा की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022 के परिप्रेक्ष्य में परिवोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/10/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु पुनः अनुमोदित पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ग) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परिवोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई प्रेषित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परिवोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स क्लेग स्टोन क्वारी (प्री.- श्री बालमुकुंद मन्दाकर), ग्राम-बलसपुर, तहसील व जिला-महाराष्ट्र (उपविभाग का नसी क्रमांक 1829)

ऑनलाइन आवेदन - उपरोक्त नंबर - एम.ई.ए.सी./ सीडी/ एम.ई.ए.सी./ 07948/2021, दिनांक 27/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघलित पत्थर (सीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बलसपुर, तहसील व जिला-महाराष्ट्र स्थित पार्स ऑफ खसत क्रमांक 311, कुल क्षेत्रफल-0.24 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-607.5 टन (280 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिवोजना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी., जलसिमा के ज्ञान दिनांक 09/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(ब) समिति की 398वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिवोजना प्रस्तावक को ई-मेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अनविश्वसनीयता से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः

अतिरिक्त सन्ध प्रदान करने हेतु अनुबंध किया गया है। समिति द्वारा परिशोधना प्रस्तावक को अनुबंध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिशोधना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित जानकारी एवं अनुबंध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एच.ई.ए.सी., झरतीसगढ़ को आपन दिनांक 11/08/2022 के परिशोधन में परिशोधना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुबंध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिशोधना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई प्रेषित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एच.ई.ए.सी., झरतीसगढ़ की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022 के परिशोधन में परिशोधना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/10/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु पुनः अनुबंध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परिशोधना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई प्रेषित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परिशोधना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

5. **बैंगलूर फ्लोर स्लोन क्वारी (प्रो.- श्री खेमलाल बन्दाकर), ग्राम-बलवापुर, तहसील व जिला-महासमुंद (सचिवालय का नस्ली क्रमांक 1830)**

ऑनलाइन आवेदन - एप्लिकेशन नम्बर - एलआईए/ सीसी/ एमआईएन/ 67949/2021, दिनांक 27/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संश्लिष्ट पथी पाथर (पीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बलवापुर, तहसील व जिला-महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 467, कुल क्षेत्रफल-0.5 हेक्टर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2,542.5 टन (1,017 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिशोधना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., झरतीसगढ़ से आपन दिनांक 08/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 399वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिशोधना प्रस्तावक को ई-मेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः

अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुमोद किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को अनुमोद को मान्य किया गया।

समिति द्वारा उत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वरिष्ठ जानकारी एवं अनुमोद पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

उदानुसार एस.ई.ए.सी., उत्तीरगढ़ के अधिन दिनांक 11/03/2022 को परिशिष्ट में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुमोद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, उत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई वरिष्ठ जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / वसतावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उदानुसार एस.ई.ए.सी., उत्तीरगढ़ की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022 के परिशिष्ट में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/10/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु पुनः अनुमोद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 16/11/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, विचार विमर्श जपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई वरिष्ठ जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / वसतावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को उदानुसार सूचित किया जाए।

7. बेसल्ट फ्लैग स्टोन क्वारी (पी.- बी बालमुकुंद बन्दाकर), ग्राम-बरबतपुर, तहसील व जिला-महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1831)

ऑनसाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एम्आईएन / 61980 / 2021, दिनांक 27/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघर्षित फ्लैग स्टोन (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बरबतपुर, तहसील व जिला-महासमुंद स्थित प्लॉट ऑफ जंगल क्रमांक 177, कुल क्षेत्रफल-0.8 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1.525 टन (800 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

उदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., उत्तीरगढ़ के अधिन दिनांक 09/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 399वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को ई-मेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुमोद किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को अनुमोद को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वरिष्ठ जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर जागामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एम.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 11/03/2022 की परिधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2022 की प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा मसौदा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वरिष्ठ जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार एम.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022 की परिधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/10/2022 की प्रस्तुतीकरण हेतु पुनः अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(क) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

समिति द्वारा मसौदा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, विचार विमर्श चक्रांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वरिष्ठ जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

8. मेकर्स पलेन स्टोन क्वारी (जी.- श्री अजित कुमार चन्दाकर, वाम-बल्लसपुर, तहसील व जिला-महासमुंद्र (साधियालय का मसौदा क्रमांक 1832)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एमआईए/ सीजी/ एमआईए/ 87851/2021, दिनांक 27/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संशोधित कर्षी पथर (पीथ खनिज) खदान है। खदान वाम-बल्लसपुर, तहसील व जिला-महासमुंद्र स्थित पार्ट ऑफ खंडा क्रमांक 358, कुल क्षेत्रफल-0.7 हेक्टेयर में है। खदान की अवैधित परमाणु क्षमता-1887.6 टन (828 फन्मीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 08/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 369वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अवैधित समझ प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिवोजना प्रस्तावक द्वारा संचित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एम.ई.ए.सी., जलसंग्रह से ज्ञापन दिनांक 11/03/2022 से परिचय में परिवोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/08/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिवोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी हुई संचित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एम.ई.ए.सी., जलसंग्रह की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022 से परिचय में परिवोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/10/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु पुनः अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(घ) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परिवोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी हुई संचित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परिवोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

9. मैकर्स फ्लैग स्टोन क्वारी (प्लो.- श्री दिजीप कुमार अग्रवाल), राम-धोड़ारी, तहसील व जिला-महाराजगढ़ (सचिवालय का नस्ली क्रमांक 1833)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एमआईए / सीजी / एमआईएन / 67983 / 2021, दिनांक 28/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित फॉसिल फ्लैग (पीन खनिज) खदान है। खदान राम-धोड़ारी, तहसील व जिला-महाराजगढ़ स्थित पार्ट ऑफ खजरा क्रमांक 10, ब्लॉक डेअराल-1,04 डेस्केशन में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2.210 टन (884 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिवोजना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी., जलसंग्रह से ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 398वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिवोजना प्रस्तावक के ई-मेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपठितार्थ कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अधिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परिवोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्कालम सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वसति जानकारी एवं अनुबंध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., अलीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/03/2022 के परिच्छेद में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुबंध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा मसौदा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, तत्कालम सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई वसति जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., अलीसगढ़ की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022 के परिच्छेद में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/10/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु पुनः अनुबंध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ग) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 16/11/2022:

समिति द्वारा मसौदा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, विचार विमर्श चमराट सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई वसति जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

38. बेरवाँ पलेन स्टोन क्वारी (जी.- की सातन कुमार परमार), ग्राम-बरबसपुर, तहसील व जिला-महासमुंद्र (सावित्रालय का मसौदा क्रमांक 1823)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 87885/2021, दिनांक 26/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संश्लिष्ट पत्थर (पीपल खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बरबसपुर, तहसील व जिला-महासमुंद्र स्थित पार्ट ऑफ चमराट क्रमांक 388, कुल क्षेत्रफल-0.72 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1482.5 टन (385 धनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., अलीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 388वीं बैठक दिनांक 14/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सातन कुमार परमार, ऑनलाईन उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसौदा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

1. पूर्व में जारी पत्थर खदान चमराट क्रमांक 388, कुल क्षेत्रफल-0.72 हेक्टेयर, क्षमता-585 धनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्रक्रियण, जिला-महासमुंद्र द्वारा दिनांक

18/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15/01/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार पूराकरण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के द्वारा दिनांक 31/08/2021 द्वारा विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

दिनांक	उत्पादन (घनमीटर)
01/01/2017 से 30/08/2017	140
01/07/2017 से 31/12/2017	150
01/01/2018 से 30/08/2018	140
01/07/2018 से 31/12/2018	209
01/01/2019 से 30/08/2019	218
01/07/2019 से 31/12/2019	64
01/01/2020 से 30/08/2020	104
01/07/2020 से 31/12/2020	212

2. खान पंचायत का अनाथित प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में खान पंचायत बड़नाथ का दिनांक 30/08/2007 का अनाथित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। खान पंचायत के अनाथित प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति कार्यवाही विफल रहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उत्खनन योजना - स्वामी प्लान एलान विध स्वामी कठोवर प्लान विध इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-महासमुंद के द्वारा क्रमांक 1200/क/खनि./न.अ./2018 महासमुंद, दिनांक 24/08/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के द्वारा क्रमांक 224/क/खनि./न.अ./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर उपस्थित 69 खदानें, सीजकल 38.88 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के द्वारा क्रमांक 1313/क/खनि./न.अ./2021 महासमुंद, दिनांक 31/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनिसट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण - यह शासकीय भूमि है। लीज की शर्तों के तहत पर है। लीज की 10 वर्ष अवधि दिनांक 22/09/2001 से 21/09/2011 तक की। उत्तराधिकार लीज की 20 वर्ष की, दिनांक 22/09/2011 से 21/09/2031 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वार्षिक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आबादी घास-बससपुर 820 मीटर, स्कूल घास-बाबतपुर 820 मीटर एवं अस्पताल महासमुंद 11 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 265 कि.मी. एवं राजमार्ग 159 कि.मी. दूर है। तालाब 700 मीटर, मछानदी 580 मीटर एवं बरसाती नाला 430 मीटर दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की दूरी में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अल्हारमय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विंटिली पोल्गुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
11. खनन संघदा एवं खनन का विवरण — अनुमोदित स्वारी प्लान अनुसार टिथोलीविकल रिजर्व 1,69,894 टन (87,997 घनमीटर), साईनेबल रिजर्व 88,451 टन (28,180 घनमीटर) एवं निकटवर्ती रिजर्व 49,088 टन (19,835 घनमीटर) है। वर्तमान में टिथोलीविकल रिजर्व 88,720 घनमीटर एवं साईनेबल रिजर्व 24,943 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,888.5 वर्गमीटर है। खनन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है। बेच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संघदित आयु 20 वर्ष है। लीज क्षेत्र में उत्तर स्थानित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
2022	585
2023	585
2024	585
2025	585
2026	585

12. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.94 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा घास पंचायत के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत घास पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. वृक्षारोपण कार्य — परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 284 गगन वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन — लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अर्धीन वृक्षारोपण का कार्य घास पंचायत द्वारा दिये गये विहित क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। समिति के संज्ञान में यह लक्ष्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर

की फट्टी में वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है। अतः समिति का मत है कि वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोडाक्युमेंट सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परिशोधना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि घाग-बलबलपुर, सोडाही एवं मुठेना, ताहरील व जिला-महासमुंद्र क्षेत्र में 88 फुटकर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। घाग-सोडाही के साथ से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में घाग-बलबलपुर एवं सोडाही क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.80 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में घाग-सोडाही एवं मुठेना क्षेत्र में 28 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के साथ की दूरी 800 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. सहाई के दौरान दोनों क्षेत्रों का कवर जेन एक-दूसरे में ओवर लेप हो रहा है। अतः परिशोधना प्रस्तावक द्वारा कुल 88 फुटकर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुए सॉईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुमति किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।
17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परिशोधना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए रेसल्टाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।

समिति द्वारा सातत्य सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. परखनन हेतु घाग पंचायत के अनुरोधित प्रमाण पत्र की (द्विपक दिनांक, तस्वीर एवं संस्था के हस्ताक्षर सहित) अद्यतन प्रति कार्यवाही दिवस सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनुरोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।
3. जल आपूर्ति हेतु घाग पंचायत का अनुरोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की फट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोडाक्युमेंट सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. लीज बाउण्ड्री पॉल (boundary pillars) जिसमें सीमा की संख्या प्रदर्शित हो का फोटोडाक्युमेंट प्रस्तुत की जाए।
6. वित्तीय आश्वासन (Financial assurance) से संबंधित जानकारी पात्रक दिनांक सहित प्रस्तुत की जाए।
7. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्त ए.आई.ए.सी., फोटोडाक्युमेंट के प्रारंभ दिनांक 11/09/2022 के परिशेष में परिशोधना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 19/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 08/11/2022:

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने का निम्न स्थिति पाई गई:-

1. उत्खनन हेतु घाग पंचायत बखरपुर का दिनांक 15/07/2015 का अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यलय वनसंरक्षणविभाग, सामान्य वनमण्डल, जिला-महासमुद्र के ज्ञापन क्रमांक/सा.वि./खनिज/3194 महासमुद्र, दिनांक 29/12/2008 में जारी अनामति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र का क्षेत्र की सीमा से 11 कि.मी. की दूरी पर है।
3. जल की अनुमति बोलवेल के माध्यम से की जाती है। भू-जल की उपयोक्तता हेतु सेंट्रल बालक्रीड सीटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
4. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की फाटी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोवाला सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
5. लीज बाउण्डरी पोलर (boundary pillars) जिसमें स्तंभ की संख्या प्रदर्शित हो कर फोटोवाला प्रस्तुत किया गया है।
6. कार्यलय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुद्र के ज्ञापन क्रमांक 547/क/ख.वि./प.ज./021 महासमुद्र, दिनांक 20/04/2022 द्वारा जारी पत्र अनुसार खदानों की वित्तीय आश्वासन (financial assurance) की संस्था में संबंधित खनिज अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने का उल्लेख है।
7. माननीय एन.जी.टी., डिप्लोमेट क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पारम्परिक विस्तृत मातृ संरक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अमेरिजनल एरिजेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/06/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. कार्यलय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुद्र के ज्ञापन क्रमांक 224/क/ख.वि./प.ज./2021 महासमुद्र, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान में 500 मीटर की भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 39.88 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (घाग-बखरपुर) का क्षेत्रफल 0.72 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घाग-बखरपुर) की मिलाकर कुल क्षेत्रफल 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में सर्वोच्च/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का बखरपुर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मान्य गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' श्रेणी का होने के कारण मातृ संरक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीआरआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एस्टीमेटिंग विभागीय इन्चापरमेंट क्लियरेंस अथॉरिटी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीआरआर

(लोक सुनवाई सत्र) नीचे दी गई सूची में उल्लिखित प्रस्तावों हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों/आवश्यों के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई:-

- i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- vii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- viii. EIA study shall be at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xiii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 80% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of preferably plantation works alongwith their estimates including land cost and

incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

संज्ञक राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (एन.ई.आई.ए.ए.), भारतीयसंगठन को तदनुसार सूचित किया जाए।

11. बेदाई कलेज स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री सोमेश परमार), ग्राम-बरवसापुर, ताहतील व जिला-महाराष्ट्र (संविधान संख्यांक 1824)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एन.ई.आई.ए./ सीडी/ एन.ई.आई.ए./ 67886/2021, दिनांक 28/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संश्लेषित कर्ती पत्थर (ग्रीन ग्रैनाइट) खदान है। खदान ग्राम-बरवसापुर, ताहतील व जिला-महाराष्ट्र स्थित खदान संख्यांक 258 एवं 311 (एचटी), कुल क्षेत्रफल-0.45 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-798.75 टन (319.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.आई.ए. भारतीयसंगठन को ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बीदाई का विवरण -

(अ) समिति की 388वीं बैठक दिनांक 14/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सोमेश परमार, प्रोपराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा कर्ती, प्रस्तुत जानकारी का अध्ययन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में कर्ती पत्थर खदान खसरा संख्यांक 258 एवं 311, कुल क्षेत्रफल-0.45 हेक्टेयर, क्षमता-319.5 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण संरक्षण निर्देशन अधिनियम, जिला-महाराष्ट्र द्वारा दिनांक 18/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15/01/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार पूराकरण नहीं किया गया है।
- अपवाहक कलेक्टर (खनिज संसाधन), जिला-महाराष्ट्र को ज्ञापन दिनांक 31/08/2021 द्वारा विगत कर्ती में किये गये उत्पादन की जानकारी निम्नानुसार है-

दिनांक	उत्पादन (घनमीटर)
01/01/2017 से 30/06/2017	निरंक
01/07/2017 से 31/12/2017	
01/01/2018 से 30/06/2018	45
01/07/2018 से 31/12/2018	63
01/01/2019 से 30/06/2019	150
01/07/2019 से 31/12/2019	140
01/01/2020 से 30/06/2020	120

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सदस्यों का दिनांक 22/12/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति आयोगाधीन विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उत्खनन योजना — क्वार्टी प्लान द्वारा विधि क्वार्टी क्वीयर प्लान विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अडिक्टर, जिला-महासमुद्र के ड्राफ्ट क्रमांक 1736/क/खनि./प.क./2016 महासमुद्र, दिनांक 31/08/2016 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुद्र के ड्राफ्ट क्रमांक 224/क/खनि./प.क./2021 महासमुद्र, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार अनेकित खदान से 500 मीटर की मीटर अनेकित 65 खदानें, क्षेत्रफल 40.15 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुद्र के ड्राफ्ट क्रमांक 1312/क/खनि./प.क./2021 महासमुद्र, दिनांक 31/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे बंदिर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं जल आपूर्ति कनेक्ट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण — यह सार्वजनिक भूमि है। पूर्व में लीज सीमा की पत्थरी पत्थर के नाम पर की। लीज की 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/02/2007 से 31/01/2017 तक की। तत्पश्चात् लीज की 20 वर्षों की, दिनांक 01/02/2017 से 31/01/2037 तक की अर्थात् वृद्धि की गई है। वर्तमान में लीज की सीमा पत्थर के नाम पर दिनांक 18/03/2021 को हस्तांतरण की गई है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2016 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की कार्यालय दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आबादी ग्राम-बलसमुद्र 800 मीटर एवं स्कूल ग्राम-बलसमुद्र 1 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुद्र 11.7 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 275 कि.मी. एवं राजमार्ग 18 कि.मी. दूर है। महानदी 370 मीटर, तालाब 480 मीटर एवं बरसाती नाला 480 मीटर दूर है।
10. सार्वजनिक/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अस्पताल, केंद्रीय प्रमुख नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोइन्ट्स एरिया, सार्वजनिक संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण — अनुमोदित क्वार्टी प्लान अनुसार जियोमेट्रिकल रिजर्व 97,725 टन (29,110 घनमीटर), माइनेबल रिजर्व 18,447

टन (8,579 घनमीटर) एवं रिजर्वेशन रिजर्व 12,333 टन (8,834 घनमीटर) है। वर्तमान में रिजर्वेशन/रिजर्व 38,169 घनमीटर एवं पाईपेबल रिजर्व 5,838 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,480 घनमीटर है। अधिन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। लीज क्षेत्र में अपनी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 25 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अपार स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में समुद्र प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का चिपकाव किया जाता है। वर्षावन प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
2022	319.5
2023	319.5
2024	319.5
2025	319.5
2026	319.5

12. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.72 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनुरोध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. वृक्षारोपण कार्य — परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 428 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन — लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्थिति की शर्तों के अधीन वृक्षारोपण का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा दिने नगरे विभिन्न क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है। अतः समिति का मत है कि वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफस सहित जनकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम-बलरामपुर, खोसारी एवं मुंडेरा, तहसील व जिला-महासमुंद्र क्षेत्र में 85 पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 68.43 हेक्टेयर अवस्थित हैं। ग्राम-खोसारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम-बलरामपुर एवं खोसारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.80 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम-खोसारी एवं मुंडेरा क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित हैं। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 680 मीटर है। बुकि ई.आई.ए. गट्टी के बीच खदानों का बफर जॉन एक-दूसरे में ओवर लैप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 85 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुए काईंगल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुमति किया गया। जिसमें समिति द्वारा मान्य किया गया।

[Handwritten Signature]

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवीक्षण प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बल्लार में आने वाली अन्य खदानों के लिए बैकलाइन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उसके के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।

समिति द्वारा उत्सवग पंचसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. उत्सवग हेतु ग्राम पंचायत को अनापत्ति प्रमाण पत्र की (बैठक दिनांक, सविध एवं संपन्न के हस्ताक्षर सहित) अधिकांश प्रति कार्यवाही विभाग सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की कार्बनिक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।
3. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र की सीमा में घाटी और 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफस सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. लीज बाउण्ड्री स्लैब (boundary pillars) जिसमें स्लैब की संख्या प्रदर्शित हो का फोटोग्राफस प्रस्तुत की जाए।
6. वित्तीय आश्वासन (financial assurance) से संबंधित जानकारी पत्रक दिनांक सहित प्रस्तुत की जाए।
7. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एच.ई.ए.सी., उत्सवग के द्वारा दिनांक 11/03/2022 को परिवीक्षण से परिवीक्षण प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 19/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 16/11/2022:

समिति द्वारा यही, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. उत्सवग हेतु ग्राम पंचायत बरबसापुर का दिनांक 15/07/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, जिला-महासमुंद के द्वारा अनांक/मा.वि./अनिज/3085 महासमुंद, दिनांक 29/11/2007 के जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 11 कि.मी. की दूरी पर है।
3. जल की आपूर्ति क्षेत्रों के माध्यम से की जाती है। सू-जल की उपवीण्डिता हेतु सेन्ट्रल प्राइमरी वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
4. लीज क्षेत्र की सीमा में घाटी और 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफस सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
5. लीज बाउण्ड्री स्लैब (boundary pillars) जिसमें स्लैब की संख्या प्रदर्शित हो का फोटोग्राफस प्रस्तुत किया गया है।
6. कार्यालय कोलेक्टर (अनिज अनांक), जिला-महासमुंद के द्वारा अनांक 247/क/अनिज/ग.ज./021 महासमुंद, दिनांक 20/04/2022 द्वारा जारी पत्र

अनुसार खदानों की वित्तीय आश्वासन (Financial assurance) के संबंध में संबंधित खनिज अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने का उल्लेख है।

7. माननीय एन.जी.टी., डिस्ट्रिक्ट बेच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोदय पब्लिक लिमिटेड भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अतिरिक्त एपिलेगेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) ने दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. कार्यालय इन्टेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद्र के डायन क्रमांक 224/क/खलि/म.ज./2021 महासमुंद्र, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 42.15 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (घान-बखसपुर) का क्षेत्रफल 0.45 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घान-बखसपुर) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 42.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में स्थित/संघटित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी' श्रेणी के होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैंडर्ड्स एम्स ऑफ रिप्लेस (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायर्स इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अन्धर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित सेमी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक चुनवाई सहित) नीचे बोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई—

- i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no condemnation shall be committed to nearby water bodies.

- vi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- vii. EIA study shall be at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- ix. Project proponent shall submit the copy of panorama and photographs of every monitoring station.
- x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xiii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of preferably plantation works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

उक्त सार्वीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन (एन.ई.आई.ए.र.) प्रतीसागद से तदनुसार सुचित किया जाए।

12. मेसर्स ब्लेग ब्लोन क्वारी (प्रो.- श्री सुरेश चन्दाकर), ग्राम-बरबसापुर, तहसील ब जिला-महासमुद्र (सकियालय का नस्ली क्रमांक 1827)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नंबर - एलआईए/ सीसी/ एनआईएन/ 67939/2021, दिनांक 27/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संवाहित फर्शी चक्कर (मीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बरबसापुर, तहसील ब जिला-महासमुद्र स्थित खरना क्रमांक 207, कुल क्षेत्रफल-0.72 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित प्रकल्पन क्षमता-1,425 टन (370 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिशोधना प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी, प्रतीसागद से ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 द्वारा अनुमोदित हेतु सुचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 14/02/2022:

अनुवीकरण हेतु श्री सुरेश बन्दाकर, जेपहाईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नली प्रस्तुत जानकारी का अंशलेखन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

1. पूर्व में जारी पत्थर खदान खनन क्रमांक 207, कुल क्षेत्रफल-0.72 हेक्टेयर, अक्षा-570 वर्गमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण प्रशासन निर्देशन क्रमिकरण, जिला-महासमुंद्र द्वारा दिनांक 15/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 14/02/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
3. निर्धारित शर्तानुसार कृषादेयता नहीं किया गया है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज साध), जिला-महासमुंद्र के आदेश दिनांक 24/08/2021 द्वारा विप्लव वर्ष में विद्ये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/01/2017 से 30/06/2017	37
01/07/2017 से 31/12/2017	60
01/01/2018 से 30/06/2018	158
01/07/2018 से 31/12/2018	निरंक
01/01/2019 से 30/06/2019	174
01/07/2019 से 31/12/2019	45
01/01/2020 से 30/06/2020	110
01/07/2020 से 31/12/2020	300

2. वाम पंचायत का अनामतित प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में वाम पंचायत अधिकांश का दिनांक 10/02/2012 का अनामतित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - जारी पत्थर एलॉय विद्य क्वारी क्लोजर पत्थर विद्य इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पत्थर प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-महासमुंद्र के आदेश क्रमांक 1785/क/खनि/न.क्र./2018 महासमुंद्र, दिनांक 03/09/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में विद्यत खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज साध), जिला-महासमुंद्र के आदेश क्रमांक 224/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद्र, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवशिष्ट 89 खदानें, क्षेत्रफल 39.88 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में विद्यत सार्वजनिक क्षेत्र/घरबन्ध - कार्यालय कलेक्टर (खनिज साध), जिला-महासमुंद्र के आदेश क्रमांक 1252/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद्र, दिनांक 24/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुदान उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक

क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति रजिस्टर आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. लीज का विवरण – लीज आवेदक के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अवधि दिनांक 03/03/2012 से 02/03/2022 तक की अवधि हेतु है। तत्पश्चात लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 02/03/2022 से 01/03/2042 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
7. भू-स्वामित्व – भूमि की आइटम के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनाधिकृत इमाण पत्र – कार्यालय वनसम्पदाधिकारी, सामान्य वनमंडल, जिला-महासमुद्र के द्वारा इमाण/मापि/खनिज/1440 महासमुद्र, दिनांक 09/12/2011 से जारी अनाधिकृत इमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 15 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महासमुद्र संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी घाट-बरसापुर 810 मीटर कि.मी. एवं स्कूल घाट-बखरपुर 1 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुद्र 11 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 16.35 कि.मी. दूर है। महानदी 175 मीटर एवं बरसाती नाला 320 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – अनुसंधित जारी प्लान अनुसार जिब्सलाइकल रिजर्व लगभग 1,48,332 टन (59,733 घनमीटर), माइनेबल रिजर्व लगभग 89,437 टन (27,775 घनमीटर) एवं निकलबल रिजर्व 52,078 टन (20,831 घनमीटर) है। वर्तमान में जिब्सलाइकल रिजर्व 58,859 घनमीटर एवं माइनेबल रिजर्व 28,901 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,821 घनमीटर है। अल्पतम कवर्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। लीज क्षेत्र में कवर्ट चिट्टी की गहराई 2 मीटर है। बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की स्थापित आयु 30 वर्ष है। लीज क्षेत्र में कवर्ट स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
2022	570
2023	570
2024	570
2025	570
2026	570

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.79 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत को माध्यम से किया जाता है। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनामत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. कुआरीयन कार्य – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 224 म3 कुआरीयन किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में जाखनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में जाखनन कार्य नहीं किया गया है।
16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अर्थात् कुआरीयन का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये विहित क्षेत्र में कुआरीयन किया गया है। समिति के संज्ञान में यह तथा साथ कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुआरीयन का कार्य नहीं किया गया है। अतः समिति का मत है कि कुआरीयन का कार्य पूर्ण कर पोटीवाप्ता सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम-बलरपुर, घोड़ाठी एवं मुईना, तहसील व जिला-महानगूर क्षेत्र में 92 फुटल खदानों, कुल क्षेत्रफल 88.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम-घोड़ाठी के पास से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के चलते दिशा में ग्राम-बलरपुर एवं घोड़ाठी क्षेत्र में 70 खदानों, क्षेत्रफल 40.80 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम-घोड़ाठी एवं मुईना क्षेत्र में 25 खदानों, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के पास की दूरी 880 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. एनडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बकर जोन एक-दूसरे में जोड़न लेव हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 92 फुटल खदानों की एक कलक्टर समूह दूने फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।
18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कलक्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बैसलटाईन खाटा कलेक्टरन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से शुरु किया गया। अतः के संकेत में दिनांक 28/09/2021 की सूचना दी गई थी।

समिति द्वारा उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनामत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुआरीयन का कार्य पूर्ण कर पोटीवाप्ता सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. लीज बाउन्ड्री प्लान (boundary plans) जिसमें सीमा की संख्या प्रदर्शित हो कर पोटीवाप्ता प्रस्तुत की जाए।
4. वित्तीय आश्वासन (Financial assurance) से संबंधित जानकारी पत्रक दिनांक सहित प्रस्तुत की जाए।
5. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / बलरपुर प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।



समानुसार एच.आई.ए.सी., जलसंधारण के ज्ञान दिनांक 11/09/2022 के परिप्रेय में परिशोधन प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 18/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

समिति द्वारा वाली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. जल की अनुमति बोरोल के माध्यम से की जाती है। नू-जल की उपयोजिता हेतु सेन्ट्रल प्रायमरी वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
2. जल क्षेत्र की सीमा में खरी और 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफस सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
3. जल बाउण्ड्री पोल (boundary pillars) जिसमें खेत की संख्या प्रदर्शित हो का फोटोग्राफस प्रस्तुत किया गया है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुद्र के ज्ञान क्रमांक 587/क/खनि./न.क्र./021 महासमुद्र, दिनांक 20/04/2022 द्वारा जारी पत्र अनुसार खदानों की वित्तीय आश्वासन (Financial Assurance) के संबंध में संबंधित खनिज अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने का उल्लेख है।
5. माननीय एन.जी.टी., डिस्ट्रिक्ट बैंक, नई दिल्ली द्वारा सार्वभूमि पर्यावरण विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑपरेशनल एडिशन नं. 186 ऑर 2018 एन अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP to made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुद्र के ज्ञान क्रमांक 234/क/खनि./न.क्र./2021 महासमुद्र, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर से नीचे अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 39.88 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (खान-बलसमुद्र) का क्षेत्रफल 0.72 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (खान-बलसमुद्र) की मिलाकर कुल क्षेत्रफल 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कतघट निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की शानी शयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से इतरण 'बी' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2018 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरेड इन्वायर्समेंट क्लीयरेंस अफ्टर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित श्रेणी 1(i) का स्टैंडर्ड टीओआर

(लोक सुनवाई सहित) नौन बोल माईनिंग प्रोजेक्टस हेतु निम्न अतिरिक्त टीपोंआर ले साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई:-

- i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- vii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- viii. EIA study shall be at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- ix. Project proponent shall submit the copy of panorama and photographs of every monitoring station.
- x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xiii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 80% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of preferably plantation works alongwith their estimates including land cost and

incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया (एन.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को लदानुसार सुचित किया जाए।

12. भेसरा विरेन्द्रनगर आई-बीटी स्टोन क्वारी (प्रौ.- श्री शिवाशुभ इक अंशारी), ग्राम - विरेन्द्रनगर, तहसील - बाटुकनगर, जिला - बलरामपुर-रायानुजगंज (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 1099)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नंबर - एनआईए / सीजी / एमआईएन / 269128/2022, दिनांक 23/04/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित सार्वजनिक पथ (मीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-विरेन्द्रनगर, तहसील-बाटुकनगर, जिला-बलरामपुर-रायानुजगंज स्थित खसत क्रमांक - 422/1, 422/2 एवं 423, कुल क्षेत्रफल - 1.8 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 10,218 टन प्रतिवर्ष है।

लदानुसार परियोजना प्रस्ताव को एन.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 03/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 413वीं बैठक दिनांक 08/08/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु इनामूल इक अंशारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्ती, प्रस्तुत जानकारी का अकलन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन एवं उत्खनन के संस्था में ग्राम पंचायत विरेन्द्रनगर का दिनांक 25/01/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्ष 2021-22 में पथन उत्खनन वन उत्खनन किये जाने हेतु दिया गया था, जिसकी वैधता समाप्त हो गई है। समिति का मत है कि उत्खनन एवं उत्खनन की स्थापना हेतु यह ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उत्खनन योजना - खोरी प्लान एसींग विद्य क्वारी कलेक्टर पथन प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के पु. द्वारा क्रमांक/52/खनिज/ सति.2/ 2022/ कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 21/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कर्वालय कलेक्टर (खनिज सार्व), जिला-बलरामपुर-रायानुजगंज के द्वारा क्रमांक/1094/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 20/12/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर से नीचे अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कर्वालय कलेक्टर (खनिज सार्व), जिला-बलरामपुर-रायानुजगंज के द्वारा क्रमांक/1095/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 20/12/2021

द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार जमा खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी शारीरिक क्षेत्र जैसे रेल लाईन, भवन, पार्किंग स्थल, मरघाट, स्कूल, पुल, कलसर्ट, बांध, मंदिर, मस्जिद, एसीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त) जिला-बलरामपुर-समानुजसंज्ञ के डायन क्र./1001/गौन खनिज/उत्खननपट्टा/2021 बलरामपुर, दिनांक 27/10/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि खसत क्रमांक 422/1 श्री जिण लालका के नाम पर है। खसत क्रमांक 422/2 एवं 423 आरेवक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर के डायन क्रमांक/मा.वि./2020/8030 बलरामपुर, दिनांक 05/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटातम वन क्षेत्र की सीमा से 1.5 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटातम आबादी ग्राम-विरेन्दनगर 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-विरेन्दनगर 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8 कि.मी. दूर है। गहरा 800 मीटर दूर स्थित है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिष्टकारी पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या क्षोभित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जिब्रोसिजिकल रिजर्व 2,48,800 टन (36,000 घनमीटर), नाइनेसल रिजर्व 1,00,230 टन (38,880 घनमीटर) एवं लिक्व्नेबल रिजर्व 88,218 टन (36,822 घनमीटर) है। सीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,840 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8.5 मीटर है। सीज क्षेत्र में उपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल गांवा 3,720 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में कालकर पुनरावस्था के लिए उपयोग किया जाएगा। बंध की चौड़ाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। सीज क्षेत्र में जलार स्थपित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर होना। जीक टेनर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्टाबिलिटी किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रलन किया जाएगा। वर्षाजल प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	10,218	द्वितीय	9,828
द्वितीय	10,218	तृतीय	9,828
तृतीय	10,218	चतुर्थ	9,828

चर्च	10,218	नवम	9,828
पंचम	10,218	पराग	9,828

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनामित प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नम वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फॉसिल, खाद एवं सिंचाई तथा रक-रखाव के लिए 5 वर्ष का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. खादान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उल्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उल्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. गैर माइनिंग क्षेत्र – लीज क्षेत्र संशोधन होने के कारण 500 घनमीटर क्षेत्र को गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माइनिंग प्लान में किया गया है।
17. सीपीएनईट पर्यावरणीय समिति (C.P.N.E.T.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के माध्यम से चर्चा उपर्युक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Village-Girandranagar	
			Pavitra Van	2.28
			Total	2.28

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आवना, बड़ पीपल, नीम, आम, जर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नम पौधों के लिए राशि 2,000 रुपये, फॉसिल के लिए राशि 40,000 रुपये, खाद के लिए राशि 700 रुपये, सिंचाई तथा रक-रखाव के लिए राशि 44,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 86,700 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 1,78,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत "पवित्र वन निर्माण" हेतु ग्राम पंचायत गिरन्दनगर के सहमति उपर्युक्त पर्यावरणीय स्थान (खसत क्रमांक 474/1, क्षेत्रफल 0.58 हेक्टेयर में से 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
19. समिति का मत है कि उक्त सी.ई.आर. हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव में पौधों, खाद, सिंचाई तथा रक-रखाव के लिए उपयुक्त राशि की बचत नहीं की गई है। अतः प्रस्ताव में संशोधन कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्तमवक सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:-

1. उत्खनन एवं अस्तर की स्थापना हेतु दान पंचायत का अनामित प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र की सीमा में बायीं ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पीछी का रोपण, सीमिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पटवकार व्यव का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. के अंतर्गत "प्रविष्ट दान निर्माण" के तहत पीछी, खाद, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए आवश्यक शक्ति की कन्या करती हुए संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. बोटल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. परिवर्जना से विन-विन स्थलों से पयुजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल सिंचकाव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. बाईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सभ्य वृक्षारोपण किये जाने एवं संरक्षित पीछी का सनवाईवल रेट (Sunshad rate) 50 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नलिखित कनसेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बाज्यूरी विस्फोट द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विस्फोट इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकल्प देहा को अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लभित नहीं है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विस्फोट नाला सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिनियम का.अ. 304(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्सर्जन का प्रकल्प लभित नहीं है।

उपरोक्त बर्णित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरंत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एच.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 31/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. उत्खनन एवं अस्तर की स्थापना हेतु दान पंचायत सिरे-दमनगर का दिनांक 21/04/2022 का अनामित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।



2. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कृतावीर्यन हेतु प्रस्ताव अनुसार 1,684 नग बीघों के लिए रशि 31,680 रुपये, पेंसिंग के लिए रशि 1,50,000 रुपये, खाद के लिए रशि 12,000 रुपये, सिंचाई तथा रस्त-रखान आदि के लिए रशि 48,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल रशि 2,41,680 रुपये एवं अगामी 4 वर्ष में कुल रशि 2,99,600 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
3. सी.ई.आर. की अंतर्गत "परिवेक वन निर्माण" के तहत पीपल, खाद, सिंचाई तथा रस्त-रखान के लिए उपयुक्त रशि की गणना करते हुए संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार निम्नानुसार संबंधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at, Village-Bhindranagar	
			Peeples Nirman	2.55
			Total	2.55

4. सी.ई.आर. की अंतर्गत "परिवेक वन निर्माण" के तहत (अथवा, बड़ पीपल, गैंग, आम, अर्जुन, बेल आदि) कृतावीर्यन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग बीघों के लिए रशि 4,000 रुपये, पेंसिंग के लिए रशि 40,000 रुपये, खाद के लिए रशि 2,000 रुपये, सिंचाई तथा रस्त-रखान के लिए रशि 53,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल रशि 99,000 रुपये तथा अगामी 4 वर्ष में कुल रशि 1,98,800 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत "परिवेक वन निर्माण" हेतु ग्राम पंचायत बिरेन्द्रनगर के सहमति उपरोक्त पंचायत के स्थान (खसत क्रमांक 474/1, क्षेत्रफल 0.58 हेक्टेयर में से 0.4 हेक्टेयर) को संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
5. अटॉमिक स्टोरेजिंग का कार्य एक्सप्लोडक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कताये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. परिवेकन से जिन-जिन स्थलों से एस्ट्रिक्टिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल सिंचन की व्यवस्था किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सभ्य कृतावीर्यन किये जाने एवं संयित बीघों का सतवाईबल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. परिवेकन प्रस्तावक द्वारा मिनेरल कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाठगढ़ी जिल्ला द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

Handwritten signature

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लाला, पीछर, गहर, नदी, काला एवं अन्य जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने वाले सम्यक् पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सम्यक् पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकल्प देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित सम्यक् पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्वारण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्तरादेश का प्रकल्प लंबित नहीं है।
12. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 बीटर की सीमा पट्टी में कुशांतरण कार्य को सैनिटेशन एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रामपंचायत/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसंधारण न्यायलय संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 बीटर की सीमा पट्टी में कुशांतरण का कार्य पूर्ण किये जाने से उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
13. गणनीय एन.जी.टी., डिमिशन रोड, नई दिल्ली द्वारा सर्वोदय पारम्भिक विरुद्ध भारत सरकार, पर्वारण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अेरिजनल एपिलेकशन नं. 100 जीक 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित अपेक्षा में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यलय्य डायरेक्टर (खनिज सार्वजनिक), जिला-बलरामपुर-समानुक्रमण के द्वारा क्रमांक/1084/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 20/12/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-विरेन्दनगर) का क्षेत्रफल 1.8 हेक्टर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टर या उससे कम होने के कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की शयी शयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से अपेक्षा - केसल विरेन्दनगर आर्किवरी स्टोन क्वारी (प्रै-बी विराजुल एक अंशरी) को ग्राम-विरेन्दनगर, पहाडील-बहुकनगर, जिला-बलरामपुर-समानुक्रमण के खसत क्रमांक- 422/1, 422/2 एवं 423 में स्थित साधारण पत्थर (पीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.8 हेक्टर, अणत-10,218 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-05 में वर्णित शर्तों से अर्धीन पर्यावरणीय स्वीकृति विर जाने की अनुमति की गई।



राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया (एनईआईएए), छत्तीसगढ़ को
तदानुसार सुचित किया जाए।

14. मेसर्स बिलाडी लाईन स्टीन कार्बो (प्रा. - श्री राजन राहुनज), धाम-बिलाडी,
तहसील-दिल्दा, जिला-रायपुर (सविवालय का नक्सा क्रमांक 1190)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एनआईए/ सीडी/ एनआईए/ 144140/2020, दिनांक 20/02/2020। परिषेजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि होने से ज्ञात दिनांक 26/02/2020 एवं 07/07/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परिवेजना प्रस्तावक द्वारा पठित जानकारी दिनांक 07/07/2020 एवं 19/08/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

खदान का विवरण - यह पूर्ण से संघारित कुल परत (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान धाम-बिलाडी, तहसील-दिल्दा, जिला-रायपुर स्थित खदान क्रमांक 108/1, कुल क्षेत्रफल-2.9 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-3,500 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 02/09/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नक्सा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. धाम पंचायत द्वारा जारी अनधिकृत प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट/ पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. सीमा सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनधिकृत प्रमाण पत्र की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्रक्रिया (एनईआईएए), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्रक्रिया (सीईआईएए), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित सर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी कोटोघात सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुआरेपत्र की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटोघात सहित प्रस्तुत की जाए।
4. यदि खदान पूर्ण से संघारित है, तो विगत वर्ष में वर्षवार किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष) खनिज विभाग से प्रेषित बना कर प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के सी. एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. परिषेजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटोघात) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परिषेजना प्रस्तावक को एनईआईए, छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

(ब) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

प्रस्तुत जनकनी का अनावरण एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. ग्राम पंचायत का अनावरण प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बिलाही का दिनांक 08/08/2004 का अनावरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना - कराटे प्लान एजान्ड विथ इन्वायरीमेंट मनेजमेंट प्लान एण्ड कराटे क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि, प्रसा), जिला-रायपुर के आगन क्रमांक 04/खलि./टीन-8/उ.प./2017 रायपुर, दिनांक 03/04/2017 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्पेलस क्लोजर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के आगन क्रमांक /क/खलि./टीन-8/2019/2047 रायपुर, दिनांक 25/09/2019 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर से नीचे अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/सार्वजनिक - कार्पेलस क्लोजर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के आगन क्रमांक /क/खलि./टीन-8/2019/2038 रायपुर, दिनांक 24/09/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एरीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. लीड का विवरण - यह तात्कालीय भूमि है। पूर्व में लीड की शिव कुमार देवायन के नाम पर थी। लीड की 10 वर्षों अवधि दिनांक 27/11/2004 से 28/11/2014 तक की अवधि हेतु थी। लीड की 10 वर्षों अवधि का संयोजक रायपुर के नाम पर दिनांक 02/08/2010 को किया गया है। प्रस्तुत जनकनी के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीड की अवधि वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है।
6. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. वन विभाग का अनावरण प्रमाण पत्र - कार्पेलस वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर के आगन क्रमांक /वा.पि./रा/3025 रायपुर, दिनांक 07/09/2020 से जारी अनावरण प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर है।
8. महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रों की दूरी - निकटतम आवासीय ग्राम-बिलाही 1 कि.मी, स्कूल ग्राम-बिलाही 1 कि.मी, एवं अस्पताल बिलाही 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. एवं राजमार्ग 1 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्य संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 50 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरिगली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।

10. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – डिप्लोमेटिकल रिजर्व 4,36,000 टन, माइनरल रिजर्व 3,02,133 टन एवं रिक्वायर्ड रिजर्व 2,71,919 टन है। डिप्लोमेटिकल रिजर्व की गणना 8 मीटर गहराई तक की गई है। विगत 10 वर्षों में 0.93 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.49 हेक्टेयर है। अपन कार्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 3 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की गांठ 1,800 घनमीटर एवं मोटाई 0.2 मीटर है। बीच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्वार क्वरिज नहीं है एवं वर्तमान में इसकी स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जैक हेमर से ट्रिनिंग एवं कंट्रोल स्टाबिलिज किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	933	1.5	1,400	3,500
द्वितीय	933	1.5	1,400	3,500
तृतीय	933	1.5	1,400	3,500
चतुर्थ	933	1.5	1,400	3,500
पंचम	933	1.5	1,400	3,500

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
छठे	933	1.5	1,400	3,500
सातवें	933	1.5	1,400	3,500
आठवें	933	1.5	1,400	3,500
नौवें	933	1.5	1,400	3,500
दसवें	933	1.5	1,400	3,500

नोट: तालिका में दशमंबर के बाद के अंशों को सार्वजनिक किया गया है।

11. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इन बाबत से सहमति ली जाएगी।
12. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में जारी क्षेत्र 7.5 मीटर की पट्टी में 1200 वन वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऊपरी मिट्टी को प्रथम वर्ष में उत्खनन कर, 7.5 मीटर की पट्टी में नमूदाहन/संरक्षित कर प्रथम वर्ष में ही पूर्ण वृक्षारोपण किया जाएगा।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में पूरा क्वार खदान कार्या क्रमांक 105/1, कुल क्षेत्रफल – 2.8 हेक्टेयर, क्षमता – 300 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्माण अधिकरण, प्रलीसगढ़ द्वारा दिनांक 12/08/2015 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15/10/2015 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

- g. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के चलन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- h. निर्धारित शर्तानुसार पूंजाकरण नहीं किया गया है।
- h. कर्यालय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-राजपुर के ज्ञापन दिनांक 08/10/2020 द्वारा विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2010	250
2011	500
2012	निरंक
2013	500
2014	निरंक

- g. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उत्खनन कार्य वर्ष 2014 से बंद है। चूंकि लीज खंड 10 वर्षों अवधि दिनांक 27/11/2004 से 26/11/2014 तक की अवधि हेतु थी।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव में सांख्यिकी स्कूल, राम-दिलाड़ी में प्रस्तावित रेन वॉटर हार्बरिंग एवं पूंजाकरण की उपयुक्त गणना तथा कुल लागत में प्रस्तावित अकार की लागत को सम्बंधित नहीं किया गया है।
15. प्रस्तुतीकरण के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में ब्लॉक रिजर्व की गणना में प्रस्तावित अकार क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है एवं उक्त क्षेत्र के ब्लॉक रिजर्व की गणना में नहीं की गई है। साथ ही प्रस्तुत लेग्ज्ड गूज पैटर्न में ब्लॉक की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के क्षेत्रफल का विवरण नहीं दिया गया है। उक्त उपयुक्त की गणना को संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्बन्धि से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. उपरोक्त विवरण अनुसार रिजर्व की विस्तृत गणना कर, संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के प्रस्ताव में कुल लागत में प्रस्तावित अकार की लागत को सम्बंधित किया जाए एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्बरिंग, पूंजाकरण आदि की उपयुक्त गणना सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त सम्बन्ध पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., उत्तीरगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/11/2020 से परिशेष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/01/2021 को जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(ख) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-



1. पूर्व में दिनांक 03/04/2017 को प्रस्तुत अनुमोदित क्वार्टी प्लान में जिबोलॉजिकल रिजर्व 4,38,000 टन, माइनिबल रिजर्व 3,02,133 टन एवं रिकॉन्स्ट्रक्शन रिजर्व 2,71,919 टन होना बताया गया है, जबकि गणना में प्रस्तावित इलाक़ क्षेत्र में खरीक रिजर्व को शामिल नहीं किया गया। वर्तमान में प्रस्तुत संशोधित माइनिंग प्लान में जिबोलॉजिकल रिजर्व 4,21,750 टन एवं माइनिबल रिजर्व 2,97,160 टन है। साथ ही खरीक रिजर्व की गणना में प्रस्तावित इलाक़ क्षेत्र (खरीक रिजर्व 22,500 टन) होना बताया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि गणना में त्रुटि है। इस संकेत में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
2. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के प्रसार में कुल लागत में प्रस्तावित इलाक़ की लागत को सम्बन्धित करती हुई प्रस्तावित इन वीटर हाबीलिंग, नुसारोपम आदि की उच्चतम गणना सहित विन्धानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
70.04	2%	1.40	Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Biladi	
			Rain Water Harvesting System	1.00
			Potable Drinking Water Facility	0.15
			Plantation with fencing	0.30
			Total	1.45

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिवर्धना प्रस्तावक को दिन्दु क्रमांक 1 के संकेत में स्पष्ट जानकारी एवं समस्त पूर्व जानकारी/दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) के साथ आगामी अप्रैलित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परिवर्धना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. पल्लीबागड़ के इलाक़ दिनांक 22/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी संयव सहजता प्रोमटाईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. संरक्षण योजना – संशोधित क्वार्टी प्लान एलांगविय इन्डायरोमेंट रेनेजमेंट प्लान किंग इंडेस्क्रिब क्वार्टी कलेक्टर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संघालक (आ.स.) संघालनलय, भीमिडी तथा खनिकर्म्, नवा रायपुर अदालत नगर के इलाक़ पृ.क्रमांक 5112/खनि02/मा.प.अनुमोदन/न.क्र.04/2019(2) मया रायपुर, दिनांक 08/12/2020 द्वारा अनुमोदित है। जिसमें जिबोलॉजिकल रिजर्व 4,21,250 टन एवं माइनिबल रिजर्व 3,04,850 टन है। साथ ही खरीक रिजर्व की

गणना में उल्लिखित प्रकार क्षेत्र 1,500 वर्गमीटर (कुल स्वीकृत रिजर्व 22,800 टन) होना बताया गया है।

2. समिति के संज्ञान में यह लक्ष्य आया कि पूर्व में इस घुस पाथर खदान का सारा क्रमांक 104/1, कुल क्षेत्रफल-2.9 हेक्टेयर, क्षमता-300 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण सम्बंधित विभिन्न प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 12/08/2018 को जारी की गई थी। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता-3,500 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि यह प्रकल्प क्षमता विस्तार का है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भावा सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन कराये जाने हेतु निर्धारित किया जाए।

तदनुसार एन.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 08/09/2021 के परिषेध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भावा सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 14/09/2021:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भावा सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर के आपन दिनांक 13/09/2021 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन अनुसार शर्त क्रमांक 14 (कृषादीपन का कार्य नहीं किया जाना), शर्त क्रमांक 25 (न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया गया) एवं 26 (पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया) का अधुन पालन होना बताया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तों का पालन पूर्व करने के उपरांत ही आगामी कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्त क्रमांक 14 अनुसार कृषादीपन का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ सहित एवं निर्धारित शर्त क्रमांक 26 अनुसार अर्धवार्षिक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एन.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 28/09/2021 के परिषेध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 08/12/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ई) समिति की 387वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्त क्रमांक 14 अनुसार कृषादीपन का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ प्रस्तुत किया गया है।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्त क्रमांक 28 (पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अवैधानिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया) का अपूर्ण पालन होना बताया गया है।
3. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. लीज क्षेत्र के घाटों और प्रस्तावित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं सीईआर के तहत कुआरोपन हेतु पीछों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्त क्रमांक 28 अनुसार अवैधानिक पालन इतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र के घाटों और प्रस्तावित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं सीईआर के तहत कुआरोपन हेतु पीछों का रोपण, मुखा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरोक्त बंदिता जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., समीरगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 के परिणाम में परिशोधना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(घ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 30/03/2022:

समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नलिखित निर्णय किया गया—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी विस्तृत प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार शर्त क्रमांक 14, 28, 29 एवं 31 का पालन नहीं किया गया है।
2. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. लीज क्षेत्र के घाटों और प्रस्तावित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 1,200 नग कुआरोपन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछों के लिए राशि 60,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,58,700 रुपये, खाद, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 1,89,800 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 4,08,300 रुपये 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
4. सी.ई.आर. के तहत 50 नग कुआरोपन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछों के लिए राशि 2,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 23,000 रुपये, खाद, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 48,100 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 73,600 रुपये 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

- उत्खनन के संबंध में प्रस्तुत ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्ष 2004 का है। तत्पश्चात् सीज डीक का हस्तांतरण हो चुका है। अतः समिति का मत है कि उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं ऊत्तर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की प्रस्तुत विन्युक्त जानकारी के शर्त क्रमांक 14, 25, 26 एवं 31 का पालन पूर्ण रूप से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये।
- उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं ऊत्तर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त संचित जानकारी/रिपोर्ट प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 17/05/2022 के परिषद में परिवर्जना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/रिपोर्ट दिनांक 24/05/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(अ) समिति की 411वीं बैठक दिनांक 17/05/2022:

समिति द्वारा नतीजा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति आई गई कि:-

- परिवर्जना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की प्रस्तुत विन्युक्त जानकारी के शर्त क्रमांक 14, 25, 26 एवं 31 का पालन पूर्ण रूप से 4 माह के भीतर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना बताया गया है।
- परिवर्जना प्रस्तावक का कहना है कि चूंकि यह खदान अनापत्ति विस्तार के प्रकरण के अंतर्गत आता है। पूर्व में उत्खनन के संबंध में प्रस्तुत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्ष 2004 के आधार पर ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है तथा पूर्व में ऊत्तर की स्थापना का प्रस्ताव नहीं था। अतः परिवर्जना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में भी वर्ष 2004 के ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ही पर्यावरणीय स्वीकृति (अनापत्ति विस्तार के लिए) जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त के संबंध में समिति का मत है कि परिवर्जना प्रस्तावक द्वारा संतोषित जारी प्लान में स्वीकृत रिजर्व की गणना में प्रस्तावित ऊत्तर क्षेत्र 1,500 वर्गमीटर (कुल स्वीकृत रिजर्व 22,800 टन) होना बताया गया है तथा पूर्व में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्ष 2004 का क्षेत्र उत्खनन के संबंध में जारी किया गया है। जबकि वर्तमान में अनापत्ति विस्तार के साथ ऊत्तर की स्थापना का प्रस्ताव भी किया गया है। अतः उत्खनन के संबंध में एवं ऊत्तर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- अद्यतन उत्खनन के संबंध में एवं ऊत्तर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।



2. क्षमता विस्तार से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पी.सी.यू. में वर्तमान उत्खनन क्षमता (300 टन प्रतिवर्ष) से क्षमता वृद्धि (3,500 टन प्रतिवर्ष) करने पर कुल प्रदूषण में वृद्धि होगी। अतः प्रदूषण को कम करने के संबंध में आगरे द्वारा शासन के नियमानुसार समुचित उपयुक्त किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. वर्तमान में ब्लास्टिंग की संख्या तथा क्षमता विस्तार करने पर ब्लास्टिंग की संख्या में वृद्धि होगी। ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा करवाये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

4. वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरोक्त अतिरिक्त सुझाव उपरोक्त एवं अद्यतन पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई.एम.पी.) शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त उचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरोक्त अनाभी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एम.ई.ए.सी., उत्तीरगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/07/2022 के परिप्रेक्ष्य में परिशोधना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 27/07/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ए) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार सिध्ति आई गई कि:-

1. परिशोधना प्रस्तावक की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वर्तमान में ऊहार स्थापना की योजना नहीं होना बताया गया है। अतः ऊहार की स्थापना के संबंध में शान पंचायत का अद्यतन अनामित प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में समिति का मत है कि ऊहार की स्थापना नहीं किये जाने हेतु संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। शान ही उत्खनन के संबंध में शान पंचायत का अद्यतन अनामित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. क्षमता विस्तार से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पी.सी.यू. में वर्तमान उत्खनन क्षमता (300 टन प्रतिवर्ष) से क्षमता वृद्धि (3,500 टन प्रतिवर्ष) करने पर प्रदूषण को कम करने के संबंध में शासन के नियमानुसार समुचित उपयुक्त किये जाने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

3. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा करवाये जाने बाबत शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

4. वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरोक्त अतिरिक्त सुझाव उपरोक्त एवं अद्यतन पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई.एम.पी.) शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा उत्समय सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. ऊहार की स्थापना नहीं किये जाने हेतु रिजर्व की योजना सहित संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए। शान ही उत्खनन के संबंध में शान पंचायत का अद्यतन अनामित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. परियोजना से दिन-दिन स्थलों से पयुजिटिव इस्ट उल्लंघन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबद् सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सपथ वृद्धावधि किये जाने एवं सेफ्टि पीसी का सनवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबद् सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का कथन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन इकलन देह के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लखित नहीं है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस परियोजना से संबंधित इस आशय का नोटरी से सत्यापित सपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्वतारोह, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का इकलन लखित नहीं है।

उपरोक्त लखित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने परांत आनापी कर्बवाही की जाएगी।

समानुसार एन.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 28/09/2022 के परिषद में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 03/11/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ए) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 16/11/2022:

समिति द्वारा मल्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निश्चिती आई गई:-

1. सरकार की स्थापना नहीं किये जाने हेतु रिजर्व की गणना सहित संबंधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही उल्लंघन के संबंध में घात पंचायत का अद्यतन अनुपस्थित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1998 के तहत स्वीकृती के समय पंचायत प्रस्ताव लिये जाने का प्रस्ताव था, नवकरण के समय नहीं था। लीज स्वीकृती के समय पंचायत प्रस्ताव की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. परियोजना से दिन-दिन स्थलों से पयुजिटिव इस्ट उल्लंघन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबद् सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
3. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सपथ वृद्धावधि किये जाने एवं सेफ्टि पीसी का सनवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबद् सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन इकलन देह के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लखित नहीं है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस परियोजना से संबंधित इस आशय का नोटरी से सत्यापित सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्वतारोह, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की

अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई पर्याय का प्रस्ताव उचित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उधार की स्थापना नहीं किये जाने हेतु निजर्व की सलाह सहित संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

18. मेसर्स महावीर कोल वॉलरीज प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-खरगहनी, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 2043)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नंबर - एलआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 77245/ 2022, दिनांक 25/08/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-खरगहनी, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर निम्न खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 79/1, 79/2, 80/1, 80/3, 78, 85, 83, 81, पार्ट ऑफ 82, 84, 86, 87, पार्ट ऑफ 88, 88, 89/1 एवं 89/2 कुल क्षेत्रफल - 18.37 एकड़ में कोल वॉलरी क्षमता-0.69 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर कोल वॉलरी क्षमता-2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 25 करोड़ होगी।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 424वीं बैठक दिनांक 30/09/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विद्याल सुमार जैन, डॉक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स आईएनवी टेक हाउस कन्सल्ट, दिल्ली की ओर से श्री जे.जे.मोईजा, ईआईए को-ऑर्डिनेटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह लक्ष्य आया कि आवेदित प्रस्ताव हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों में खसरा एवं रकबा तथा इसके पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के खसरा एवं रकबा में भिन्नता है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को समझ कोर्न-1 में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाईन में ए.डी.ए. जारी करने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को कोर्न-1 में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाईन में ए.डी.ए. (Additional Document Shortcoming) जारी करने के परवात् संचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एम.ई.ए.सी., उत्तीरनगढ़ के द्वारा दिनांक 03/11/2022 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 03/11/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 16/11/2022

समिति द्वारा जारी प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई संचित जानकारी एवं समस्त सुशंगत जानकारी / दस्तावेज संचित आगामी

आयोजित बैठक दिनांक 08/11/2022 को प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत दुरुस्ताने की आवश्यकता की सूचना दी जाए।

परिचोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

14. वेल्स प्वाय स्टील एन्ड आईरन (प्रा.) लिमिटेड, राय-हाहालद्वी, तहसील-मानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर (सविद्यालय का नक्का क्रमांक 1827)

ऑनलाईन आवेदन - आवेदन नम्बर - एसआईए / सीसी / एमआईएन / 72040/2022, दिनांक 07/02/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परिचोजना प्रस्तावक द्वारा राय-हाहालद्वी, तहसील-मानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर स्थित परिसर क्षेत्र कुल क्षेत्रफल - 66 हेक्टेयर में अमल अन्वयन और माईन (मुख्य खनिज) एलोन विद्युत उत्पन्न एन्ड खनिज प्वाय समता - 0.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 1.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं न्यू अन्वयन और बेनिफिशिएशन (हाई / रेट) क्षमता - 0.85 मिलियन टन प्रतिवर्ष को टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परिचोजना का कुल विनियोग रुपये 60 करोड़ होगी।

तदानुसार परिचोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 08/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 407वीं बैठक दिनांक 10/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुरेश कुमार जी, वाइस प्रेसीडेंट उपस्थित हुए। परिचोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि व्यक्ति जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति को वाइस आर बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय उपलब्ध करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिचोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई व्यक्ति जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परिचोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 418वीं बैठक दिनांक 26/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुरेश कुमार जी, वाइस प्रेसीडेंट उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्का प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

1. पूर्व में अन्वयन और माईन (मुख्य खनिज), परिसर क्षेत्र कुल क्षेत्रफल - 66 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता - 0.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/01/2008 को जारी की गई।

2. परिचोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के तहत में जो नई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परिचोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, जल

एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबन्धन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक), जिला-उत्तर बस्तर के द्वारा जमांक/134/खनिज/2022-23 कांसेर, दिनांक 13/05/2022 के अनुसार विगत वर्ष में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (मि.टन)
2017-18	निरंक
2018-19	79,000
2019-20	79,500
2020-21	94,500
2021-22	2,72,400
2022-23 (साह अर्सेल)	14,500

- उत्खनन शक्ति प्राप्त कर विभाग, वाक कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर से पु. ज्ञापन जमांक एक-5-50/08/18-2 रायपुर, दिनांक 21/07/2008 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार "लीड अवसक खनिज उत्खनन के लिए खनिजी काले हेतु व्यवस्थान की अनुमति प्रदान कन्या है।" का उल्लेख है।
- घान पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में घान पंचायत इनामदारी का दिनांक 12/09/2008, घान पंचायत खुटनाई का दिनांक 18/09/2008 एवं घान पंचायत विहारी का दिनांक 12/09/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। अंतर की स्थिति हेतु घान पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- उत्खनन योजना - सिद्धु जीव माईनिंग प्लान एंड प्रोसेसिंग माईनिंग कलेक्टर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान अद्वी, रायपुर से ज्ञापन जमांक/कांसेर/लीड/खनिज-1285/2020 रायपुर, दिनांक 20/05/2021 द्वारा अनुमोदित है।
- 200 मीटर की परिधि में निम्न सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक) से आरंभित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मत्पट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनिकाट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति क्रीत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने के संबंध में जानकारी/ वसतावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।
- लीज का विवरण - लीज जीव मेसर्स पुष स्टील्स एम्ड माईनिंग प्रा. लिमिटेड के नाम पर है। उत्खनन शक्ति प्राप्त कर विभाग, मंत्रालय, मद्रासवी भवन से ज्ञापन जमांक एक 3-62/2003/12 गया रायपुर, दिनांक 05/01/2017 द्वारा मेसर्स पुष स्टील्स एम्ड माईनिंग प्रा. लि. के पास में जिला-उत्तर बस्तर कांसेर, बननगडल पूर्व खानुल्लाखपुर, वल्लेड कुर्वीकोन्दुल विगत पत्र कस जमांक 355 से 358 के कुल राकबा 215 हेक्टर पर 50 वर्ष की अवधि के लिए खनिज लीड अवसक का खनिजदाता स्वीकृत किया गया है तथा स्वीकृत माईनिंग लीज क्षेत्र 215 हेक्टर में से 88 हेक्टर (सैपटी जेन एरिया सहित) क्षेत्र का खनिजदाता अनुबंध (लीज डीय) का निष्पादन किया गया है।

Handwritten signature

7. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – लीज सीमा से निकलता वन क्षेत्र की वार्षिक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही लीज क्षेत्र से निकलता अन्वारम्भ/राष्ट्रीय उद्यान/ईको सेंसिटिव ज़ोन की दूरी का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. गडबन्धपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकलता आवासीय प्लान-ड्युब्लेड 8.15 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन केवरी 3.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. दूर है। खांडी नदी 430 मीटर दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिसर में आंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अन्वारम्भ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार डिपॉजिटिवल रिजर्व 81,80,548 टन एवं माईनेबल रिजर्व 52,91,377 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8.5 हेक्टेयर (2,87,703 टन) है। औसत कास्ट पुरी मेकनईज्ड गिटि से उत्खनन किया जाता है। बेस की ऊंचाई 8 मीटर एवं चौड़ाई 20 मीटर है। खदान की संभावित आयु 7 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अक्षर स्थपित किया जाना प्रस्तावित है। ड्रिलिंग, हायड्रोलिक एक्सप्लेटर एवं कंट्रोल स्थापित किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रास किया जाता है। वर्षावन प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	इस्तावित उत्खनन (टन)
2021-23	2,99,103
2022-23	5,48,484
2023-24	7,48,716
2024-25	8,76,264
2025-26	9,02,290

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 80 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति न्यू-जल के माध्यम से की जाती है। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेंट्रल वायफा बॉटर अथॉरिटी से 40 घनमीटर प्रतिदिन के लिए दिनांक 31/01/2022 से 30/01/2024 तक अनुमति प्राप्त की गई है। संच जल की आपूर्ति हेतु स्थल प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
13. नुसारोपम कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 8,000 म² नुसारोपम किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. विद्युत आपूर्ति एवं सञ्चय – परियोजना हेतु 1,200 क्वी.सी.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की

जाएगी। वैज्ञानिक व्यक्तित्व हेतु 1,250 से.की.ए. का डी.जी. सेंट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेंट को एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर में स्थापित किया जाएगा।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान के लिए बेसलाइन डाटा उपलब्धता का कार्य दिनांक 01/10/2021 से दिनांक 31/12/2021 तक किया गया।
17. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चट्टी एवं प्रस्तावित कुआरेक्षण को के.एच.एल. फाईल में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
18. समिति का मत है कि संबंधित वनमण्डलाधिकारी द्वारा जारी इस आह्वय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि चक्रा खनन कार्य से स्टेशन-1 तथा स्टेशन-2 में दिये गये शर्तों का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं हुआ है ?

समिति द्वारा सलाहकार सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का फाइन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय पर्यावरण, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाने जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
2. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्टेशन-1 एवं स्टेशन-2 क्लीयरेंस आवेदन की पटनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वन्य प्राणी संरक्षण योजना (अनुमोदित) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. अक्षर की स्थापना हेतु वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. अक्षर की क्षमता, क्षेत्रफल आदि संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही अक्षर से होने वाले क्विंटिटिव इन्ट इन्फ्लूएंस को कम करने हेतु अपनाये जाने वाले उपकरणों की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
6. वर्तमान ले-आउट प्लान (माइनिंग क्षेत्र, अक्षर क्षेत्र, डेनिफिकेशन क्षेत्र, वीन माइनिंग क्षेत्र, डिप्लिंग/ऑफिस क्षेत्र, सेप्टी जॉन क्षेत्र एवं अन्य घटकों को के. एच.एल. फाईल में दर्शाते हुये) प्रस्तुत किया जाए। इसी प्रकार बायटा विस्तार हेतु प्रस्तावित ले-आउट प्लान के.एच.एल. फाईल सहित प्रस्तुत की जाए।
7. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चट्टी एवं प्रस्तावित कुआरेक्षण को के.एच.एल. फाईल में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाए।
8. संबंधित वनमण्डलाधिकारी द्वारा जारी इस आह्वय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए कि चक्रा खनन कार्य से स्टेशन-1 तथा स्टेशन-2 में दिये गये शर्तों का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं हुआ है?
9. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र, निकटतम अम्बाला/राष्ट्रीय उद्यान/ईको सेंसिटिव जॉन की दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग से जारी अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आह्वय का वनन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आह्वय का चट्टी से सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।



जनसंख्या संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

उदाहरणार्थ एस.ई.ए.सी. जलसिमागढ़ के मामले दिनांक 08/09/2022 को परिशिष्ट में परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 03/11/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(घ) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

समिति द्वारा जारी प्रस्तुत जानकारी का आलोचना एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय लकीरुति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त करने के संबंध में परिवर्तन प्रस्तावक का कथन है कि उनके द्वारा स्वयंसेवित राज्य प्रतिवेदन प्रत्येक 6 माह में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रेषित किया जाता है। वर्तमान में दिनांक 13/09/2022 को क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को स्वयंसेवित पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने की जानकारी दी गई है। समिति का मत है कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तथा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्टैज-1 क्लीयरेंस आदेश दिनांक 16/12/2008 एवं स्टैज-2 क्लीयरेंस आदेश दिनांक 06/06/2009 की पंजीयन प्रति प्रस्तुत की गई है।
3. परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा वन प्राप्ति संरक्षण योजना तैयार की गई है। समिति का मत है कि उक्त तैयार कृत प्राप्ति संरक्षण योजना का अनुमोदन प्रदान मुख्य वन संचालक (वन प्राप्ति) से अनुमोदन कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. ज्वार की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत का अनुरोधित प्रमाण पत्र के संबंध में परिवर्तन प्रस्तावक का कथन है कि पूर्व में प्रस्तुत ग्राम पंचायत अनुरोधित प्रमाण पत्र में "संयोजित क्षेत्र में खान से संबंधित एवं उसके संचालन से संबंधित जो-जो भी कार्य लक्ष्य एवं अस्थाई सय से किया जाएगा" का उल्लेख है।
5. सीज क्षेत्र के भीतर 1.4 हेक्टर क्षेत्र में 400 टन प्रतिघंटा क्षमता का ज्वार स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित ज्वार में पशुचिटीय बस्ट उत्पादन से निबंधन हेतु बीटर स्वीडिलिंग सिस्टम प्रस्तावित है।
6. वर्तमान ले-आउट प्लान (नाईनिंग क्षेत्र, ज्वार क्षेत्र, डेमिकिडेशन क्षेत्र, नोन नाईनिंग क्षेत्र, सिडिलिंग/ऑफिस क्षेत्र, सेप्टी जॉन क्षेत्र एवं अन्य घटक) को के.एम.एस. फाईल में दर्शाते हुए प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार क्षमता विस्तार हेतु प्रस्तावित ले-आउट प्लान के.एम.एस. फाईल सहित प्रस्तुत किया गया है।
7. सीज क्षेत्र की सीमा में चाली और 1.5 मीटर की पट्टी एवं प्रस्तावित कुआरक्षण को के.एम.एस. फाईल में दर्शाते हुए प्रस्तुत किया गया है।
8. वनसंरक्षणविधायी मानुशानपुर द्वारा जारी खान कार्य से स्टैज-1 उक्त स्टैज-2 में दिखे गये तारी का उत्पादन नहीं हुआ है बावजू वर्तमान पत्र वर्ष 2008 का प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में अद्यतन प्रमाण पत्र वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र, निकटतम अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान/ईको सेंसिटिव ज़ोन की दूरी का उल्लंघन करते हुए वन विभाग से जारी अनारथित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि उक्त जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आवास का कचरा पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनसे विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आवास का कचरा पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनसे विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय सहीकृति का मालम प्रतिकेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. वन्य प्राणी संरक्षण योजना का अनुवेदन प्रदान किये गए वन संरक्षक (वन्य प्राणी) से अनुवेदन कवाकर प्रस्तुत किया जाए।

3. वनमंडलाधिकारी भानुप्रतापपुर द्वारा जारी खनन कार्य से स्टेज-1 तथा स्टेज-2 में दिहे गये हार्ड का उल्लंघन नहीं हुआ है कचरा प्रमाण पत्र वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र, निकटतम अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान/ईको सेंसिटिव ज़ोन की दूरी का उल्लंघन करते हुए वन विभाग से जारी अनारथित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वर्णित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपर्युक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए।

17. पेंसास की टैकराम साहू पलेन स्टीन (लाईन स्टीन क्वार्टी), घास-निसदा, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (सचिवालय का कार्टी क्रमांक 1488)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए /सीजी /एसआईएन /188814/2020, दिनांक 08/12/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में अनिर्णी होने से ज्ञापन दिनांक 29/12/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्णित जानकारी दिनांक 30/01/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघालित पर्वत खम्बर (लीज खनिज) खदान है। खदान घास-निसदा, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर स्थित चार्ट ऑफ खराब क्रमांक 1344, कुल क्षेत्रफल-1.082 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित सतहानन क्षमता-11,000 टन प्रतिवर्ष है।

वैतकों का विवरण -

(ब) समिति की 365वीं बैठक दिनांक 01/03/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की सभी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा परस्पर सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (ज्या संशोधित) में परिभाषित कलक्टर अनुसार "कोई कलक्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिधियों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिधियों से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् कलक्टर हेतु होमोटेक्टिफिकेशन नियमल क्षेत्र में विद्यमान खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर जाने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर जाने वाले अन्य सभी खदानों को (कलक्टर में खदानों को नहीं एक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. जनबनन एवं अकार्यविधि हो गी) हेतु ध्यान संशय के अनामति प्रमाण पत्र की (किटक दिनांक, सक्षिप एवं सत्य के हस्ताकर सहित) अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. मुनि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जावे।
4. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य सरकार पर्यावरण सभाघट निर्धारण प्रतिकल्प (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघट निर्धारण प्रतिकल्प (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणवीच स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणवीच स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित सर्तों के चलन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोघानस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुरावेपत्र की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोघानस सहित प्रस्तुत की जाए।
5. किन्त वर्षों में किन्त वर्ष परखनन की वस्तविक मात्रा (दिलीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रेषित करकेन प्रस्तुत की जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विनृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोघानस) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई-मेल क्रमशः दिनांक 08/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 365वीं बैठक दिनांक 01/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु विधिवे कान्डीसिंग के माध्यम से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा परस्पर सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षिप जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

समानुसार एस.ई.ए.सी., उत्तरीसमूह के ज्ञापन दिनांक 02/08/2021 के परिधि में परिधोजना इन्साइक द्वारा दिनांक 05/08/2021 को प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु अनुसूच पर प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा नसी/ अनुसूच पर प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर तथा तत्समय सर्वसाम्प्रति से परिधोजना इन्साइक के अनुसूच को स्वीकार करने हेतु पूर्व में जारी गई परिध जानकारी एवं सभ्य सुलभता जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

समानुसार परिधोजना इन्साइक को एस.ई.ए.सी., उत्तरीसमूह के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संतोष कुमार यादव अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्व), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1257/ख.सि./लीन-8/2020 रायपुर, दिनांक 18/11/2020 द्वारा वर्ष 2008 से आज दिनांक तक कोई वापसदान कार्य नहीं किया गया है।
3. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - राखनन के संकेत में ग्राम पंचायत निवादा का दिनांक 18/01/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति कार्यावाही कियेल सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. उत्खनन योजना - स्वामी प्लान एलीग विव स्वारी क्लोजर प्लान विव इन्फ्लोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रसा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क/ख.सि./लीन-8/घ.प. 117/2008/3003 रायपुर, दिनांक 23/01/2017 द्वारा अनुमोदित है। उत्तरीसमूह गीन खनिज अधिनियम, 2015 के नियम 24 अनुसार प्रस्तुत स्वारी प्लान की वैधता समाप्त हो गई है। अतः अनुमोदित स्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. 500 मीटर की परिधि में निम्न खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्व), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 383/ख.सि./लीन-8/2021 रायपुर, दिनांक 24/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 10.75 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विधायकीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संशोधित) में परिभाषित कलक्टर अनुसार "कोई कलक्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिधियों के बीच दूरी कम से कम खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिधियों से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् कलक्टर हेतु होमोपेनियस मिनेरल क्षेत्र में विधायकीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार समिल

- खदानों की लीज सीमा को 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (कलक्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्पोरेट कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक क्षेत्र) जिला-रायपुर के द्वारा क्रमांक/क/खनि./लीज-4/2018/2014 रायपुर, दिनांक 23/08/2018 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार जहाँ खदान को 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पार्क, मस्जिद, मठ, बंगला, एनर्जी एंड जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
 7. भूमि एवं लीज का विवरण - यह सालाना भूमि है। लीज की टेकनाम राहु की नाम पर है। लीज क्षेत्र 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/08/2008 से 30/04/2018 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज क्षेत्र 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/08/2018 से 30/04/2038 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
 8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
 9. कब विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्पोरेट कलेक्टर/आयुक्त, रायपुर कलेक्टर, जिला-रायपुर के द्वारा क्रमांक/मा.वि./रा./2343 रायपुर, दिनांक 23/08/2008 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
 10. महानदी संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी घाट-गिरादा 1 कि.मी. एवं स्कूल घाट-गिरादा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.55 कि.मी. दूर है। महानदी 0.15 कि.मी. एवं महानदी नहर 0.45 कि.मी. दूर है।
 11. पारिस्थितिकीय/जीववैविधता संरक्षणशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय खदान, अन्तराज्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉइन्ट्स एरिया, पारिस्थितिकीय संरक्षणशील क्षेत्र या घोषित जीववैविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
 12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - वर्तमान में प्रस्तुत खारी प्लान की कितनी प्रतीकगत गोल खनिज अधिनियम, 2015 के नियम 24 अनुसार सफल हो गई है।
 13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, कूड़ासंग्रह) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेपरजल की आपूर्ति घाट पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत घाट पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 14. कृषारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में बाहरी ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 7.33 नम कृषारोपण किया जाएगा।
 15. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्कालीन सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन एवं कवर (पट्टि हो लीं) हेतु धान पंचायत को अनुमोदित प्रमाण पत्र की बैठक दिनांक, सचिव एवं सचयों को हस्ताक्षर सहित) अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि एक छदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य छदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर एक क्लम बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिवारों के बीच दूरी कम से कम 500 मीटर से कम पट्टे के परिवार से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोडिफिडस मिन्सल क्षेत्र में विद्यमान छदानों की लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी छदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल छदानों की लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी छदानों को (क्लस्टर में छदानों को वही तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई छदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। आ. समीक्षानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. पंचायत की आपूर्ति हेतु धान पंचायत का अनुमोदित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.ओ. का विस्तृत प्रस्ताव एवं स्थापित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. लीज क्षेत्र की सीमा में बायीं ओर 7.5 मीटर की पट्टी में एवं सी.ई.ओ. के तहत कुआरक्षण हेतु नीचे का रोड, रुकना हेतु पेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पट्टेदार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. कर्पोरल कलेक्टर (स्थानिक मामलों), जिला-रायपुर से विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी प्रमाणित करके प्रस्तुत की जाए।
8. जनसेवा केंद्रित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्त एल.ई.ए.सी., उत्तीरागढ़ के ज्ञान दिनांक 22/02/2022 के परिषद में परिवोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 09/11/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(3) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 16/11/2022:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर पाया गया कि परिवोजना प्रस्तावक की टी.ओ.ओ.ए. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था परन्तु उनके द्वारा पर्याप्तनीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के कारण से आवेदन प्रकरण को निरस्त किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित होती है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से परिवोजना प्रस्तावक को आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुमति दी गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2008 (यथा संशोधित) के तहत पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुमति दी गई।

राज्य सार्वजनिक पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिनियम (एन.ई.आई.ए.ए.) प्रतीसंग के अनुसार सूचित किया जाए।

18. मेसर्स गोपालपुर विकास वर्कर्स प्राइवेट लिमिटेड विकास विभागीय विकास प्रॉजेंट (पी.-डी.आर. के अंतर्गत) के अंतर्गत, ग्राम-गोपालपुर, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (कमिश्नरियत का नक्सा क्रमांक 1792)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीडी/ एम्प्लॉय/ 2020/2021, दिनांक 01/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (पीएन एन) खदान एवं विकास विभागीय ईट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-गोपालपुर, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज स्थित खाना क्रमांक 499/1 एवं 499/2, कुल क्षेत्रफल-1.23 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 500 क्यूमीटर प्रतिवर्ष है।

उपरोक्त परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.आई.ए. प्रतीसंग के द्वारा दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतिका रूप में सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 25/04/2022:

प्रस्तुतिका रूप में की बसु बाहर, अधिसूचित प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्सा, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधि आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान के पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम वंचाहत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम वंचाहत गोपालपुर का दिनांक 23/08/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - जारी प्लान एंटीग विध. जारी बलरामपुर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो एन.ई.आई.ए. जिला-कोरिया के द्वारा क्रमांक/1206/कमिज/कमि.2/2021/कोरिया केरुणपुर दिनांक 18/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (कमिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के द्वारा क्रमांक/431/कमिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 15/04/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की सूची तैयार है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (कमिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के द्वारा क्रमांक/430/कमिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 15/04/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, नगरपालिका, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, जलसंधारण, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एन.ई.आई.आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एन.ई.आई. संबंधी विवरण - एन.ई.आई. कार्यालय कलेक्टर (कमिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के द्वारा क्रमांक/318/पीए

खनिज/उत्खननपट्टा/2021 बलरामपुर, दिनांक 22/08/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी कृपया जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. न्यू-स्वामिन्व - भूमि खसत क्रमांक 499/1 वी गुणू एवं 499/2 वी विजय वादव के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कर्वालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/वा.वि./2018/7503 बलरामपुर, दिनांक 08/10/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से उत्तर में 0.7 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवादी ग्राम-गोपालपुर 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-गोपालपुर 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-गोपालपुर 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 26 कि.मी. दूर है। स्थान नदी 2 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में जलसंचयन सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संवर्धन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिस्टीयली पील्डुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबोधित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जियोमेट्रिकल रिजर्व 22,100 घनमीटर, गार्डनेजल रिजर्व 18,144 घनमीटर एवं निकटस्थल रिजर्व 13,338 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 440 वर्गमीटर है। लीज कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईट निर्माण हेतु मददा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी कृपया किमती की ऊंचाई 30 मीटर होगी। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत सलाई एरु का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। एक लाख ईट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्राव किया जाएगा। अनुमोदित कच्चे पत्थर अनुसंधान सर्वेक्षण प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (टन)
प्रथम	500	5,00,000
द्वितीय	500	5,00,000
तृतीय	500	5,00,000
चतुर्थ	500	5,00,000
पंचम	500	5,00,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	आयादन (रुप)
साल 2017-18	500	5,00,000
साल 2018-19	500	5,00,000
साल 2019-20	500	5,00,000
साल 2020-21	500	5,00,000
साल 2021-22	500	5,00,000

13. जल आपूर्ति – परिवोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.52 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में ग्राम पंचायत का अनुरोध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. नृदानोपय कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की चट्टी से 232 मीटर नृदानोपय किया जाएगा।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परिवोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि "परिव वन" के लक्ष्य (आंबला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरोक्त पर्यावरणीय स्थान (खसरावार विवरण सहित) में नृदानोपय हेतु पीछे, पेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का बटवखान आवक का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाने गए कोयले की मात्रा एवं उससे जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रीकन ब्रिक्स (Broken bricks) की उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. मूलतः रीप से देखने पर लीज क्षेत्र का कुछ भाग उत्खनित प्रतिपादित होना पता गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र पूर्व से उत्खनित नहीं है। समिति का मत है कि इस संबंध में जानकारी/दस्तावेज खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्खनन सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. रीप-वेग किल्ला के निर्माण हेतु ड्राईंग, किआईंग एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र का कुछ भाग उत्खनित है अथवा नहीं के संबंध में जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।
3. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनुरोध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाने गए कोयले की मात्रा एवं उससे जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रीकन ब्रिक्स (Broken bricks) की उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "परिव वन" के लक्ष्य (आंबला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरोक्त पर्यावरणीय स्थान (खसरावार विवरण सहित) में नृदानोपय हेतु पीछे, पेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा

रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

- उपरोक्त उल्लिखित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार सी.ई.ए.सी., फ्लोरासपुर के प्रमाण दिनांक 22/02/2022 के परिचय में परिचोचना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 02/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 16/03/2022:

समिति द्वारा गल्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. जल-रींग किलन के निर्माण हेतु ड्राईन, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
2. जीउ क्षेत्र का कुछ भाग उत्खनित है अथवा नहीं के संकेत में कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक), जिला-बलरामपुर-रायचुरुजगंज के प्रमाण क्रमांक 41/समिति/खनिज./2022 बलरामपुर, दिनांक 28/01/2022 के अनुसार उक्त स्वीकृत गीज खनिज उत्खनित/दस्तावेज क्षेत्र में प्रदर्शित होने वाले विद्यमान गड्ढे उत्खनित/दस्तावेज स्वीकृत पूर्व स्थापित है।
3. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत मोफालपुर का दिनांक 20/01/2022 का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाने पर कोयले की मात्रा 10 टन से 12 टन एवं पत्थरों जिनमें ईंट की मात्रा 5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तथा रिजैक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रीकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पर्याप्त मात्रा में रख-रखाव में किया जाएगा।
5. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछों के लिए राशि 1,800 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,400 रुपये, रख-रखाव के लिए राशि 84,000 रुपये, झुला एवं फिल्टरपट्टी के लिए राशि 20,000 रुपये, लाईटिंग, इस्टरोन आदि के लिए राशि 21,600 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,68,800 रुपये, 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परिचोचना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के सहमति उपरान्त पंचायतीय स्थान (आगम क्रमांक 322/1 क्षेत्रफल 4.031 हेक्टेयर) के संकेत में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत झुला, फिल्टरपट्टी, लाईटिंग, इस्टरोन आदि का कार्य के प्रस्ताव को अमान्य किया गया। समिति का मत है कि उपरोक्तानुसार सी.ई.आर. के तहत "पवित्र वन" का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा अन्ततम सर्वसाधारण के निर्णय लिया गया था कि परिचोचना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) में वृक्षारोपण हेतु पीछों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एच.ई.ए.सी., प्रतीसभद के ज्ञापन दिनांक 22/04/2022 के परिषद में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 27/04/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 418वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि:-

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से सभी उपरोक्त विवरणों के अनुसार विस्तृत अंशों में प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
28	2%	0.56	Following activities at Village-Gopalpur	
			Pavitra Van	2.26
			Nirman	
			Total	2.26

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आवारा, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव अनुसार 200 नम चौकी के लिए रशि 600 रुपये, कीमिंग के लिए रशि 40,000 रुपये, खाद के लिए रशि 700 रुपये, सिंचाई तथा पत्र-पत्राव के लिए रशि 41,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल रशि 82,300 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल रशि 1,44,000 रुपये हेतु धरकवार व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत गोपालपुर के सहमति उपरोक्त पंचायत स्थान (खसत क्रमांक 322/1, क्षेत्रफल 1 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (अभिलेख शाखा), जिला-बलरामपुर-समानुत्पन्न के ज्ञापन क्रमांक/316/सैन्य अभिलेख/सखननपट्टा/2021 बलरामपुर, दिनांक 22/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी कैंपता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक की, जिसकी कैंपता समाप्त हो गई है। अतः एल.ओ.आई. की कैंपता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की कैंपता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने तक अंशों की कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एच.ई.ए.सी., प्रतीसभद के ज्ञापन दिनांक 26/07/2022 के परिषद में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 10/11/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 16/11/2022:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एल.डी.आई. की शीला वृद्धि बाबत न्यायालय संचालक सीमित तथा खनिज, नया सखपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 20/2002 द्वारा जारी पत्रित आदेश दिनांक 09/11/2002 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए, यह निर्देशित किया जाता है कि उत्तीर्णवर्त वींग खनिज नियम, 2018 के नियम 42 (5) परन्तु के तहत एक प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त उत्खनन पत्र स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त सम्भावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला बलरामपुर-समानुजगंज को प्रवाहित किया जाता है।" होना बताया गया है।

2. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृद्धापन कार्य को संचालित एवं परीक्षण हेतु वि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम संघवा के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तीर्णवर्त पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) पत्रित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृद्धापन का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त पत्रित वि-पक्षीय समिति को सन्तुष्टित किया जाना आवश्यक है।

3. राष्ट्रीय एन.डी.टी. प्रिंसिपल बीच, नई दिल्ली द्वारा सर्वेड वाशेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अप्रीजनल एपिलेसन नं. 388 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पत्रित आदेश में कुछ रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यलय कलेक्टर (खनिज सखरा), जिला-बलरामपुर-समानुजगंज को दायन क्रमांक/431/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 15/04/2021 को अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-गोपालपुर) का सखका 1.23 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 कैग्री की शानी गरी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेहनत गोपालपुर विरुद्ध अन्य को शानी एम्प विरुद्ध विरुद्ध शिक प्लांट (सी- सी समकितुन खदान) को ग्राम-गोपालपुर, तहसील-सखपुर, जिला-बलरामपुर-समानुजगंज को खदान क्रमांक 499/1 एवं 499/2 में शिवा मिट्टी उत्खनन (वींग खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.23 हेक्टेयर, क्षमता - 500 घनमीटर (ईट उत्पादन इकाई 5,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-08 में वर्णित शर्तों को अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य सार्वजनिक पर्यावरण तथा आवासन प्राधिकरण (एस.ई.आर.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को
अनुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-4: आवास महोदय की अनुपस्थिति से अन्य विषय।

राज्य सार्वजनिक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.) छत्तीसगढ़ की 428वीं एवं
427वीं बैठक क्रमांक दिनांक 29/09/2022 एवं 30/09/2022 को सम्पन्न हुई थी।
समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन दिनांक
09/11/2022 द्वारा किया गया।

बैठक बन्दबाद रूपान्तरण के साथ सम्पन्न हुई।



(कलदिपुस तिबारी)

सदस्य सचिव

राज्य सार्वजनिक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़



(डॉ. बी.पी. नोन्डारे)

अध्यक्ष

राज्य सार्वजनिक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स मानपुर डोलोमाईट स्टीन (जी वॉड) क्वार्टी माईन

(जी - सी मास्कर कुमार मिड) को कलकत्ता जमांक 79, 129/11 एवं 129/30, कुल लीज क्षेत्र 2.409 हेक्टेयर, ग्राम-मानपुर, तहसील-कवार्ज, जिला-कबीरखण्ड में डोलोमाईट (ग्रीन खनिज) उत्खनन - 53,802 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 2.409 हेक्टेयर अथवा फुल्लिखण्ड खान, खनिज खान विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (सी-सी में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से डोलोमाईट का अधिकतम उत्खनन 53,802 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन सखारण पत्रों के द्वारा लगाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी कलक्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार की व्यवस्था एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भंगत सखारण के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, संवालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
5. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए, अतिसु इसे प्रक्रिया में अथवा कुलरोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोल्कपैट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता माला सखारण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, संवालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा फुल्लिखण्ड पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
6. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, जंगली वी-ग्रासिंग (re-vegetation) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चार, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पन्न हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
7. न्यू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो) हेतु केंद्रीय न्यू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
8. किसी विपत्ती / बंद / ध्वंसित क्षेत्रों से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 80 मिलीग्राम / समान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अकार, स्वैंग, ट्रांसकर पाइपस (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अल्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ साथ साथ वायु फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के

विभिन्न खंडों में उत्पन्न क्युजिटिव इस्ट प्रस्तावों का निर्धारण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहलू नार्थ, ईस्ट, दक्षिण क्षेत्र, मरुई एवं अन्य इस्ट प्रस्तावों विन्दुओं इस्ट कॉन्सेन्ट का सन्धान विस्तृत एवं जल सिद्धकाय की आवश्यकता की उत्तर इसका सतत संभालन / संभालन सुनिश्चित किया जाए। विद्युत ड्रेनिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

9. कठनी, खानत एवं अन्य क्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986) के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसूच रखे जाएंगे। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की पुनर्स्थापना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
10. जीव क्षेत्र के बायीं तरफ छोटी गड्ढे 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में 3 परिसरों में कृषारोपण किया जाए।
11. ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,838.5 घनमीटर है, जिसमें से 2,180 घनमीटर ऊपरी मिट्टी की 7.5 मीटर (नार्थ बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर कृषारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा क्षेत्र 6,758.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को जीव क्षेत्र के समीपस्थ खण्ड की भूमि (खसरा क्रमांक 129/17) पर संरक्षित रखने हेतु भण्डारित किया जाए।
12. उत्खनन क्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सोईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अपना बाहरी ओवरलैंडिंग को स्थान (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सोईल) को जीव क्षेत्र के बाहर कृषक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।
13. ओवरलैंडिंग एवं अनुसूची/बिड़ी उपयोग खनिज (रिफ्ट रोक) को कृषक से पूर्व से विच्छेद स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आल-वास की भूमि पर विषाक्त प्रभाव न डाल सकें। ऊपर की ऊंचाई 3 मीटर तथा लंबाई 28 मिमी से अधिक न हो। ओवरलैंडिंग उभय का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से कृषारोपण किया जाए।
14. जहाँ तक संभव हो ओवरलैंडिंग एवं अन्य अनुसूची/बिड़ी उपयोग खनिज (रिफ्ट रोक) को क्षण के पर्याप्त बने गड्ढों में पुनर्भरण (बैंक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अपना वांछित वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
15. पर्यावरण प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन क्रिया से उत्पन्न रिफ्ट जीव क्षेत्र के आल-वास के सतही जल खंडों में प्रवेशित न हो। इसे रोकने हेतु मरुईन पीट तथा अन्य क्षेत्र में रिटैनिंग वॉल / गनलैण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
16. खनिज का परिवहन मेकनेकरी क्यूई वाहन से किया जाए, ताकि खनिज जलन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (In Lakh)	Percentage of Capital Investment	Amount Required for CER	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)
------------------------------	----------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------

Rupees)	to be Spent	Activities (in Lakh Rupees)	Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
28.72	2%	0.58	Following activities at Nearby Govt. Primary School Village-Gadhabhatha	0.451
			Drinking water arrangement with filter & its AMC	
			Water tank (1,000 litre)	
			Supply Pipe	
			Pipeline & Installation	
			UV Water Filter (15 litre)	
			5 Year AMC	
			Running Water Arrangement in Toilet	
Water tank	0.175			
Pipeline & Installation				
Total				0.626

18. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 महीने में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के तयवेला प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर आधिकारिक रिपोर्ट में समाहित करने सुविधा प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना अपेक्षा प्रत्येककारिता होना। कुसारेयन आकार होने पर पर्यावरण स्वीकृति मिलना भी आवश्यक है।
19. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुसारेयन कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु वि-क्षेत्र समिति (प्रोमोटर्स/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के प्राधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उपरोक्त पर्यावरण संरक्षण मण्डल के प्राधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुसारेयन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित वि-क्षेत्र समिति से संचालित कराया जाए।
20. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/मिट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत अपेक्षा द्वारा कतबे गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आवश्यक दिखनेवाला होना।
21. उपरोक्त हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (जहाँ जल 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), डील रोड, ओवरबॉर्ड अन्य आदि में स्थानीय प्रजाति के 821 पौधों का सधन कुसारेयन किया जाए। इति पट्टी का विकास क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
22. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, पीतू, आम, इनली, अर्जुन, पीपल आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 500 नम पौधों का रोपण (कुल 1,121 नम पौधों) खदान के सुखे क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जथा कार्टीदार तार के साथ अथवा टी नाई का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की वशा में संबंधित काम

- पंचायत द्वारा चिह्नित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर ज्वारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
23. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख करते हुए फोटोग्राफ सहित जानकारी वाला प्रतिवेदन के साथ जमा करें।
 24. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सड़क वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सार्वजनिक रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। सड़क ही वृक्षारोपण का एक-एकाना अनायी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करने वाले नृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
 25. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अर्थवर्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए ज्वारीसदर पर्यावरण संरक्षण नग्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. ज्वारीसदर को प्रेषित किया जाए।
 26. परिषदीयता प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिचित्रित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
 27. परिषदीयता से जिन-जिन स्थलों से पसुजटिव इन्स्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।
 28. परिषदीयता प्रस्तावक द्वारा निरस्त कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री मिन्सर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
 29. परिषदीयता प्रस्तावक द्वारा तासाब, पीछन, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकासों के संरक्षण एवं संरक्षण किया जाए।
 30. परिषदीयता प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपचार किया जाए। ध्वनि का स्तर राखणन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। लीज ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले ध्वनियों को इवसप्लन/मक आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर विविधकारीय जीव एवं आवासयकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
 31. सड़क प्राधिकारी / डी.जी.एन.एस. से अनुमति उपनांत विस्फोटक लाईसेंस वाला (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल मास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लॉई रोकर) को उड़ाने से रोकने हेतु बर्बात एवं सड़क व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग कब्जा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था कायमिा ड्रिलिंग किया जाए, जिससे इन्स्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
 32. राखणन प्रक्रिया नू-जल स्तर को जल अंतवृत्त प्रभाव में की जाएगी एवं राखणन प्रक्रिया नू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
 33. राखणन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि कनसातीपी एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्भाव हो।
 34. परिषदीयता प्रस्तावक द्वारा ग्रीन खनिज का राखणन ज्वारीसदर ग्रीन खनिज नियम, 2015 के प्राधान्यों, अनुषेधित राखणन योजना एवं पर्यावरणीय प्रखन योजना के अनुसार किया जाए। माईनि एक्ट 1982 के प्राधान्यों का पालन किया जाए।



35. कार्य स्वतः पर यदि कोविड श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों को आवागमन हेतु उचित व्यवस्था परिवोधना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संतोषकारी के रूप में ही सकती है, जिसे परिवोधना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
36. श्रमिकों के लिए खाना स्वतः पर स्वयं पैदावार विक्रितकारीय सुविधा, मीठाइल टायलेंट आदि की व्यवस्था परिवोधना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
37. श्रमिकों का समय-समय पर आकस्मिकरान्त हेल्थ सर्विलेंस करना आवश्यक है।
38. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुसंधित उत्खनन योजना के अनुकूल शारीक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आदेश किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को मुक्तान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकरण अथवा सेन्ट्र, राज्य एवं स्थानीय कानून / विधियों के पालन हेतु अधिकृत करता है।
40. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परिवोधना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषकार रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संतोषन/निवस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा वापस लेने / निवस्तन के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
41. परिवोधना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परिवोधना क्षेत्र को आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करने कि परिवोधना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतिर्त सविवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parishah.nic.in पर भी किया जा सकता है।
42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्रवाही की अर्थ वरिष्क रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलास-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में उदता शर्तों के पालन की नॉन्डरिंग की जाएगी। इस हेतु परिवोधना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेंट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
44. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों की शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली नॉन्डरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परिवोधना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निवस्त की जा सकेगी।

45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (अदूषण नियंत्रण तथा निर्वहन) अधिनियम, 1984 वायु (अदूषण नियंत्रण तथा निर्वहन) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बन्दे किये गये नियमों, परिशुद्धीकरण और अन्य अपशिष्ट (इसका एवं सीमाचार संघलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विफलता अथवा परिवर्तन होने की दशा में एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सुचित किया जाए, ताकि एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने का अधिकार निर्णय ले सके। सचिव में कोई भी विस्तार अथवा उल्लेख एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
47. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय सतृप्ति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-स्वाचार एवं उद्योग क्षेत्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
48. पर्यावरणीय सतृप्ति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जज, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एन.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एन.ई.ए.सी.

केसरी भी विजय अथवाल लाईम स्टोन क्वारी (प्रो. - भी विजय अथवाल) को पार्ट ऑफ खखरा ब्लॉक 103/5, कुल लीज क्षेत्र 0.48 हेक्टेयर, ग्राम-कुमरडीहकला, ताहसील व जिला-राजनांदगांव में चूना पत्थर (नीच खनिज) उत्खनन - 7,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 0.48 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (घोषी में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 7,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाए जाएं।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के तहत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) की प्रावधानों को तहत रहेगी।
3. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉन्सल्टेन्स इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान को अनुसार क्लस्टरिंग एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संवर्धन का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
4. क्लस्टर हेतु लैंग्वेज ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उसके स्थलों पर प्रतिवर्ष मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, भिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं स्वीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की संविदा एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा क्लस्टरिंग हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोलरीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। अनसारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) को अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा घाटक खान संरक्षण बंद करने के उपरोक्त (after ceasing mining operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि खननी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रोथिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह खान, वनस्पतियाँ, जीवों आदि के उत्पन्न हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वयं प्राधिकारी से अनुमोदित लाईम क्लीयर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. भू-जल के उपयोग हेतु क्षेत्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य राज्यों से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. किसी विपनी / वेट / प्वाइंट सोर्स के पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अम्ल, लौह, ट्रांसफर फास्फेट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अल्ट्रा एकाट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। स्वच्छ उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न राज्यों से उत्पन्न पर्यावरणीय अल्ट्रा उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पट्टीय नार्थ, रैन्ड, संग्रहण क्षेत्र, मरई एवं अन्य अल्ट्रा उत्सर्जन बिन्दुओं अल्ट्रा कंटेनेन्ट कम संघटन सिस्टम एवं जल डिफ़्यूजन की व्यवस्था की जाकर इतना उच्च संग्रहण / संग्रहण सुनिश्चित किया जाए। विषम ड्रेजिंग बॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. खानों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1987 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों को अनुसरण रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. परिवर्तना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
12. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोटी नई 1.5 मीटर की चौड़ी चट्टी में कोई वेस्ट का डंप / मण्डालन नहीं किया जाए तथा इस चट्टी में 3 परिसरों में कुआरोंपन किया जाए।
13. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सोईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरसर्जन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए।
14. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर संग्रहित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरुपयोग, विखन एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःउद्धार के लिए किया जाए।
15. ओवरसर्जन एवं अनुपयोगी/बिड़ी अवशेष खनिज (वेस्ट रॉक) को कुच्छक से पूर्व से विन्हील स्थल पर संग्रहित किया जाएगा। इस प्रकार के मण्डालन स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाये ताकि मण्डालित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विषरित प्रभाव न डाल सकें। अम्ल की लीचाई 3 मीटर तथा कालेप 28 किमी से अधिक न हो। ओवरसर्जन अम्ल का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से कुआरोंपन किया जाए।
16. जहाँ तक संभव हो ओवरसर्जन एवं अन्य अनुपयोगी/बिड़ी अवशेष खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पराचात बने चट्टी में पुनःउद्धार (बैंक रिलीफ) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा खनिज वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
17. परिवर्तना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न निम्न लीज क्षेत्र के आस-पास के गहरी जल राज्यों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु मरईन वेट तथा अन्य क्षेत्र में निर्देशित बॉल / पारलेन्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।



18. खनिज का परिवहन कच्चाई सहन से किया जाए, ताकि खनिज सहन से सहन नहीं मिले। खनिज का परिवहन कर रहे सहनों को अमल से अधिक नहीं चढ़ जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
45	2%	0.92	Following activities at nearby, Village-Dumardihkala	
			Plantation at Village Pond	12.11
			Total	12.11

20. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही प्रारंभिक 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के कार्यों का प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण तबतक संबंधित ग्राम संघ/समिति के कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सम्पलता सुनिश्चित करना अपना उत्तरदायित्व होगा।
21. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आंबला, बड़ पीपल, गीम, आम, अजुंदा, बेल आदि) कुशादीयम हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 132 मग पौधों के लिए राशि 10,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 68,000 रुपये, खाद के लिए राशि 990 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,68,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,43,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 8,68,312 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कुनरडीहकला के सहमति तबतक व्यवसाय स्थान (जिसका क्षेत्रफल 804, क्षेत्रफल 0.267 हेक्टेयर में से 0.082 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत जानकारी अनुसार कार्य पूर्ण करें।
22. सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहमति, सहकों के रख-रखाव एवं कुशादीयम कार्य के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रोवर/इंटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के प्रत्यक्षकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या प्रखंड/समिति पर्यावरण संरक्षण समिति के प्रत्यक्षकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहमति, सहकों के रख-रखाव एवं कुशादीयम का कार्य पूर्ण किये जाने के तबतक गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
23. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर जाये, तब उन्हें खदान/खदान/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत अपने द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना अपनी जिम्मेदारी होगी।
24. पर्यावरण हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (घाटी तबतक 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हील रोड, ओवरबर्डिंग अन्य आदि में स्थानीय प्रजाति के 475 पौधों का सहन कुशादीयम प्रथम वर्ष में किया



जाए। इति पार्टी का विस्तार संश्लेष प्रयुक्त नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

25. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में लीड क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नींग, करंज, सीसु, काम, इमली, अर्जुन, गौरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 बीघों का रोपण (कुल 675 बीघे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्टी गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की वजह में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किन्हीं क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 3 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले बीघों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
26. रोपित किये जाने वाले बीघों में संख्यांकन (Numbering) एवं बीघे के नाम का सस्लेख कन्वो हुवे फोटोग्राफ सहित जानकारी आंचारिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।
27. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करने हुवे मृत बीघों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
28. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ आंचारिक रिपोर्ट में सम्मिलित करने हुवे अतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. अतीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिक्षीत क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुधारों में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, बॉनस इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहमतिता के कार्य करना नहीं करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपचार किया जाए। ध्वनि का स्तर रखनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मस्क आदि उपकरण दिए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्साकीय जांच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
31. कंट्रोल ब्यारिस्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए फायर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाइंग रोक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सख्त व्यवस्था किया जाए। गैट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे बन्द का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
32. रखनन प्रक्रिया घू-जल सार के उपर असंतुलन प्रभाव में की जाएगी एवं रखनन प्रक्रिया घू-जल सार के नीचे किन्ती भी परिवर्धित में नहीं किया जाए।
33. रखनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन खनिज का रखनन अतीसगढ़ ग्रीन खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित रखनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

36. कार्य स्थल पर यदि बेमिग भूमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे भूमिकों के आवेदन हेतु उचित व्यवस्था परिचोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवेदनीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं को रूप में हो सकती है, जिसे परिचोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
37. भूमिकों को लिए खानन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विहितसखीय सुविधा, मीथेनड टायलेंट आदि की व्यवस्था परिचोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
37. भूमिकों का समय-समय पर आसपुदेसालन होना खरिरीय कराना आवरपक है।
38. उलखनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुसूचित उलखनन योजना को अनुसूचन वार्षिक योजना, जिसमें उलखनन, खनिज की मात्रा एवं अपरिषुट सन्धितिल है, में किली की प्रकर का परिचर्न एत.ई.आई.ए.ए. छलीसगड / पर्यावरण, वन और जलवायु परिचर्न मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति को बिना नहीं किया जाए।
39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आराम किली खरिरीयत अथवा अन्य सम्पति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किली किली सम्पति को नुकसान पहुँचाने अथवा खरिरीयत अधिकारी के अधिकरण अथवा क्षेत्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनी / विधियों के उलखनन हेतु अधिकृत करता है।
40. एत.ई.आई.ए.ए. छलीसगड पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परिचोजना की खरिरीयता में परिचर्न अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोष्य रूप से बालन न करने की दता में किली की शर्त में संतोष्य/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उलखनन / निस्कार के मानकों को और सखत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
41. परिचोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परिचोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने को 7 दिनों के भीतर इस आराम की सूचना प्रसारित करेगा कि परिचोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सन्धियालय, छलीसगड पर्यावरण संरक्षण मन्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध हैं। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivasho.nic.in पर भी किया जा सकता है।
42. पर्यावरणीय स्वीकृति में ही गई शर्तों के बालन हेतु की गई खरिरीयती की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छलीसगड पर्यावरण संरक्षण मन्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छलीसगड पर्यावरण संरक्षण मन्डल, निलई-दुर्ग, एत.ई.आई.ए.ए., छलीसगड एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिचर्न मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जाए।
43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिचर्न मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदाता शर्तों के बालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परिचोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिचर्न मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
44. एत.ई.आई.ए.ए. छलीसगड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिचर्न मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिचर्न मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छलीसगड पर्यावरण संरक्षण मन्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संकेत में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परिचोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं चाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती।

45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा ही कई शर्तों को अनिवार्य रूप से पालन करनेना। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये विभिन्न परिसंरक्षणय और अन्य अधिनियम (जब्या एवं सीमाचार संरक्षण) नियम, 2018 तथा लोक सभियत बीमा अधिनियम, 1981 (तथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकसी ई।
46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एम.ई.आर.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विघटन अथवा परिवर्तन होने की वसा में एम.ई.आर.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए ताकि एम.ई.आर.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की सम्पुलता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने कास्य निर्णय ले सके। अद्यतन में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एम.ई.आर.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
47. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-स्तर एवं उद्योग क्षेत्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करनेना।
48. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल को सनद, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्राधानी अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेनी।

सदस्य सचिव, एम.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एम.ई.ए.सी.

पैसल माफ़ति स्टीन कोशर

(प्रो- सी दुर्वीस पाथवेन, लोटानफटा ऑर्डिनरी स्टीन माईन)

को खसरा क्रमांक 52, 54, 56 एवं 85, कुल लीज क्षेत्र 1.88 हेक्टेयर, ग्राम-लोटानफटा, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया में साधारण पाथर (ग्रीन खनिज) उत्खनन - 41,297 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.88 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (घोषों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पाथर का अधिकतम उत्खनन 41,297 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाकर पहले मुहर लेगाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिनियमित किसी कलक्टर से है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परिवहनका इन्सायक द्वारा खदान से उत्खनन जल एवं धरेलु दूषित जल (यदि कोई हो) के उत्खनन की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की किता माफ़त सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, संजालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेंगी।
5. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्खनन किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निक्षेपित नहीं किया जाए, अतः इसे प्रक्रिया में अथवा कुशलता हेतु पुनःउपयोग किया जाए। धरेलु दूषित जल के उत्खनन के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोलरीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निक्षेपित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं धरेलु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपरोक्त दूषित जल की गुणवत्ता माफ़त सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, संजालय, नई दिल्ली द्वारा अधिनियमित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण संकल द्वारा अधिनियमित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
6. खनि पट्टा धारक खान संजालन बंद करने के उपरोक्त (after ceasing mining operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खान गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनको री-ग्रॉसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस विधि तक किया जाएगा, जिससे यह धारा, वनस्पतियों, जीवों आदि को उत्पन्न हेतु उपयुक्त हो। परिवहनका इन्सायक द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमोदित नाईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
7. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो ली) हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
8. किसी किन्हीं / वेट / फाईट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सांख्यिक घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। कठोर, सडीन, ट्रांसफर फाईट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उच्च एक्स्ट्रैक्शन सिस्टम को लागू

एक दफ्तर का बेन किल्टर स्थापित किया जाए। उभित उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों में उत्पन्न स्तुतिविद्युत शक्त उत्सर्जन का निबंधन प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पट्टीक मार्ग, रैम्प, संरक्षण क्षेत्र, मर्राई एवं अन्य शक्त उत्सर्जन बिन्दुओं शक्त कटेन्मेन्ट इन संरक्षण सिस्टम एवं जल विद्युतकाय की व्यवस्था की जाकर इतका शक्त संघालन / संघालन सुनिश्चित किया जाए। विन्ध ड्रेजिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

9. बाहरी, खानन एवं अन्य क्रिया के उत्पन्न वायु प्रदूशन को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूशन निवारण तथा निबंधन) अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों को अनुसरण रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिसीक वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिसीक मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
10. लीज क्षेत्र के बाहरी लक्ष छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में 3 पक्षियों में पुनारोपण किया जाए।
11. ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 2917.5 घनमीटर है, जिसमें से 2123 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में सीधकर पुनारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष 794.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र को रीर माईनिंग क्षेत्र में संरक्षित किया जाएगा। ओवर बर्डेन की मोटाई 2.76 मीटर एवं मात्रा 32,092.5 घनमीटर है, जिसमें से ओवर बर्डेन का उपयोग रैम्प एवं डील रोड में किया जाएगा एवं शेष ओवर बर्डेन को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि में संरक्षित कर भण्डारित किया जाए।
12. उत्खनन क्रिया के दौरान इटाई नई ऊपरी मिट्टी (टीप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न जाने वाली भूमि के पुनः उधार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डेन को मिथर (स्टैबिलाइज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टीप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पुनक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।
13. ओवरबर्डेन एवं अनुपयोगी/शिथी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पुनक से पूर्व से विच्छीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विनशित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्तंभ 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डेन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से पुनारोपण किया जाए।
14. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डेन एवं अन्य अनुपयोगी/शिथी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खानन के परिसर बने गड्ढों में पुनमरण (रिक किलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा उचित वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खानन क्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सड़की जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटैनिंग वॉल / नारलेम्ब ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
16. खनिज का परिवहन रोकनेअली कवर्डे वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं मरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
21.45	2%	0.42	Following activities at nearby, Village-Jagatpur	
			Plantation with fencing in periphery of village pond area	1.80
			Total	1.80

18. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त सम्पादित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर आन्तरिक रिपोर्ट में समाहित करने हेतु प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आगका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असाफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
19. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर (आम एवं जामुन) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 40 नव पीछों के लिए राशि 1,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 4,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 30,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 36,000 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 1,24,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत जगतपुर के सहमति उपरोक्त क्वाड्रोप ग्राहक (खसरा क्रमांक 476) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
20. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रामपंचायत/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसंचयन पर्यवेक्षण संस्थान मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सम्पादित कराया जाए।
21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु खेत पर आवे, तब उन्हें खदान/खदोम/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत अपने द्वारा करवाये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आगकी जिम्मेदारी होगी।
22. राखनन हेतु निविद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हरील रोड, ओवरलैंडिंग बंध आदि में स्थानीय प्रजाती के 836 पौधों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
23. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में जीवित क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, खीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 400 नव पौधों का रोपण (कुल 1,836 नव पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जस्त करंटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का

उपरोक्त) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्हील क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पीछों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

24. रोपित किन्हे जाने वाले पीछों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछे के नाम का उल्लेख करते हुए फोटोग्राफ सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।
25. माइनिंग सीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर स्थान वृक्षारोपण किन्हे जाने एवं रोपित पीछों का सार्वभौमिक रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रकम-रखान आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए मृत पीछों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
26. किन्हे एवं वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्थात्क रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुए फ्लोरोग्राफ पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय एवं एस.ई.आई.ए.ए. फ्लोरोग्राफ को प्रेषित किया जाए।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. को तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पड़े जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
28. परियोजना से दिन-दिन स्थलों से क्युलिटिव इस्ट इमप्रूवमेंट होना, उन स्थलों पर नियमित जल सिंचन की व्यवस्था किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत कार्यवाही निरस्तों द्वारा सीमांकन वर कार्य सुनिश्चित किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गालाब, पीछर, नाहर, नदी, नाला एवं अन्य जल सिकाओं को संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। सीज ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों को इनपरमिशन/नक्शा आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर विधिकारणीय जाँच एवं जासबकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
32. सखम अधिकारी / डी.जी.पी.एस. से अनुमति उपरोक्त विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल ब्लॉकिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाइंग रॉक) को रोकने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सखम व्यवस्था किया जाए। गेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अस्थापित किया जाए, जिससे इस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
33. उत्खनन प्रक्रिया मू-जल स्तर के ऊपर असंशुद्ध ज्वाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया मू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनसंख्या एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम सुधमार हो।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन खनिज का उत्खनन फ्लोरोग्राफ ग्रीन खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

[Handwritten Signature]

36. कार्य स्थल पर यदि बेमिशन अधिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे अधिकारियों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परिवोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था आस्थादायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परिवोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
37. अधिकारियों के लिए खाना स्थल पर खाद्य वेफाउल सिविलरकीय सुविधा, मोबाइल टाफलेट आदि की व्यवस्था परिवोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
38. अधिकारी का समय-समय पर आकस्मिकता हेतु परिवर्तन करना आवश्यक है।
39. परिवोजना की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित परिवोजना योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें परिवोजना, खर्च की मात्रा एवं अपेक्षित सम्पत्ति है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा बहिष्कार, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
41. एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परिवोजना की समीक्षा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषपूर्वक रूप से पालन न करने की दृष्टि में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा एक्सचेंज / निरस्त करने के मामलों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
42. परिवोजना प्रस्तावक न्यूनतम 3 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परिवोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परिवोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की जगहों सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की एवं वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकपुर, एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में उदात्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परिवोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए वस्तुसूची एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
45. एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों की शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पावे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।



46. परिवोजना प्रस्तावक उत्तीर्ण पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये विधायी परिशिष्टकृतमय और अन्य अधिसूचित (प्रबंध एवं सीमांकन संवलय) नियम, 2018 तथा लोक शान्ति बोध अधिनियम, 1986 (यथा संशोधित) के अधीन विनियमित की जा सकती हैं।
47. प्रस्तावित परिवोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., उत्तीर्ण पर्यावरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की वरत में एस.ई.आई.ए.ए., उत्तीर्ण पर्यावरण को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., उत्तीर्ण पर्यावरण इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाध्य निर्णय ले सके। बदलाव में कोई भी विचलन अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., उत्तीर्ण पर्यावरण / पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
48. उत्तीर्ण पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-स्तर एवं उद्योग क्षेत्र एवं कलेक्टर/उत्तीर्ण पर्यावरण कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


सदस्य, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स श्री जनकधर सोनखरी

की खदान क्रमांक 158, कुल सीज क्षेत्र 3,800 हेक्टर, घाग-बुधियापाली,
पड़नील-करतला, जिला-कोरवा में क्वार्टेज (सीज खनिज) उत्खनन - 37,800
टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (सीज क्षेत्र) 3,800 हेक्टर पर अथवा परतीसगढ़ नामक खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत सीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से क्वार्टेज का अधिकतम उत्खनन 37,800 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। सीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर चक्रे बनाने लगाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की कसौटी भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्राधान्यों के तहत होगी।
5. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अथवा इसे प्रक्रिया में अथवा पुनरावेग हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार को सिव् सिफ्टिक टैंक एवं सोल्पीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं क्वार्टेज का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपसर्जित दूषित जल की पुनरुत्पन्न मात्रा सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा परतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
6. खानि पट्टा धनक खान संभालन बंद करने के उपरोक्त (after ceasing mining operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खान गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रोथिंग (re-greening) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे वह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पन्न हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वयं प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लेयरिंग प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
7. नू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केंद्रीय नू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
8. किसी विनो / वेट / पाईप जोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अगर, स्वीन, ट्राइलर पाइप्रास (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दबाव का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न क्वार्टेज कस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित

रूप से किया जाए। पर्यटन मार्ग, रैम्प, संवहन क्षेत्र, नहरें एवं अन्य कठट उल्लेखन सिन्दुओं कठट संरक्षण कठट संरक्षण सिस्टम एवं जल डिस्पोजल की व्यवस्था की जाकर इलाका कठट संवहन / संवहन सुनिश्चित किया जाए। विपट ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

9. बाहरी, खनन एवं अन्य क्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण की पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों से अनुकूल रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता बासा कठटार के पर्यावरण, कठट और जल वायु परिवर्तन संवहन, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
10. लीज क्षेत्र के बासी तरल छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढंभ / कण्डारण नहीं किया जाए तथा इल पट्टी में 3 पलितों में कूडारण किया जाए।
11. उत्खनन क्रिया के दौरान इटाई गई कठटी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः नद्वार हेतु अथवा बाहरी औद्योगिक को मिश्र (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। कठटी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर कूडक से मण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।
12. औद्योगिक एवं अनुषंधनी/रिडी अण्ण कठिज (वेस्ट वॉल) को कूडक से पूर्व से विन्डीत स्थल पर मण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार की मण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि मण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपटि प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लॉप 28 डिग्री से अधिक न हो। औद्योगिक डम्प का डालन रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से कूडारण किया जाए।
13. जहाँ तक संभव हो औद्योगिक एवं अन्य अनुषंधनी/रिडी अण्ण कठिज (वेस्ट वॉल) को खनन के पश्चात होने गइयों में पुनःमरण (रिजिडिफिकेशन) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा उचित वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन क्रिया से उत्पन्न विपट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में डललित न हो। इसे रोकने हेतु नार्इन वॉल तथा डम्प क्षेत्र में डिटेनिंग वॉल / गार्डरैण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
15. कठिज का परिवहन मकनेकली कठई बाहन से किया जाए, ताकि कठिज बाहन से बाहर नहीं गिरे। कठिज का परिवहन कर यह बाहनों की क्षमता से अधिक नहीं का जाना सुनिश्चित किया जाए।
16. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण डम्पन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
50	2%	1.0	Following activities at Gram Panchayat Bhawan, Village-Budiyapali	

			Plantation with fencing	3.19
			Total	3.19

17. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के तत्पश्चात प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण तत्पश्चात संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करती हुई प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आवश्यक उत्तरदायित्व होगा। कुशरोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
18. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम पंचायत भवन बुद्धिवाचाली में (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अनारुन, बेत आदि) कुशरोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 800 नम पीछों के लिए रशि 74,000 रुपये, फेंसिंग के लिए रशि 25,000 रुपये, खाद एवं सिंचाई के लिए रशि 1,00,000 रुपये, तथा रक्त-रक्तव्य आदि के लिए रशि 1,20,000 रुपये, आगामी 6 वर्ष में कुल रशि 3,19,000 रुपये हेतु पर्यटनवार व्यय का विवरण के तहत प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमान कार्य पूर्ण करें।
19. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा छूटी में कुशरोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रोपराइंडर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के सदस्यिकाएँ/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसंधारण पर्यावरण संरक्षण मण्डल के सदस्यिकाएँ/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा छूटी में कुशरोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के तत्पश्चात गठित त्रि-पक्षीय समिति से संचालित कराया जाए।
20. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/छोटा/मट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आमले द्वारा करने वाले कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपसी जिम्मेदारी होगी।
21. चालकन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (जहाँ तब 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हील रोड, ओवरलैंडन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 450 वृक्षों का सघन कुशरोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
22. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, चीसू, आम, इमली, अनारुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 700 नम पीछों का रोपण (कुल 1,150 नम पीछों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कंटेन्टर स्तर के बाड़ कक्षवा टी नार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कुशरोपण किया जाए। 6 फीट से 8 फीट ऊँचाई वाले पीछों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त कुशरोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। कुशरोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
23. रोपित किये जाने वाले पीछों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछे के नाम का उल्लेख करती हुई फोटोग्राफ सहित जानकारी फालग प्रतिवेदन के साथ जमा करें।
24. गार्डनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन कुशरोपण किये जाने एवं रोपित पीछों का सजाईवल नेट (Survival net) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कुशरोपण

का सब-संख्यक आगामी 8 वर्ष तक सुनिश्चित करने हेतु नृत पीपी को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

25. शिवे नवे कृषाटोपन की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं परीक्षणकृत सर्वेक्षण निवेदन में समाहित करने हेतु परीक्षणकृत सर्वेक्षण संख्यक संख्यक एवं एस.ई.आई.ए.ए. चलीसकृत को प्रेषित किया जाए।
26. परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. को तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं चाहे जाने पर न्यायव्यवस्था लीक्युटि को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
27. परिवर्तन से विन-विन स्थलों के पडुजिटिव डस्ट उत्सर्जन डोगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।
28. परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा मिनेरल कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत कालाहरी पिक्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
29. परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकासी के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
30. परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्सर्जन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होगा चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इमरजेंसी/मक आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जांच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
31. सखम प्रधिकार / डी.जी.एम.एस. के अनुमति उत्सर्जित विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुनिश्चित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल स्टारिशन किया जाए। फलर के छोटे-छोटे टुकड़ों (ब्लॉक रीफर) को उड़ाने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सखम व्यवस्था किया जाए। बैट डिजिटिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित डिजिटिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
32. उत्सर्जन प्रक्रिया सू-जल स्तर को उच्च असंतुषण प्रभाव में की जाएगी एवं उत्सर्जन प्रक्रिया सू-जल स्तर को नीचे किली की परिस्थिति में नहीं किया जाए।
33. उत्सर्जन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम बुझाव हो।
34. परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा ग्रीन खनिज का उत्सर्जन चलीसकृत ग्रीन खनिज नियम, 2018 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्सर्जन योजना एवं न्यायव्यवस्था संरक्षण योजना के अनुसार किया जाए। मॉडर्न एक्ट 1952 के प्रावधानों का ध्यान किया जाए।
35. कार्य स्थल पर यदि खनिज श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों को आवास हेतु उचित व्यवस्था परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परिवर्तन पूर्ण होने के पश्चात् हटाया जा सके।
36. श्रमिकों के लिए खाना स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टॉयलेट आदि की व्यवस्था परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा की जाए।
37. श्रमिकों का समय-समय पर आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण करना आवश्यक है।
38. उत्सर्जन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्सर्जन योजना के अनुसार आवधिक योजना, जिसमें उत्सर्जन, खनिज की मात्रा एवं अपेक्षित सम्बन्धित है, में किली की

प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आदेश किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकतर दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारी के अधिकतम अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनी / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
40. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की कार्यवाही में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से चलाने या करने की दृष्टि में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उल्लंघन / निम्नत्व के मामलों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
41. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अदायगी हेतु उपलब्ध हैं। साथ ही इसका अपलोडिंग वेबसाइट parivash.nic.in पर भी किया जा सकता है।
42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के चलाने हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, कोल्हा, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्ताव शर्तों के चलाने की निगरानी की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आदेशन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
44. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली निगरानी हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से चलाने करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये विधियों, परिसंकेतक और अन्य अधिनियम (प्रदूषण एवं सीमांचल संघर्षण) नियम, 2018 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।
46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दृष्टि में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर

विचार कर सभी की उपयुक्तता अथवा नवीन तर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके।
समान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छातीसंगठ / पर्यावरण,
वन और जलसामु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं
किया जाए।

47. छातीसंगठ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय सर्वेक्षणी की प्रति को उसके क्षेत्रीय
कार्यालय, जिला-स्तर एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30
दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करने।
48. पर्यावरणीय सर्वेक्षणी के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन
ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय
अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मैसर्स विरेन्द्रनगर आर्किटेक्चरी स्टडीज प्रा. लि. (श्री विद्याधर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. लि.) द्वारा
 जो खसरा क्रमांक - 422/1, 422/2 एवं 423, कुल लीज क्षेत्र 1.8 हेक्टेयर,
 ग्राम-विरेन्द्रनगर, उदसील-बाहुकनगर, जिला-बलरामपुर-राजानुजमंडल में साधारण
 पत्थर (ग्रीन खनिज) उत्खनन - 10,218 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में
 दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.8 हेक्टेयर अथवा उत्खनन क्षेत्रफल, खनिज साख्त विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (सीमा) में ही जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 10,218 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कनाकर पहले नुमाये जनाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी खनन में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं धरेतु दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के तहत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई-आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत होगी।
5. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निक्षेपित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा पुनर्चयन हेतु पुनर्चयन किया जाए। धरेतु दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोलर डी ऑक्सीड की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निक्षेपित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आवास में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा उत्खनन पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
6. खनि पट्टा भारत सरकार संशोधन बंद करने के उपरोक्त (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रोथिंग (re-vegetating) की जाएगी एवं खनि का पुनर्स्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिसकी यह कार्य, गतिविधियाँ, जोखिम आदि के उपरोक्त हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वयं प्राधिकारी से अनुमोदित साईन ब्लैकड प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
7. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु सतहीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
8. किसी विषयी / बेंच / प्लाईट सीस से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अगर, खनि, टामाकर प्लाईट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अस्ट एक्सप्लोसिव सिस्टम के साथ उच्च दबाव का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के

विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न स्फुरितिव द्रव्य उत्सर्जन का नियंत्रण इत्यादी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहूँच मार्ग, रैम्प, संवहन क्षेत्र, भराई एवं अन्य द्रव्य उत्सर्जन सिमुडों अतः अटेन्मेंट कम संवेतन निरुधत एवं जल सिद्धकाय की व्यवस्था की जाकर इयका स्तम् संघालन / संघालन सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ड्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

9. वाहनों, खनन एवं अन्य क्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986) के तहत विनियमित मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। वास्तव्य क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता परता संरक्षर को पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
10. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोटी गई 1.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढंभ / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में 3 परिसरों में वृक्षारोपण किया जाए।
11. वास्तव्य क्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग वास्तव्य हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरसर्ईन को सिविल (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र को बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।
12. ओवरसर्ईन एवं अनुपयोगी/बिडी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विरहित प्रभाव न डाल सकें। अन्य की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्तंभ 25 डिग्री से अधिक न हो। ओवरसर्ईन अन्य का हटाने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
13. जहाँ तक संभव हो ओवरसर्ईन एवं अन्य अनुपयोगी/बिडी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के परघाल होने गद्दी में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा उचित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
14. परिवेशीय प्रसावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन क्रिया से उत्पन्न सिविल लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु नाईन वॉट तथा डम्प क्षेत्र में स्ट्रेनिंग वॉल / गार्लैण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
15. खनिज वर परिवहन मेंकनेकली कन्वई बडन से किया जाए, ताकि खनिज वहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज वर परिवहन कर रहे वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं बरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
16. सीईआर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

30	2%	0.80	Following activities at Village-Sirendranagar		
			Pestis Neman	Van	2.95
			Total		2.95

17. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर आर्थिक रिपोर्ट में समाहित कनाते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
18. सी.ई.आर. के अंतर्गत "चरित्र वन निर्माण" के तहत (अमला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 4,000 रुपये, सीमिंग के लिए राशि 40,000 रुपये, खाद के लिए राशि 2,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 53,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 99,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,08,800 रुपये हेतु परामर्श व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत "चरित्र वन निर्माण" हेतु ग्राम पंचायत सिरेन्द्रनगर के तहसील उपरोक्त उच्चयोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 474/1 क्षेत्रफल 0.58 हेक्टेयर में से 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण कने।
19. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रामाईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या तहसीलपर्य पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से संचालित कराया जाए।
20. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/उद्योग/घरटा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आवकें प्राप्त कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
21. उत्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (घाटे तारक 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), होल रोड, ओवरसईन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,884 पौधों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास संघीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
22. प्राथमिकता के आधार पर खदान वसंधान द्वारा वर्ष 2022-23 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 नग पौधों का रोपण (कुल 1,884 नग पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं चर्चापत व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

23. संश्लेषित किये जाने वाले पौधों में संयोजक (Nursery) एवं पौधे के नाम का उल्लेख कर्ता हुये फोटोग्राफ सहित जानकारी प्राप्त प्रतिवेदन के साथ जमा करें।
24. माईनिंग जीव क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं संश्लेषित पौधों का संतुष्टिपूर्ण रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का एक-सत्रा आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित कर्ता हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
25. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अर्थव्ययिक रिपोर्ट में सम्मिलित कर्ता हुये जमीनसमूह पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., चलीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिवृष्टित क्षेत्र में इस्ताफित कर्दा एवं सी.ई.आर. को तहत प्रस्तावित कर्दा करना नहीं चाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति की निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
27. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से क्युवैटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत वायुमंडलीय पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, फीस, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकासों को संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वनि प्रदूषण को नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। स्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र स्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारी को इयरप्लग/नक आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जांच एवं जासपेक्षा अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
31. सघन प्राधिकारी / डी.जी.एन.एस. से अनुमति प्राप्त विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से खंडीत ब्लॉकिंग किया जाए। फ्लार के छोटे-छोटे टुकड़ों (ब्लॉक टैक्चर) को चढ़ाने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सघन व्यवस्था किया जाए। रेट ड्रिलिंग अथवा क्यु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अध्यापित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डाट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
32. उत्खनन प्रक्रिया यू-जल स्तर के ऊपर असंतुल प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया यू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
33. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन खनिज का उत्खनन चलीसगढ़ ग्रीन खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईनिंग एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
35. कार्य स्थल पर यदि खनिज अधिक कार्य पर ज्यादा जाते हैं तो ऐसे स्थलों को अवरुद्ध हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आशासीव व्यवस्था अस्वास्थ्यी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।



36. अधिकांशों को लिए जाना स्थल पर स्वच्छ पेयजल विहितसंजीव सुविधा, सीबाइल टायलेट आदि की आवश्यकता परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
37. अधिकांशों का समय-समय पर आकस्मिकतागत हेल्थ सर्वेक्षण करना आवश्यक है।
38. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना को अनुसूच पार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अवशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आग्रह किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकतम अथवा क्षेत्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
40. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की स्पर्शा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से चलाने न करने की दृष्टि में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्खनन / निरक्षण के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
41. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करना कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivash.nct.in पर भी किया जा सकता है।
42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के चलाने हेतु की गई कार्यवाही की कई पार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के चलाने की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं अपेक्षन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
44. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिक/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनकी तहत बनाये गये नियमों, परिशिष्टों तथा

और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सींचावर संघटन) नियम, 2018 तथा लोक वायुमय बीमा अधिनियम, 1987 (जथा संबंधित) के अधीन विनियमित की जा सकती है।

46. प्रस्तावित परिवर्तना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में झगड़त विस्तार में कोई भी विस्तार अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः महीन जानकारी सहित सुचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर सर्तों की सम्पुलता अथवा महीन सर्तों निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
47. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय सवीयुति की उति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केंद्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करना।
48. पर्यावरणीय सवीयुति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

नेहरू गोपालपुर बिकास अर्ध वले क्वारी एण्ड किल्ला विमनी बिक प्लॉट
 (पी- बी नानकिरगुन मादव) को खसरा क्रमांक 400/1 एवं 400/2,
 ग्राम-गोपालपुर, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज, कुल लीज क्षेत्र
 1.23 हेक्टर, मिट्टी उत्खनन (गोण्ड खनिज) क्षमता - 500 घनमीटर (ईट
 उत्पादन इकाई 5,00,000 तन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली
 शर्तें

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी कलक्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 1.23 हेक्टर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गोण्ड खनिज) क्षमता - 500 घनमीटर (ईट उत्पादन इकाई 5,00,000 तन) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुन्डरे लगाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई-आईए, नोटिफिकेशन, 2006 (पंचा संशोधित) के प्रावधानों के तहत होगी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी औरम दिनांक 24/08/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। किसी विमनी से घाटी तथा उत्खनन क्षेत्र की सीमा कम से कम 15 मीटर दूर सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी औरम दिनांक 24/08/2013 एवं जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाइड-लाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया मू-जल स्तर के तथ्य असंतुष्ट भाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया मू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
6. खदान से उत्पन्न जल एवं धरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निरधारित नहीं किया जाए अथवा इसे प्रक्रिया में अथवा पुनरावोग हेतु पुनःउपयोग किया जाए। धरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोलरपैट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निरधारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं धरेलू का जल अथवा में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचरित दूषित जल की पुनर्वाता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा उद्योग पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. मू-जल से उपयोग हेतु केंद्रीय मू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)
8. ईट उत्पादन हेतु किसकाड विमनी जिल्ह-जंग किल्ला आधारित ईट भट्टे की स्थापना 2 वर्ष के भीतर किया जाए। यदि जिल्ह-जंग किल्ला की स्थापना नहीं किये जाने की

उद्योग में पर्यावरणीय स्वीकृति अत्यावश्यक होती। जिर-जैम विप्लम का ड्राईंग, डिजाईन एवं प्लान कोटोप्राक्स सहित अंतर्गतिक रिपोर्ट में समाहित करती हुये प्रस्तुत किया जाए।

9. ईट बट्टे की विभिन्न से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा एवं विभिन्न की कंसाई मात्रा सल्फर, पर्वाइलन्, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना से निर्धारित मानक अनुसार सुनिश्चित किया जाए। उल्लेख उल्लेखन के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न फ्लुइडिब डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं निश्चित रूप से किया जाए। यहीच मार्न, रैम्प, संयंत्रन क्षेत्र, भतई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सात संयंत्रन /संयंत्रन सुनिश्चित किया जाए।
10. ईट बट्टे में केवल फाईरूट प्राकृतिक गैस, कोयला, ईंधन लकड़ी और/वा भूमि का उपयोग किया जाए। पेट कोक/टापर/प्लैस्टिक/घासगास अवशिष्टों का उपयोग किसी भी स्थिति में नहीं किया जाए।
11. पड़नी एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुसार रखा जाएगा। उल्लेखन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता माता सल्फर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12. ईट निर्माण में ताप विद्युत संपर्कों से उत्पन्न राख का उपयोग मात सल्फर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा फ्लाई ऐश के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। ईट बट्टे से उत्पन्न राख का पुनःउपयोग ईट निर्माण में किया जाए। जोस अवशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईट के टुकड़ों आदि को चू-बलन एवं रोक के संयंत्रन हेतु उपयोग किया जाए।
13. फ्लाई ऐश को उड़ने से बचाने के लिए सतह-सफाई पर पानी का छिड़काव किया जाये। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाये की फ्लाई ऐश उड़कर आस-पास के क्षेत्रों में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित न करे, जिससे कि आस-पास के रहवासी पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
14. उल्लेखन के दौरान इटाई नई उभरी मिट्टी (टीप सोईल) का उपयोग ईट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उल्लेखन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि को पुनः उद्यार हेतु अथवा बाहरी औद्योगिक क्षेत्र स्थिर (स्टेबिलाइज्ड) करने में किया जाए। जहां पर उभरी मिट्टी (टीप सोईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (क्वीनकरेटररी) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे फुलक से मण्डलित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
15. औद्योगिक एवं अनुसंधानी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि मण्डलित पर्याय आस-पास की भूमि पर विचरित प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पर्याय बने पड़ने में पुनःकरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा उचित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। मण्डलित क्षेत्र की ऊंचाई 03 मीटर तथा स्लॉप 45 डिग्री से अधिक न हो। औद्योगिक क्षेत्र का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से पुनःकरण किया जाए।
16. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न विस्ट सीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रदूषित न हो। इसे रोकने

हेतु बाईन पीट, डबल ड्रेज, ईट भट्टा ड्रेज में निर्दिष्ट बॉल / फायरलेस ड्रेज की व्यवस्था की जाए।

17. मिट्टी, फलाई ऐश एवं ईट का परिवहन जलपोषित अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से इसके दूरे वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं भर जाना सुनिश्चित किया जाए।
18. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव का कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
28	2%	0.56	Following activities at Village-Gopalpur	
			Paytra Van	3.36
			Total	3.36

19. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरान्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना अग्रणी उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण अक्षमता होने पर पर्यावरण स्वीकृति मिलना की जायेगी।

20. सी.ई.आर. के अंतर्गत "परिव्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नम पीपल के लिए राशि 600 रुपये, पीपलिंग के लिए राशि 40,000 रुपये, आम के लिए राशि 700 रुपये, सिंचाई तथा रक्ष-रक्षा के लिए राशि 41,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 82,300 रुपये तथा अगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,44,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत परिव्र वन हेतु ग्राम पंचायत गोपालपुर के सहमति उपरान्त वृक्षारोपण स्थान (खसरा क्रमांक 302/1, क्षेत्रफल 1 एकड़) के संकाय में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करे।

21. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के कॉन्सिडरिंग एवं परीक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रोपटईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसिंचन पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने से उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

22. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निर्देशन हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कनाये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कनाया जायकी जिम्मेदारी होगी।



23. परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (घनो तलक 01 मीटर चौड़ी केट), हील रोड, ओवरलैंड इन्य आदि में स्थानीय प्रजाति के 233 पौधों का सार्वजनिक वृक्षारोपण किया जाए। इनमें पट्टी का विकास क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
24. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में कम से कम 220 नग पौधे लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, जीजू, आम, इमली, अर्जुन, नीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण 3 पंक्तियों में खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यावस्था (यथा कंटेनर कार के बाद अथवा डी वाई का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्दित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊँचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
25. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का चस्मा लगाते हुये फोटोग्राफ तद्विध जानकारी अर्थात्क रिपोर्ट के साथ जमा करें।
26. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर स्थल वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सर्वेक्षणल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का एक-सत्राय आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
27. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अर्थात्क रिपोर्ट में समाहित करते हुये फलतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एन. ई.आई.ए.ए.) फलतीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
28. परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं चौड़ी,कार. के तहद्व प्रस्तावित कार्य कन्ना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
29. उत्खनन क्षेत्र में क्षति प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
30. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनस्थितियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
31. मिट्टी उत्खनन फलतीसगढ़ नीम क्षतिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।
32. कार्य स्थल पर यदि क्षतिज क्षतिक कार्य पर जनाये जाते हैं तो ऐसे क्षतिकों के क्षतिक क्षतिक व्यवस्था परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आगामी व्यवस्था अक्षतिकों संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परिवर्धना पूर्ण होने के पश्चात हटाया जा सके।
33. क्षतिकों के लिए क्षतिक स्थल पर स्वच्छ वैज्जल विहितसारीय सुविधा, नैचुरल टायलेट आदि की व्यवस्था परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
34. क्षतिकों का समय-समय पर आवर्धनाक्षतिक हेतुव तद्विध कन्ना आवश्यक है।

35. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आदेश किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों/विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
36. जलधन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित जलधन योजना के अनुसूच्य वार्षिक योजना, जिसमें निम्नी जलधन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस्. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
37. एस्.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परिशोधना की स्पर्शिका में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दृष्टि में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उल्लंघन / निम्नान्त के मामलों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
38. परिशोधना प्रस्तावक न्यूनतम 62 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परिशोधना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आदेश की शुरुआत प्रसारित करेगा कि परिशोधना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्रवाही की उर्ध्व वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस्.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
40. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्ताव शर्तों के पालन की गारंटीरिंग की जाएगी। इस हेतु परिशोधना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत विवेक एवं वसतारोपों एवं आवेदन का पूर्ण संतुष्ट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
41. एस्.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संकेत में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं करने जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
42. परिशोधना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1984, वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये विधनों, परिसंरक्षण और अन्य अधिसूचित (प्रकाश एवं सीमाधार संरक्षण) नियम, 2016 तथा लोक सचिवालय विनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।

43. इस्तामिंत परिचोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. अलीसागर के प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की बात में एस.ई.आई.ए.ए. अलीसागर को पुनः गवीन जानकरही सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. अलीसागर इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा गवीन शर्त निर्दिष्ट करने काका निर्णय ले सके। अद्यतन में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. अलीसागर / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

44. अलीसागर पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-आधार एवं राष्ट्रीय केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

45. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील गैरनगल वीन ट्रीब्यूनल के सम्मुख गैरनगल वीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में ही जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

सचिव, एस.ई.ए.सी.